अध्याय V

वाणिज्यिक बैंकों का परिचालन और निष्पादन

आस्ति गुणवत्ता में निरंतर क्षरण होने से बैंकों के तुलन पत्र की स्थिति चिंताजनक बनी रही। इसने उनकी लाभप्रदता को धक्का पहुंचाया और वित्तीय मध्यस्थता की उनकी क्षमता को बाधित किया। परिणामी डीलीवरेजिंग के फलस्वरूप ऋण वृद्धि ऐतिहासिक रूप से कम रही। कम दबाव वाले क्षेत्रों की ओर पोर्टफोलियो को उन्मुख करते हुए संतुलन साधने का प्रयास दृष्टिगत हुआ। इसके बावजूद, बैंक अपनी पूंजीगत स्थिति को सुदृढ़ करने में सक्षम रहे। इसके अतिरिक्त, सतत रूप से चल रही वित्तीय समावेशन योजना और नए परिचालित विभेदीकृत बैंकों के जरिए समग्र वित्तीय समावेशन के उद्देश्य को प्राप्त करने में प्रगति जारी रही। ऐसी आशा है कि नई संस्थागत प्रणालियों जैसे कि दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता के जरिए सरकार और रिज़र्व बैंक की ओर से दबावग्रस्त आस्तियों की समस्या का एकजुट होकर निदान करने के संकल्प एवं कार्यकुशलता बढ़ाने, ऋण निगरानी एवं जोखिम प्रबंधन के प्रति बैंकों के स्वयं के प्रयासों द्वारा बैंक उधार देने की उनकी क्षमता पर पड़े नकारात्मक प्रभाव से उबरने में सफल रहेंगे और वित्तीय माध्यस्थ के रूप में अपनी भूमिका का कुशलता पूर्वक निर्वाह कर पाएंगे।

I. परिचय

V.1 यद्यपि हाल के वर्षों में वैकल्पिक स्रोतों से धन की उपलब्धता में बढ़ोतरी हुई है तथापि भारतीय वित्तीय प्रणाली में बैंकों का वर्चस्व बना रहा है। 2016-17 के दौरान, वाणिज्य क्षेत्र को हुए वित्तीय स्रोतों के कुल प्रवाह का 35 प्रतिशत बैंक ऋण के रूप में हुआ। बैंकों की आस्ति गुणवत्ता में होने वाली लगातार गिरावट ने बैंकों की लाभप्रदता में धक्का पहुंचाया है और उनकी वित्तीय मध्यस्थता को बाधित किया है। परिणामस्वरूप होने वाली डीलीवरेजिंग से ऐतिहासिक रूप से कम ऋण वृद्धि हुई यद्यपि विशेषकर उद्योगों से मांग में कमी ने भी ऋण के उठान को प्रभावित किया। नवंबर 2016 में विनिर्दिष्ट बैंक नोटों (एसबीएन) के विमुद्रीकरण ने भी अस्थायी रूप से बैंकिंग क्षेत्र को प्रभावित किया जिसका कारण प्रणाली में कम-लागत की जमा राशियों की बाढ़ आ जाना और चलनिधि की प्रचुरता रही, इसने ब्याज दर में कमी की अंतरण दर को तेज कर दिया और बैंकों के तुलन-पत्र ढांचे को भी परिवर्तित कर दिया क्योंकि वे मुद्रा को चलन से हटाने और उसको बदलने की प्रक्रिया का प्रबंध करने में लगे रहे।

V.2 दबाव ग्रस्त आस्तियों का एक समय-सीमा के भीतर निपटान करने एवं उत्पादक क्षेत्रों को ऋण प्रवाह की बहाली हेतु रिज़र्व बैंक द्वारा किए जा रहे विनियामकीय और पर्यवेक्षी उपायों को सरकार द्वारा किए गए विविध संस्थागत सुधारों के जरिए सांविधिक सहारा मिला। इसी के साथ सरकारी क्षेत्र के बैंकों के पूंजी आधार को बढ़ाने के लिए प्रयास किए गए ताकि तुलन पत्र के दबावों के प्रति वे बफर बना सकें जिससे कि वे वित्तीय मध्यस्थता की अपनी प्राथमिक भूमिका को एक बार पुनः प्राप्त कर सकें और समावेशी वृद्धि में योगदान दे सकें। अपनी ओर से भी बैंक पूंजी जुटाने और अपने व्यवसाय को युक्ति-संगत बनाने के लिए रणनीतियां बना रहे हैं ताकि वे बदलते हुए वित्तीय परिदृश्य में प्रतिस्पर्द्धी बने रह सकें।

V.3 इस परिदृश्य में, यह अध्याय 2016-17 के दौरान भारतीय बैंकिंग क्षेत्र के परिचालनों और निष्पादन के संबंध में चर्चा करता है जो बैंकों के लेखा परीक्षित तुलन पत्रों और रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत की गई अप्रत्यक्ष पर्यवेक्षी विवरणियों पर आधारित है। यह अध्याय 94 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) के संबंध में आंकड़ों का उपयोग करते हुए तुलन पत्रों में उतार-चढाव, लाभप्रदता, वित्तीय सुदृढ़ता और ऋण विनियोजन का विश्लेषण करता है। यह अध्याय बैंकिंग प्रणाली से जुड़े हुए अन्य प्रमुख मुद्दों को भी रेखांकित करता है जैसे कि

वित्तीय समावेशन, क्षेत्रीय उपस्थिति, ग्राहक सेवाएं, भुगतान प्रणालियों के संकेतक और बैंकों के विदेशी परिचालन। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी), स्थानीय क्षेत्र बैंक (एलएबी) और नव निर्मित लघु वित्त बैंक (एसएफबी) से संबंधित गतिविधियों का विश्लेषण अलग से किया गया है। समापन भाग उन प्रमुख मुद्दों को रेखांकित करता है जो विश्लेषणों और भावी सुझावों की पेशकश से निकले हैं।

II. अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का तुलन-पत्र परिचालन

V.4 एक ऐसा वातावरण जहां आर्थिक गतिविधि धीमी हो रही है- मुख्यत: औद्योगिक क्षेत्र में और मांग में कमी हो, ऐसी परिस्थितिमें 2016-17 के दौरान बैंकों के समेकित तुलन-पत्र में संवृद्धि में गिरावट बनी रही। ऋण वृद्धि में रिकार्ड गिरावट होकर यह 2.8 प्रतिशत[1] रही क्योंकि निरंतर गिरती हुई आस्ति गुणवत्ता ने इसे नीचे की ओर धकेला जिसके कारण प्रावधानीकरण की अपेक्षाओं में तीव्र वृद्धि हुई (चार्ट V.1)। इसके परिणामस्वरूप, बैंकों की लाभप्रदता पर प्रतिकूल प्रभाव पडा और उनमें जोखिम से बचने की प्रवृत्ति आ गई।

V.5 वर्ष के दौरान केवल निजी क्षेत्र के बैंक (पीवीबी) धनात्मक ऋण वृद्धि अर्जित कर पाए (चार्ट V.2)।

V.6 क्षीण होते बैंक ऋण द्वारा बनाए गए स्थान को भरने के लिए बैंकेतर स्रोतों से संसाधनों के प्रवाह में तेजी आई। 2015-16 में वाणिज्यिक क्षेत्र की 50 प्रतिशत से अधिक वित्तीय आवश्यकताओं को बैंकिंग प्रणाली द्वारा पूरा किया गया था तथापि, 2016-17 के दौरान इसकी भागीदारी कम होकर 43.9 प्रतिशत रह गई। बैंकेतर संस्थानों में, गैर-वित्तीय कंपनियों की कुल निधि आवश्यकताओं के लगभग 21 प्रतिशत को कॉर्पोरेट बांडों एवं वाणिज्यिक पत्रों (सीपी) के निजी तौर पर बिक्री के जरिए पूरा किया गया। 2016-17 के दौरान वाणिज्यिक पत्रों का निर्गमन लगभग दोगुना होकर ₹1,002 बिलियन हो गया। बड़े कॉर्पोरेट घरानों द्वारा बांड बाजार की ओर रुख करने का मुख्य कारण निधियों की लागत का अपेक्षाकृत कम होना रहा क्योंकि बांड प्रतिफलों ने मौद्रिक नीति के समायोजी चरण, जो जनवरी 2015 से प्रारंभ हुआ था, के दौरान हुई 175 अंकों की कमी को पूर्ण रूप से ब्याज दर में अंतरित किया। घरेलू बचतों

चार्ट V.1: चुनिंदा बैंकिंग समुच्चयों में वृद्धि

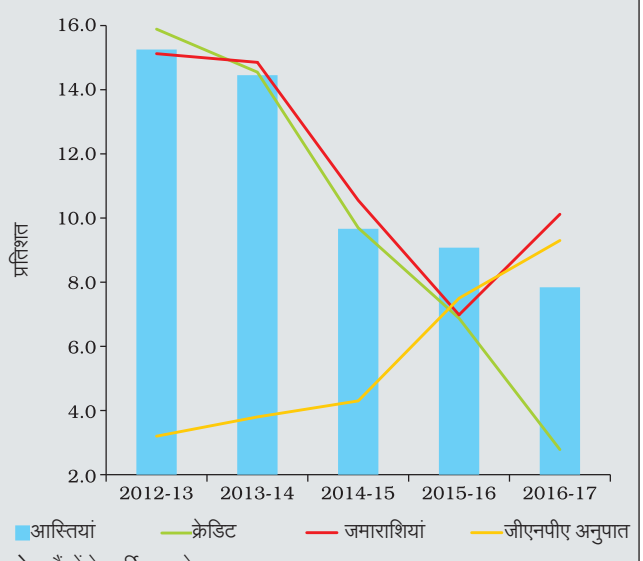

स्रोत: बैंकों के वार्षिक खाते

चार्ट V.2: अग्रिमों में बैंक समूह-वार वृद्धि

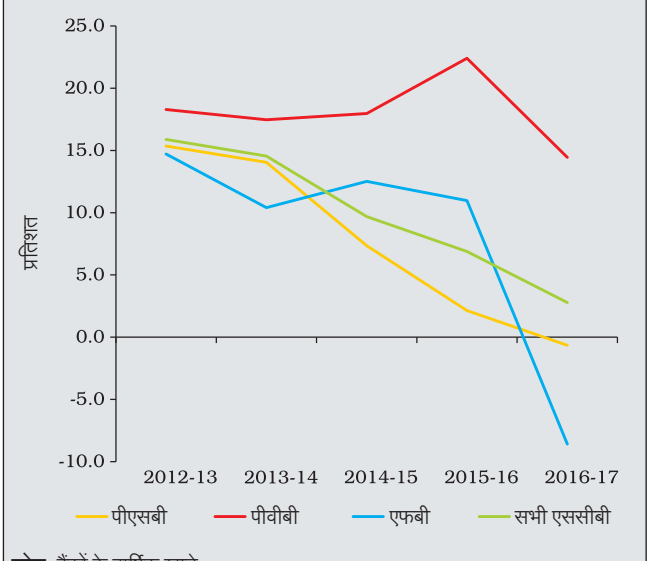

स्रोत: बैंकों के वार्षिक खाते

[1] चूंकि यह बैंकों के लेखापरीक्षित तुलनपत्र के आंकड़ों पर आधारित है, इसलिए यह पर्यवेक्षी विवरणियों या भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(2) के अंतर्गत मंगाई जाने वाली विवरणियों, दोनों में से किसी पर भी आधारित अन्यत्र सूचित ऋण संवृद्धि से भिन्न हो सकता है।

सारणी V.1: बैंकों और गैर-बैंकों से वाणिज्यिक क्षेत्र को वित्तीय संसाधनों के प्रवाह का रुझान

(राशि ₹ बिलियन में)

स्रोत	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
ए. समायोजित गैर-खाद्य बैंक क्रेडिट	**7,627 (54.0)**	**5,850 (45.5)**	**7,755 (51.3)**	**4,952 (34.9)**
i) **गैर-खाद्य क्रेडिट**	7,316	5,464	7,024	3,882
ii) एससीबी द्वारा गैर-एसएलआर निवेश	311	386	731	1,070
बी. गैर-बैंकों से प्रवाह (बी1+बी2)	**6,505 (46.0)**	**7,005 (54.5)**	**7,358 (48.7)**	**9,257 (65.1)**
बी1. घरेलू स्रोत	**4,302 (30.4)**	**4,740 (36.9)**	**4,899 (32.4)**	**6,499 (45.7)**
1 गैर-वित्तीय निकायों द्वारा सार्वजनिक निर्गम	199	87	378	155
2 गैर-वित्तीय निकायों द्वारा सकल निजी स्थानन	1,314	1,277	1,135	2,004
3 गैर-बैंकों द्वारा अभिदत्त वाणिज्यिक दस्तावेजों का निवल निर्गमन	138	558	517	1,002
4 आवास वित्त कंपनियों द्वारा निवल क्रेडिट	737	954	1,188	1,346
5 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित चार एआईएफआई- नाबार्ड, एनएचबी, सिडबी और एक्जिम बैंक द्वारा कुल समायोजन	436	417	472	469
6 प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण जमा राशि ग्रहण न करने वाली एनबीएफसी (निवल बैंक क्रेडिट)	1,124	1,046	840	1,245
7 कारपोरेट ऋण, इन्फ्रास्ट्रक्चर और सामाजिक क्षेत्र में एलआईसी का निवल निवेश	354	401	369	277
बी 2. विदेशी स्रोत	**2,203 (15.6)**	**2,265 (17.6)**	**2,459 (16.3)**	**2,758 (19.4)**
1 बाह्य क्षेत्र वाणिज्यिक उधारियां/ एफसीसीबी	661	14	-388	-509
2 बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को छोड़कर एडीआर/जीडीआर निर्गम	1	96	-	-
3 विदेशों से अल्पावधि उधारियां	-327	-4	-96	435
4 भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश	1,868	2,159	2,943	2,833
सी. स्रोतों का कुल प्रवाह (ए+बी)	**14,132 (100.0)**	**12,855 (100.0)**	**15,113 (100.0)**	**14,209 (100.0)**

टिप्पणी: 1. -: शून्य/नगण्य
2. कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े कुल के प्रतिशत के रूप में है।
3. पूर्णांकन के कारण घटकों का जोड़ असमान हो सकता है।

स्रोत: भारिबैं, सेबी, बीएसई, एनएसई, व्यापारी बैंक, एलआईसी और एनएचबी

का प्रवाह म्यूचुअल फंड, बीमा कंपनियों और पेंशन निधियों में बढ़ने से देशी संस्थागत निवेशकों की ओर से बांडों की मांग में बढ़ने सहायता मिली। एनबीएफसी और आवास वित्त कंपनियां (एचएफसी) भी बैंक से इतर हिस्से में निधियों के वैकल्पिक स्रोत के रूप में उभरी और कुल वित्त प्रवाह में उनकी भागीदारी 18 प्रतिशत की रही। विदेशी स्रोतों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेशों की प्रधानता रही (सारणी V.1)।

V.7 बैंकों के समेकित तुलन पत्र पर वापस आएं तो आस्ति की ओर के मुख्य घटक-निवेश में मामूली गिरावट देखने को मिली यद्यपि, कि गैर-एसएलआर प्रतिभूतियों में हुए निवेशों में तेजी आई। बैंक समूहों में सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने पीवीबी, जिनमें तेज गिरावट आई, की तुलना में तेज गति से निवेश किया। देयताओं की ओर, पूर्व-घोषित समयावधि के भीतर एसबीएन को हटा लेने के कारण जमाराशियों में तीव्र वृद्धि हुई (सारणी V.2)।

V.8 जमाराशियों में वृद्धि के मुख्य वाहक चालू खाता और बचत खाता की जमा राशियां रहीं (सीएएसए), जबकि सावधि-जमाराशियों में वृद्धि मंद रही। सावधि जमाराशियों में ढीली-ढाली वृद्धि का कारण धीमी ऋण वृद्धि और छोटी बचत योजनाओं तथा अन्य बाजार आधारित लिखतों की तुलना में इन जमाराशियों पर तुलनात्मक रूप से कम प्रतिफल प्राप्त होना रहा। पीएसबी और विदेशी बैंकों (एफबी) की तुलना में पीवीबी सभी प्रकार की श्रेणियों में जमाराशि जुटाने में कहीं अधिक सफल रहे (सारणी V.3)। निवेशों तथा ऋण और अग्रिमों से इतर बैंकों ने अपनी जमाराशियों को नगद एवं शेष के रूप में रिज़र्व बैंक और अन्य मुद्रा बाजार लिखतों में लगाया।

V.9 क्रेडिट में जारी मंदी के साथ-साथ विमुद्रीकरण के उपरांत बड़ी मात्रा में आयी जमाराशियों के कारण बकाया आधार पर बैंकों का ऋण-जमा (सी-डी) अनुपात पिछले वर्ष

सारणी V.2: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के समेकित तुलन पत्र

(राशि ₹ बिलियन में)

मद	मार्च अंत के अनुसार							
	सरकारी क्षेत्र के बैंक		निज क्षेत्र के बैंक		विदेशी बैंक		सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017#
1. पूंजी	192	243	106	110	585	629	882	993
2. आरक्षित और अधिशेष	5,153	5,544	3,185	3,709	792	840	9131	10,105
3. जमा राशियां	74,862	80,793	21,477	25,648	4,588	4,655	100,927	111,139
3.1. मांग जमाराशियां	4,948	5,464	2,932	3,871	1,106	1,223	8,986	10,559
3.2. बचत बैंक जमाराशियां	19,513	24,738	5,511	7,173	494	529	25,518	32,451
3.3. सावधि जमाराशियां	50,400	50,591	13,034	14,605	2,988	2,904	66,422	68,130
4. उधारियां	7,907	7,219	5,338	4,835	1,243	705	14,488	12,807
5. अन्य देयताएं और प्रावधान	3,567	3,558	1,362	1,712	937	1,266	5,866	6,541
कुल देयताएं/ आस्तियां	**91,681**	**97,356**	**31,467**	**36,015**	**8,145**	**8,095**	**131,293**	**141,586**
1. भारिबैं के पास धारित नकद और शेष	4,185	4,842	1,217	1,585	238	374	5,639	6,805
2. बैंकों के पास धारित शेष और कॉल और अल्प नोटिस पर उपलब्ध मुद्रा	3,929	5,303	759	1,300	561	759	5,248	7,374
3. निवेश	22,481	25,547	7,985	8,551	2,812	2,397	33,278	36,522
3.1 सरकारी प्रतिभूतियों में (ए+बी)	18,868	21,183	6,124	6,317	2,461	2,068	27,454	29,593
ए) भारत में	18,605	20,946	6,083	6,271	2,402	2,003	27,089	29,246
बी) भारत से बाहर	263	237	41	46	60	65	364	347
3.2 अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	3	3	-	-	-	-	3	3
3.3 गैर-अनुमोदित प्रतिभूतियां	3,609	4,361	1,861	2,234	351	330	5,822	6,925
4. ऋण एवं अग्रिम	55,936	55,572	19,393	22,196	3,636	3,323	78,965	81,162
4.1 खरीदे एवं भुनाये गए बिल	2,996	2,806	520	804	685	707	4,202	4,317
4.2 नकद क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट आदि	23,530	23,516	5,573	6,285	1,562	1,370	30,665	31,180
4.3 सावधि ऋण	29,409	29,251	13,300	15,107	1,388	1,247	44,098	45,665
5. स्थायी आस्तियां	841	1,200	227	255	52	48	1,121	1,507
6. अन्य आस्तियां	4,310	4,892	1,886	2,128	846	1,193	7,042	8,216

टिप्पणी: 1. -: शून्य/नगण्य
2. #: इसमें कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक लि. और ईक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक लि. से संबंधित आंकड़े शामिल हैं जिन्हें क्रमश: 8 नवंबर 2016 और 23 दिसंबर 2016 को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल किया गया था।
3. ₹ बिलियन में संख्याओं के पूर्णांकन के कारण घटकों का जोड़ उनके संबंधित कुल जोड़ से असमान हो सकता है।

स्रोत: संबंधित बैंकों का वार्षिक लेखा.

के 78.2% की तुलना में तेजी से गिरते हुए मार्च 2017 में 73.0% हो गया (चार्ट V.4)। ऋण में कमी ने पीएसबी और एफबी के वृद्धिशील सी-डी अनुपात को ऋणात्मक कर दिया।

चार्ट V.3: बैंक समूह-वार सीएएसए और सावधि-जमाराशि में वृद्धि

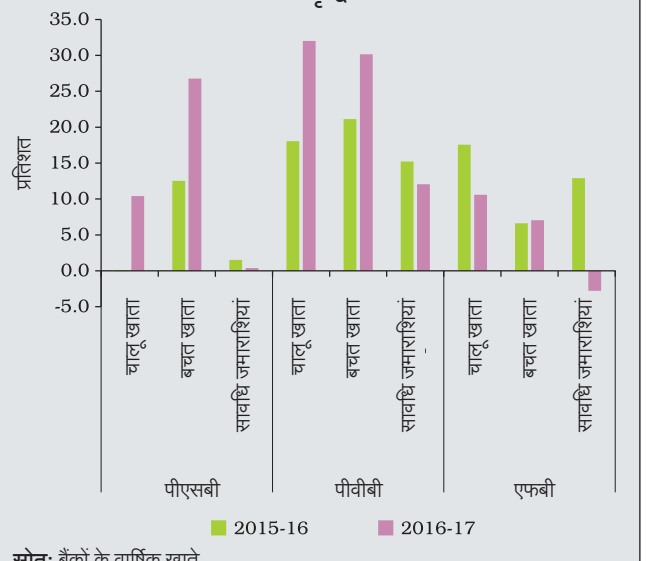

स्रोत: बैंकों के वार्षिक खाते

चार्ट V.4: बकाया सी-डी अनुपात में रुझान

(मार्च-अंत की स्थिति के अनुसार)

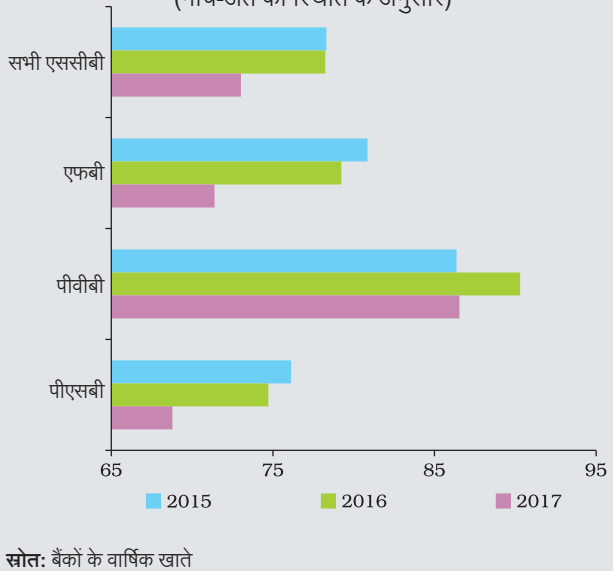

स्रोत: बैंकों के वार्षिक खाते

सारणी V.3: बैंकिंग क्षेत्र द्वारा सार्वजनिक निर्गम

(राशि ₹ बिलियन में)

Year	सरकारी क्षेत्र के बैंक		निजी क्षेत्र के बैंक		कुल		सकल जोड़
	ईक्विटी	कर्ज	ईक्विटी	कर्ज	ईक्विटी	कर्ज	
1	2	3	4	5	6	7	8=(6+7)
2015-16	-	-	-	-	-	-	-
2016-17	11	-	25	-	36	-	36

टिप्पणी: -: शून्य/नगण्य
स्रोत: सेबी

सार्वजनिक निर्गमों और निजी तौर पर बिक्री के जरिए बैंकों द्वारा जुटाए गए संसाधन

V.10 प्रावधानीकरण के लिए अपेक्षित अपने संसाधनों को बढ़ाने के लिए बैंकों ने अधिकतर निजी स्थानन के जरिए संसाधनों को एकत्र किया जबकि सार्वजनिक निर्गम नगण्य रहे। 2016-17 के दौरान निजी स्थानन की बड़ी संख्या, बासेल III पूंजी अपेक्षाओं के क्रमिक क्रियान्वयन को पूरा करने और उनकी आस्ति गुणवत्ता पर किसी प्रकार संभावित दबाव संबंधी चिंताओं को दूर करने के उनके प्रयासों को भी दर्शाती है (सारणी V.3 और V.4)।

वर्ष 2016-17 में एससीबी की अंतरराष्ट्रीय देयताएं और आस्तियां

V.11 अंतरराष्ट्रीय देयताओं की तुलना में दावों का अनुपात एक वर्ष पूर्व के 54.1 प्रतिशत से कम होकर 48.5 प्रतिशत हो जाने से 2016-17 के दौरान भारत में अवस्थित बैंकों की अंतरराष्ट्रीय देयताओं और आस्तियों में कमी आई। बकाया

सारणी V.4: निजी स्थानन के जरिए बैंकों द्वारा जुटाए गए संसाधन

(राशि ₹ बिलियन में)

वर्ष	2015-16		2016-17 (अ)	
श्रेणी	निर्गमों की सं.	जुटाई गई राशि	निर्गमों की सं.	जुटाई गई राशि
1	2	3	4	5
सरकारी क्षेत्र के बैंक	22	252	48	466
निजी क्षेत्र के बैंक	13	165	18	430
जोड़	35	417	66	896

टिप्पणी: अ: अनंतिम
स्रोत: बीएसई, एनएसई और व्यापारी बैंक

सारणी V.5: भारत में बैंकों की अंतरराष्ट्रीय आस्तियां – लिखतों के प्रकार के रूप में (एलबीएस विवरणियों के आधार पर)

(राशि ₹ बिलियन में)

आस्ति प्रकार	बकाया राशि (मार्च अंत की स्थिति के अनुसार) अ		प्रतिशतता परिवर्तन	
	2016	2017	2015-16	2016-17
1. ऋण और जमाराशियां	**6570 (98.5)**	**5472 (98.0)**	**51.9**	**-16.7**
जिसमें से:				
ए) अनिवासियों को ऋण *	1077 (16.2)	1668 (29.9)	318.0	54.9
बी) निवासियों को विदेशी मुद्रा ऋण **	1683 (25.2)	1546 (27.7)	-15.7	-8.1
सी) बकाया निर्यात बिल	1977 (29.7)	855 (15.3)	123.3	-56.8
डी) हाथ में विदेशी मुद्रा, यात्री चेक आदि.	0.4 (0.0)	3.5 (0.1)	-96.1	743.3
ई) नास्ट्रो शेष @	1832 (27.5)	1399 (25.1)	55.8	-23.6
2. कर्ज प्रतिभूतियों की धारिता	**61 (0.9)**	**66 (1.2)**	**157.8**	**8.8**
3. अन्य आस्तियां @@	**37 (0.6)**	**47 (0.9)**	**-76.3**	**29.1**
कुल अंतरराष्ट्रीय आस्तियां	**6667 (100)**	**5586 (100)**	**48.0**	**-16.2**

टिप्पणियां: 1. अ: अनंतिम
2. * इसमें अनिवासी जमा-राशियों में से रुपए में दिए गए ऋण और विदेशी मुद्रा (एफसी) ऋण शामिल हैं।
3. ** इसमें एफसीएनआर (बी) जमा-राशियों में से दिए गए ऋण, विदेशी मुद्रा में दिए गए पोत-लदान पूर्व क्रेडिट (पीसीएफसी), भारत में बैंकों को दिए गए एफसी उधार एवं उनके पास एफसी जमाराशियां आदि शामिल हैं।
4. @ इसमें विदेशों में किए गए स्थानन और अनिवासी बैंकों के साथ सावधि जमा-राशियां शेष शामिल हैं।
5. @@ विदेशी शाखाओं/ भारतीय बैंकों के अनुषंगियों को आपूर्ति की गई पूंजी और प्राप्ति योग्य लाभ और अन्य गैर श्रेणीकृत अंतरराष्ट्रीय आस्तियां शामिल हैं।
6. कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े कुल के प्रतिशत के रूप में हैं।
7. प्रतिशतता अंतर में मामूली परिवर्तन हो सकता है क्योंकि निरपेक्ष संख्याओं को ₹ बिलियन में पूर्णांकित किया गया है।

स्रोत: अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग सांख्यिकी, भारतीय रिज़र्व बैंक..

निर्यात बिलों, नास्ट्रो शेष और निवासियों दिए गए विदेशी मुद्रा ऋणों के रूप में बैंकों के अंतरराष्ट्रीय दावों में कमी आई, विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) [एफसीएनआर(बी)] जमा राशियों के मोचन एवं विदेशी मुद्रा में उधारियों में कमी होने के कारण भी बैंकों की अंतरराष्ट्रीय देयताओं में कमी आई (सारणी V.5 और V.6)।

V.12 अनिवासी बाह्य (एनआरई) खातों के बढ़ते जाने और स्रोत देशों की तुलना में आकर्षक ब्याज दर अंतरों के कारण देयताओं में वृद्धि हुई (सारणी V.6)।

सारणी V.6: भारत में बैंकों की अंतरराष्ट्रीय देयताएं – लिखतों के प्रकार के रूप में (एलबीएस विवरणियों के आधार पर)

(राशि ₹ बिलियन में)

देयता का प्रकार	बकाया राशि (मार्च अंत की स्थिति के अनुसार) अ.		प्रतिशतता परिवर्तन	
	2016	2017	2015-16	2016-17
1. जमाराशियां और ऋण	**9860 (80.0)**	**9027 (78.4)**	**17.1**	**-8.5**
ए) विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) [एफसीएनआर(बी)] योजना	2674 (21.7)	1343 (11.7)	8.5	-49.8
बी) विदेशी मुद्रा उधारियां *	1610 (13.1)	1229.5 (10.7)	14.0	-23.6
सी) अनिवासी बाह्य रुपया(एनआरई) खाते	4045 (32.8)	5100 (44.3)	15.0	26.1
डी) अनिवासी सामान्य (एनआरओ) रुपया खाते	598 (4.9)	674 (5.9)	19.8	12.7
2. स्वयं के प्रतिभूतियों/ बांडों के निर्गम	**73 (0.6)**	**78 (0.7)**	**6.1**	**6.8**
3. अन्य देयताएं	**2392 (19.4)**	**2410 (20.9)**	**-1.7**	**0.8**
जिसमें से:				
ए) एडीआर/जीडीआर	349 (2.8)	415 (3.6)	-36.3	18.9
बी) अनिवासियों द्वारा धारित बैंकों की ईक्विटी	904 (7.3)	974 (8.5)	-33.7	7.8
सी) भारत में विदेशी बैंकों की पूंजी/विप्रेषण योग्य लाभ और अन्य गैर-श्रेणीकृत अंतरराष्ट्रीय देयताएं	1140 (9.2)	1021 (8.9)	118.0	-10.4
कुल अंतरराष्ट्रीय देयताएं	**12325 (100.0)**	**11515 (100.0)**	**12.8**	**-6.6**

टिप्पणियां: 1. अ: अनंतिम
2. * भारत में और विदेशों से ली गई अंतर-बैंक उधारियां और बैंकों की बाह्य वाणिज्यिक उधारियां
3. कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े कुल के प्रतिशत के रूप में हैं।
4. प्रतिशत अंतर में मामूली परिवर्तन हो सकता है क्योंकि निरपेक्ष संख्याओं को ₹ बिलियन में पूर्णांकित किया गया है।

स्रोत: अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग सांख्यिकी, भारतीय रिज़र्व बैंक.

सारणी V.7: बैंकों के समेकित अंतरराष्ट्रीय दावे की परिपक्वता (अवशिष्ट) और उनका क्षेत्रगत वर्गीकरण

(राशि ₹ बिलियन में)

अवशिष्ट परिपक्वता /क्षेत्र	बकाया राशि (मार्च अंत की स्थिति के अनुसार) अ.		प्रतिशतता परिवर्तन	
	2016	2017	2015-16	2016-17
कुल समेकित अंतरराष्ट्रीय दावे	**5774 (100.0)**	**7168 (100.0)**	**42.5**	**24.2**
ए) परिपक्वता-वार				
1. अल्पावधि (एक वर्ष से कम की अवशिष्ट परिपक्वता)	4425 (76.6)	4529 (63.2)	71.9	2.3
2. दीर्घावधि (एक और अधिक वर्ष की अवशिष्ट परिपक्वता)	1308 (22.7)	2605 (36.3)	-9.0	99.1
3. अनाबंटित	40 (0.7)	34 (0.5)	-2.5	-15.1
बी) क्षेत्र-वार				
1. बैंक	1784 (30.9)	1841 (25.7)	5.6	3.2
2. आधिकारिक क्षेत्र	89 (1.5)	657 (9.2)	198.4	638.8
3. गैर-बैंक वित्तीय संस्थाएं	160 (2.8)	3 -		
4. गैर-वित्तीय निजी	3442 (59.6)	3880 (54.1)	60.0	12.7
5. अन्य	299 (5.2)	787 (11.0)	64.3	163.2

टिप्पणियां: 1. अ: अनंतिम
2. - : शून्य/नगण्य
3. कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े कुल के प्रतिशत के रूप में हैं।
4. पूर्णांकन के कारण घटकों का जोड़ असमान हो सकता है।
5. अनाबंटित अवशिष्ट परिपक्वता में परिपक्वता लागू नहीं (उदाहरणार्थ ईक्विटी के लिए) और परिपक्वता की सूचना उपलब्ध नहीं शामिल हैं।
6. आधिकारिक मौद्रिक प्राधिकरण, सामान्य सरकारी और बहुपक्षीय एजेंसियां आधिकारिक क्षेत्र में शामिल हैं।
7. गैर-वित्तीय निजी क्षेत्र में गैर-वित्तीय सहकारी और हाउसहोल्ड जिसमें हाउसहोल्ड को सेवाएं प्रदान करने वाले अलाभकारी संस्थाएं (एनपीआईएसएच), शामिल हैं।
8. अन्य में गैर-वित्तीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और अनाबंटित क्षेत्र शामिल हैं।
9. प्रतिशतता अंतर में मामूली परिवर्तन हो सकता है क्योंकि निरपेक्ष संख्याओं को ₹ बिलियन में पूर्णांकित किया गया है।

स्रोत: बीआईएस की समेकित बैंकिंग सांख्यिकीय विवरणियों (सीबीएस)- तात्कालिक देश जोखिम पर आधारित।

V.13 जहां तक भारतीय बैंकों के कुल समेकित अंतरराष्ट्रीय दावों के परिपक्वता क्रम का संबंध है दीर्घावधि परिपक्वता दावों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। आधिकारिक सेक्टर की ओर सेक्टरवार रुझान और बैंकों तथा गैर-वित्तीय निजी क्षेत्र निकायों से दूरी बनाना अर्थव्यवस्था में गिरती हुई मांग स्थितियों के कारण कॉर्पोरेट क्षेत्र की घटी हुई अवशोषण क्षमता दर्शाता है (सारणी V.7)।

V.14 भारत को छोड़कर अन्य देशों पर बैंकों के समेकित अंतरराष्ट्रीय दावों के संबंध में जर्मनी, हांगकांग और यूके जैसे देशों से अमेरिका के प्रति रुझान में परिवर्तन हुआ (सारणी V.8)।

आस्तियों और देयताओं का परिपक्वता प्रोफाइल

V.15 बैंक अपनी अल्पावधि देयताओं के संबंध में रोलओवर जोखिमों और परिणामी चलनिधि दबाव का सामना करते हैं। तथापि, 2016-17 के दौरान एसबीएन को हटाए जाने के कारण अल्पावधि उधारियों में तीव्र गिरावट आने से अल्पावधि देयताओं के हिस्से में कमी आई और फलस्वरूप

सारणी V.8: भारत से इतर देशों पर बैंकों के समेकित अंतरराष्ट्रीय दावे

(राशि ₹ बिलियन में)

Country	बकाया राशि-अ		प्रतिशतता परिवर्तन	
	2016	2017	2015-16	2016-17
1	2	3	4	5
कुल समेकित अंतरराष्ट्रीय दावे	**5,774 (100.0)**	**7,168 (100.0)**	**42.5**	**24.2**
जिसमें से				
1. संयुक्त राज्य अमेरिका	959 (16.6)	1,870 (26.1)	5.7	95.0
2. युनाइटेड किंगडम	434 (7.5)	427 (6.0)	8.8	-1.8
3. हांग कांग	454 (7.9)	397 (5.5)	44.8	-12.5
4. सिंगापुर	336 (5.8)	404 (5.6)	-12.2	20.1
5. युनाईटेड अरब अमीरात	833 (14.4)	889 (12.4)	98.8	6.8
6. जर्मनी	220 (3.8)	121 (1.7)	112.0	-44.9

टिप्पणियां: 1. अ: अनंतिम
2. कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े कुल के प्रतिशत के रूप में हैं।
3. प्रतिशत अंतर में मामूली परिवर्तन हो सकता है क्योंकि निरपेक्ष संख्याओं को ₹ बिलियन में पूर्णांकित किया गया है।

स्रोत: बीआईएस की समेकित बैंकिंग सांख्यिकीय विवरणियों (सीबीएस) - तात्कालिक देश जोखिम पर आधारित।

बैंकों में बड़ी मात्रा में आरक्षित निधि जमा हो गई। पाँच वर्ष से अधिक की अवधि वाले ऋण और अग्रिमों में वृद्धि हुई जिससे

चार्ट V.5: आस्तियों और देयताओं की परिपक्वता प्रोफाइल में रुझान

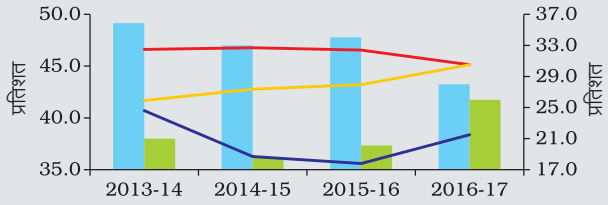

टिप्पणियां: 1. अल्पावधि 1 वर्ष तक के लिए जबकि दीर्घावधि 3 वर्ष से अधिक के लिए
2. आस्तियों में ऋण एवं अग्रिम तथा निवेश निहित हैं। देयताओं में जमाराशियां और उधारियां निहित हैं।
3. दीर्घावधि आस्तियों का वित्तपोषण करने के लिए अल्पावधि देयताओं के प्रतिशत के रूप में गणना का सूत्र इस प्रकार है- (दीर्घावधि आस्तियों को दीर्घावधि देयताओं से घटाया जाए)* 100/अल्पावधि देयताएं

स्रोत: बैंकों के वार्षिक लेखे।

दीर्घावधि आस्तियों की हिस्सेदारी बढ़ी और तदनुसार, अल्पावधि देयताओं द्वारा वित्तपोषित दीर्घावधि आस्तियों के अनुपात में पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि हुई (चार्ट V.5 और सारणी V.9)।

सारणी V.9: चुनिंदा देयताओं/आस्तियों का बैंक समूह-वार परिपक्वता प्रोफाइल

(मार्च अंत के अनुसार)

(प्रत्येक मद के तहत कुल के प्रतिशत के रूप में)

देयताएं/ आस्तियां	पीएसबी		पीवीबी		एफबी		सभी एससीबी	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017#
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. जमाराशियां								
ए) 1 वर्ष तक	46.5	41.6	42.6	41.5	66.3	63.0	46.5	42.5
बी) 1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक की अवधि	25.6	27.9	25.0	26.0	26.2	28.9	25.5	27.5
सी) 3 वर्षों से अधिक और 5 वर्ष तक की अवधि	7.7	8.6	10.9	10.5	7.3	8.0	8.3	9.0
डी) पाँच वर्ष से अधिक	20.3	21.9	21.6	21.9	0.1	0.1	19.6	21.0
II. उधारियां								
ए) 1 वर्ष तक	56.6	49.9	50.4	43.9	89.7	84.7	57.2	49.5
बी) 1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक की अवधि	12.4	12.9	20.1	19.3	7.4	11.8	14.8	15.4
सी) 3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष तक की अवधि	9.7	10.4	12.3	13.1	1.8	1.2	10.0	10.9
डी) पाँच वर्ष से अधिक	21.3	26.8	17.2	23.7	1.1	2.3	18.0	24.2
III. ऋण और अग्रिम								
ए) 1 वर्ष तक	30.7	28.3	32.8	32.5	67.0	62.5	32.9	30.9
बी) 1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक की अवधि	38.2	34.3	35.3	33.8	18.8	18.4	36.6	33.5
सी) 3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष तक की अवधि	11.8	10.6	12.0	12.8	4.3	8.0	11.5	11.1
डी) पाँच वर्ष से अधिक	19.3	26.9	19.9	20.8	9.9	11.2	19.0	24.6
IV. निवेश								
ए) 1 वर्ष तक	17.3	19.8	53.3	46.9	83.8	73.9	31.2	29.7
बी) 1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक की अवधि	17.3	14.1	14.5	16.8	8.7	17.4	15.9	15.0
सी) 3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष तक की अवधि	12.1	11.8	8.3	8.5	1.4	5.7	10.3	10.6
डी) पाँच वर्ष से अधिक	53.3	54.3	23.9	27.8	6.2	3.0	42.5	44.7

टिप्पणियां : 1. पूर्णांकन के कारण घटकों का जोड़ 100 तक नहीं है।
2. #: इसमें कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक लि. और ईक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक लि. से संबंधित आंकड़े शामिल हैं जिन्हें क्रमश: 8 नवंबर 2016 और 23 दिसंबर 2016 को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल किया गया था।

स्रोत: संबंधित बैंकों के तुलन पत्र

चार्ट V.6: तुलन-पत्र और तुलन-पत्रेतर लेन-देनों में वृद्धि

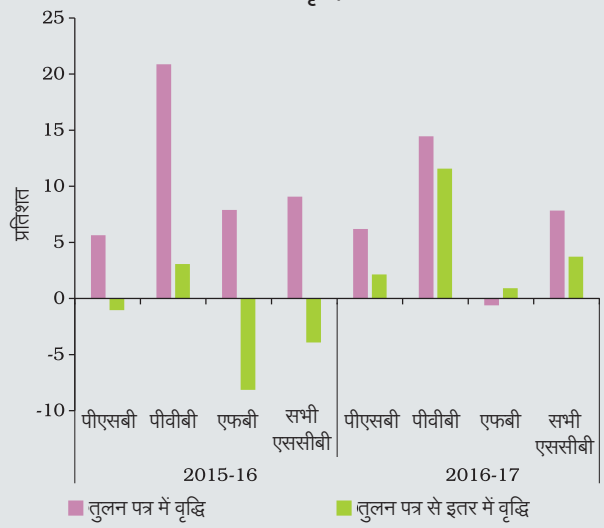

स्रोत: बैंकों के वार्षिक लेखे

V.16 इसी प्रकार का पैटर्न बैंक समूहों में देखा गया (सारणी V.9)।

एससीबी के तुलन पत्रेतर परिचालन

V.17 बैंकों के तुलन पत्रों में मौजूद दीर्घावधि वित्तीय आस्तियों के साथ जुड़े हुए जोखिमों को हेज करने और लाभप्रदता को सुधारने में, विशेष रूप से मंद पड़ चुकी ऋण वृद्धि के संदर्भ में, तुलन पत्रेतर लेनदेन एक उल्लेखनीय भूमिका का निर्वाह करते हैं। 2016-17 के दौरान सभी बैंक समूहों की तुलन पत्रेतर गतिविधियों में इज़ाफा हुआ। बैंकों के कुल तुलन पत्रेतर परिचालनों के 85 प्रतिशत से अधिक भाग पर वायदा एक्सचेंज करार (ब्याज दर स्वैप सहित) आच्छादित रहे (चार्ट V.6 और V.7; परिशिष्ट सारणी V.2)।

V.18 विदेशी बैंकों ने सबसे कम वृद्धि दर्ज की यद्यपि बैंकों के कुल तुलन पत्रेतर परिचालनों में उनकी 50 प्रतिशत भागीदारी रही।

III. अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का वित्तीय निष्पादन

V.19 वर्ष 2016-17 के दौरान एससीबी की कुल आय में मामूली बढ़ोतरी हुई जिसका मुख्य कारक ब्याज से इतर आमदनी थी। नरम ऋण वृद्धि और एनपीए में बढ़ोतरी के कारण ब्याज आय वृद्धि बाधित रही। खर्च की ओर देखें तो विमुद्रीकरण के कारण चालू खाता-बचत खाता के जरिए कम लागत वाली निधियों की बाढ़ आ जाने और जमा दरों की तुलना में उधारी दरों में नीतिगत ब्याज दर कटौतियों के धीमे अंतरण के कारण ब्याज पर किए जाने वाले खर्च में भी नगण्य वृद्धि हुई। एक वर्ष पूर्व की तुलना में निवल ब्याज आय में कमतर वृद्धि के परिणामस्वरूप बैंकों के निवल ब्याज मार्जिन (एनआईएम) में मामूली गिरावट हुई यद्यपि अप्रैल 2016 से निधियों की मार्जिन लागत पर आधारित उधारी दर (एमसीएलआर) के लागू होने से ऐसा प्रतीत होता है बैंक एमसीएलआर की तुलना में अपने स्प्रैड को सुधारा ताकि वे अपने एनआईएम को बनाए रख सकें (सारणी V.10)।

चार्ट V.7: बैंकिंग क्षेत्र के तुलन-पत्रेतर एक्सपोज़रों की संरचना-2016-17

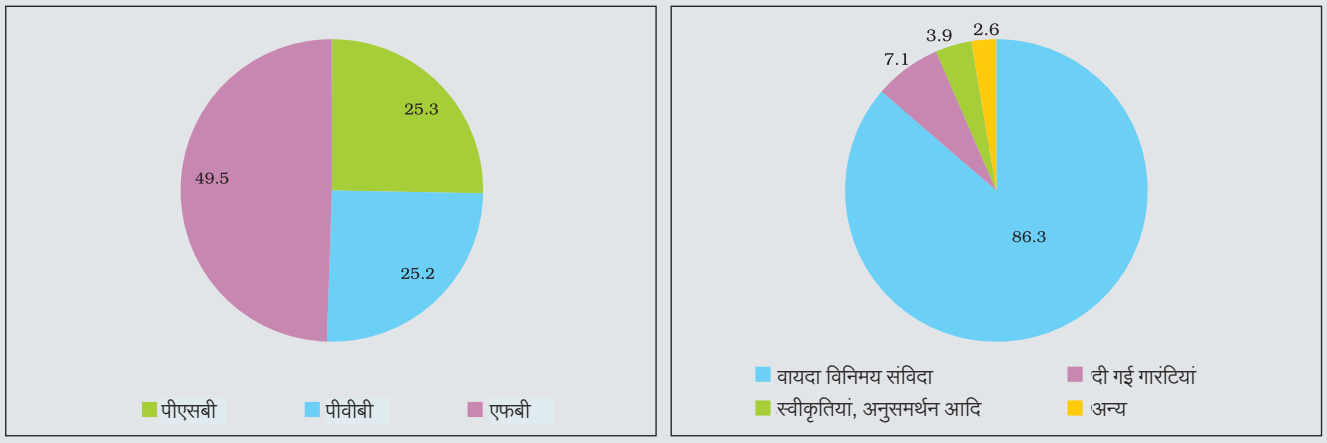

स्रोत: बैंकों के वार्षिक खाते

सारणी V.10 : अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के आय और व्यय के रुझान

(राशि ₹ बिलियन में)

मद	2015-16		2016-17#	
	राशि	प्रतिशतता परिवर्तन	राशि	प्रतिशतता परिवर्तन
1. आय	11,350	5.8	12,053	6.2
ए) ब्याज आय	9,909	5.3	10,120	2.1
बी) अन्य आय	1,441	8.8	1,933	34.1
2. व्यय	11,009	11.9	11,614	5.5
ए) ब्याज व्यय	6,661	4.6	6,692	0.5
बी) परिचालन व्यय	2,254	11.2	2,485	10.2
जिसमें से: वेतन बिल	1,195	8.3	1,275	6.7
सी) प्रावधान और आकस्मिकताएं	2,094	45.2	2,437	16.4
3. परिचालन लाभ	2,436	4.4	2,876	18.1
4. निवल लाभ	341	-61.7	439	28.6
5. निवल ब्याज आय (एनआईआई) (1ए-2ए)	3,249	7.0	3,428	5.5
निवल ब्याज मार्जिन (औसत आस्तियों के प्रतिशत के रूप में एनआईआई)	2.6		2.5	

टिप्पणी: 1. इसमें कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक लि. और ईक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक लि. से संबंधित आंकड़े शामिल हैं जिन्हें क्रमश: 8 नवंबर 2016 और 23 दिसंबर 2016 को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल किया गया था।
2. प्रतिशत अंतर में मामूली परिवर्तन हो सकता है क्योंकि निरपेक्ष संख्याओं को ₹ बिलियन में पूर्णांकित किया गया है।

स्रोत: संबंधित बैंकों के तुलन पत्र

V.20 शाखाओं और मानव संसाधन की संख्या को युक्ति संगत बनाने से परिचालनगत खर्च कम हुए जिसके फलस्वरूप, बैंकों के परिचालन लाभों में सुधार हुआ। पिछले वर्ष के उच्च आधार के संबंध में प्रावधान और आकस्मिकताओं में कमी आई फिर भी आस्ति की गुणवत्ता के दबाव में होने के कारण वे ऊंचे बने रहे और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा आस्ति गुणवत्ता समीक्षा (एक्यूआर) को कार्यान्वित कर देने से एनपीए की पहचान करने में सुधार आया। 2016-17 में बैंकों के निवल लाभ में हुई तीव्र वृद्धि को 2015-16 के न्यूनतम आधार के संदर्भ में देखने की जरूरत है जब बड़ी मात्रा में प्रावधानीकरण आवश्यकताओं के कारण निवल लाभों में सीधी गिरावट आई थी (सारणी V.10)।

V.21 बैंक समूह-वार देखें तो 2016-17 के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों में निवल हानि जारी रही यद्यपि, पिछले वर्ष की तुलना में उनमें कमी आई। स्टेट बैंक समूह को पिछले वर्ष के निवल लाभ की तुलना में हानि हुई जबकि राष्ट्रीयकृत बैंकों ने

सारणी V.11: एससीबी के आस्तियों पर प्रतिफल और ईक्विटी पर प्रतिफल –बैंक समूह-वार

(प्रतिशत)

बैंक समूह	आस्तियों पर प्रतिफल		ईक्विटी पर प्रतिफल	
	2015-16	2016-17	2015-16	2016-17
सरकारी क्षेत्र के बैंक	-0.07	-0.10	-3.47	-2.05
निजी क्षेत्र के बैंक	1.50	1.30	13.81	11.87
विदेशी बैंक	1.45	1.62	8.0	9.11
सभी एससीबी	**0.40**	**0.35**	**3.58**	**4.16**

टिप्पणियां: आस्तियों पर प्रतिफल = बैंक समूहों के लिए आस्तियों पर प्रतिफल समूह में एकल बैंक की आस्तियों पर प्रतिफल के भारित औसत के रूप में प्राप्त किया जाता है, भार का तात्पर्य है समान बैंक समूह में सभी बैंकों की कुल आस्तियों की तुलना में बैंक की कुल आस्तियों के अनुपात का प्रतिशत
ईक्विटी पर प्रतिलाभ = निवल लाभ/ औसत कुल ईक्विटी

स्रोत: बैंकों के वार्षिक लेखे

वर्ष-दर-वर्ष आधार पर अपनी हानियों में कमी की। निजी क्षेत्र के बैंकों के लाभ में मंद प्रगति हुई जिसके परिणाम स्वरूप आस्तियों पर प्रतिफल (आरओए) में कमी आई। साथ-साथ उनके ईक्विटी पर प्रतिफल (आरओई), जो ईक्विटी के प्रत्येक यूनिट से कमाए गए लाभ द्वारा बैंक की कुशलता प्रदर्शित करता है, में भी कमी आई। इसके विपरीत, विदेशी बैंकों ने पिछले वर्ष की तुलना में अपने आरओए और आरओई में सुधार किया (सारणी V.11)।

V.22 निधियों की लागत और प्रतिफल के बीच का अंतर जिसे स्प्रैड कहा जाता है और जो बैंकों की परिचालन कुशलता का परिचायक होता है, वह पिछले वर्ष के लगभग समान स्तर पर ही बना रहा। पीएसबी और एफबी की तुलना में पीवीबी ने पिछले वर्ष रिपोर्ट किए गए निम्न स्प्रैड की अपेक्षा सुधार दर्शाया (सारणी V.12)।

IV. सुदृढ़ता संकेतक

पूंजी पर्याप्तता

V.23 जोखिम भारित आस्ति अनुपात (सीआरएआर) की तुलना में पूंजी को बढ़ाने के लिए लागू की गयी बासेल III पूंजी अपेक्षाओं के प्रगामी कार्यान्वयन ने समग्र बैंकिंग प्रणाली को गति प्रदान की है। परिणामस्वरूप, भारत में स्थित सभी श्रेणियों के बैंक मार्च 2017 के लिए निर्धारित 10.25 प्रतिशत (पूंजी संरक्षण बफर (सीसीबी) सहित) की अपेक्षा से काफी ऊपर रहे और मार्च 2019 के अंत तक, जब बासेल III पूरी तरह से क्रियान्वित हो जाएगा, तब इसे 11.5 प्रतिशत तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है (चार्ट V.8)।

सारणी V.12: बैंक समूह-वार निधियों की लागत और निधियों पर प्रतिफल

(प्रतिशत)

बैंक समूह/ वर्ष		जमाराशियों की लागत	उधारियों की लागत	निधियों की लागत	अग्रिमों पर प्रतिफल	निवेशों पर प्रतिफल	निधियों पर प्रतिफल	स्प्रैड
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8-5
पीएसबी	2015-16	6.19	5.27	6.11	9.02	7.80	8.68	2.57
	2016-17	5.70	4.80	5.62	8.44	7.49	8.15	2.53
पीवीबी	2015-16	6.08	6.27	6.11	10.46	7.49	9.59	3.48
	2016-17	5.59	6.56	5.76	9.99	7.49	9.28	3.52
एफबी	2015-16	4.46	4.00	4.36	8.95	7.28	8.22	3.86
	2016-17	4.24	4.25	4.24	8.77	6.89	7.97	3.73
सभी एससीबी	2015-16	6.09	5.50	6.02	9.35	7.68	8.87	2.85
	2016-17	5.61	5.44	5.59	8.86	7.45	8.43	2.84

टिप्पणियां : 1. जमाराशियों की लागत = जमाराशियों पर भुगतान किया गया ब्याज/ वर्तमान और पिछले वर्ष की जमाराशियों का औसत
2. उधारियों की लागत = (व्यय किया गया ब्याज – जमाराशियों पर ब्याज)/ वर्तमान और पिछले वर्ष की उधारियों का औसत
3. निधियों की लागत = व्यय किया गया ब्याज /(वर्तमान और पिछले वर्ष की जमाराशियों और उधारियों का औसत)
4. अग्रिमों पर प्रतिफल = अग्रिमों पर कमाया गया ब्याज / वर्तमान और पिछले वर्ष के अग्रिमों का औसत
5. निवेशों पर प्रतिफल = निवेशों पर कमाया गया ब्याज / वर्तमान और पिछले वर्ष के निवेशों का औसत
6. निधियों पर प्रतिफल = (अग्रिमों पर कमाया गया ब्याज + निवेशों पर कमाया गया ब्याज) / (वर्तमान और पिछले वर्ष के अग्रिमों और निवेशों का औसत)
7. 2017 के आंकड़ों में लघु वित्त बैंक शामिल हैं।

स्रोत: संबंधित बैंकों के तुलन पत्र से की गई गणना

V.24 टिअर-1 अनुपात भी 7% के अपेक्षित स्तर से काफी अधिक रहा (सारणी V.13)। अलग-अलग श्रेणी के बैंकों को देखें तो सबसे कम सीआरएआर सरकारी क्षेत्र के बैंकों का रहा हालांकि हाल के वर्षों में इसमें सुधार के स्पष्ट संकेत मिल रहे हैं। निजी क्षेत्र के बैंकों में सीआरएआर का स्तर लगातार अपेक्षाकृत अधिक बना हुआ है। समग्र रूप से देखें तो बाजार में उपलब्ध विभिन्न

चार्ट V.8: सीआरएआर-बैंक समूह-वार

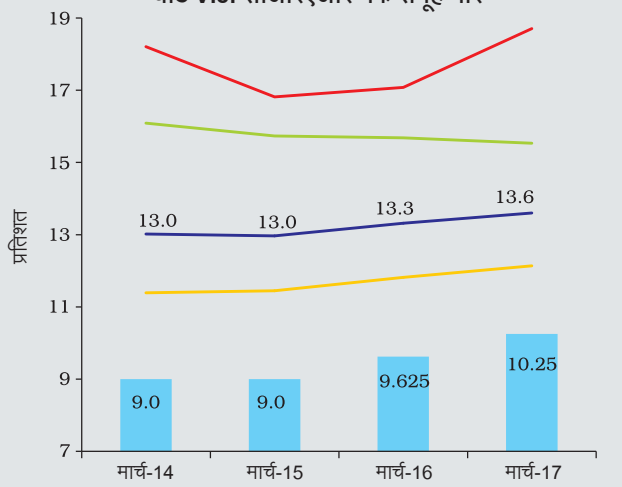

स्रोत: ऑफ-साइट विवरणियां

प्रकार के लिखतों के माध्यम से पूंजी जुटाते हुए, बीच-बीच में सरकार से पूंजी प्राप्त करते हुए और बैंकिंग पर्यवेक्षण संबंधी बासेल दिशा-निर्देशों (बीसीबीएस) के अनुपालन में अपने तुलन-पत्र की कुछ मदों की गणना में संशोधन करते हुए बैंकों ने अपनी पूंजीगत स्थिति में सुधार करने के प्रयास तेज कर दिए हैं । इस संबंध में अगस्त 2015 में सरकार द्वारा लाई गई इंद्रधनुष योजना और पुनः अक्टूबर 2017 में सरकार द्वारा सरकारी क्षेत्र के बैंकों के पुनर्वित्तीयन की घोषणा के बाद ऐसी आशा की जा रही है कि सरकारी क्षेत्र के बैंकों की पूंजीगत स्थिति में पर्याप्त सुधार आएगा।

V.25 अगस्त 2016 में सरकारी क्षेत्र के बैंकों को यह अनुमति दी गई थी कि वे पूंजी आवश्यकता, स्टॉक की कारोबारी स्थिति, चलनिधि की स्थिति और बाजार को देखते हुए सरकार की शेयरधारिता को चरणबद्ध रूप से 52 प्रतिशत तक कम करके फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर (एफपीओ) अथवा पात्र संस्थागत प्लेसमेंट (क्यूआईपी) के जरिए बाजार से पूंजी जुटाएं। इसके अलावा, अधिक मजबूत और प्रतिस्पर्धी बैंकों के गठन की दिशा में कदम उठाते हुए सरकार ने एक वैकल्पिक कार्ययोजना के माध्यम से पीएसबी के समामेलन का सैद्धांतिक अनुमोदन कर दिया है।[2] इस तरह का कोई भी प्रस्ताव पूर्णतया वाणिज्यिक आवश्यकताओं के आधार पर किया जा सकेगा और यह संबंधित बैंकों के बोर्ड के माध्यम से ही भेजा जा सकेगा।

[2] मंत्रीमंडल ने 23 अगस्त 2017 को सैद्धांतिक अनुमोदन दिया कि सरकारी क्षेत्र के बैंक वैकल्पिक व्यवस्था (एएम) के माध्यम से समामेलन कर सकते हैं। समामेलन की योजना निरूपित करने के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन हेतु बैंकों से प्राप्त प्रस्तावों को एएम के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। सैद्धांतिक अनुमोदन के पश्चात, कानून और भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) की अपेक्षाओं के अनुसार बैंकों द्वारा कदम उठाए जाएंगे। भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ परामर्श से सरकार द्वारा अंतिम योजना अधिसूचित की जाएगी।

सारणी V.13: एससीबी का घटक-वार पूंजी पर्याप्तता

(मार्च-अंत की स्थिति के अनुसार)

(राशि ₹ बिलियन में)

	पीएसबी		पीवीबी		एफबी		एससीबी	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017
1. पूंजीगत निधियां	**6,647**	**7,047**	**3,705**	**4,239**	**1,296**	**1,184**	**11,647**	**12,470**
i) टियर I पूंजी	5,138	5,480	3,109	3,643	1,208	1,110	9,455	10,233
ii) टियर II पूंजी	1,509	1,567	596	596	88	74	2,192	2,237
2. जोखिम भारित आस्तियां	**56,260**	**58,053**	**23,622**	**27,289**	**7,584**	**6,328**	**87,466**	**91,671**
3. सीआरएआर (2 के प्रतिशत के रुप में 1)	**11.8**	**12.1**	**15.7**	**15.5**	**17.1**	**18.7**	**13.3**	**13.6**
जिसमें : टियर I	9.1	9.4	13.2	13.3	15.9	17.5	10.8	11.2
टियर II	2.7	2.7	2.5	2.2	1.2	1.2	2.5	2.4

स्रोत: ऑफ साइट विवरणियां

लीवरेज अनुपात

V.26 लीवरेज को नियंत्रित रखने और अस्थायित्व पैदा करने वाली डिलीवरेजिंग से बचने के लिए भारतीय बैंकों द्वारा जोखिम आधारित पूंजी अनुपातों के अतिरिक्त 1 अप्रैल 2015 से एक लीवरेज अनुपात बनाए रखा जा रहा है। टिअर 1 पूंजी और कुल जोखिम (जिसमें तुलन पत्र जोखिम, डेरिवेटिव जोखिम, प्रतिभूति वित्तीयन लेनदेन जोखिम और तुलन पत्रेतर जोखिम शामिल है) के अनुपात के रूप में परिभाषित लीवरेज अनुपात के कारण 2016- 17 में पूरी बैंकिंग प्रणाली में सुधार देखने को मिला, हालांकि बैंकों की अन्य श्रेणियों की तुलना में पीएसबी को काफी नीचे स्थान मिला (चार्ट V.9) । बीसीबीएस द्वारा 2017 तक के लिए कम से कम 3 प्रतिशत टिअर-1 लीवरेज अनुपात के लक्ष्य को देखते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक प्रत्येक बैंक की निगरानी 4.5 प्रतिशत के सांकेतिक लीवरेज अनुपात का लक्ष्य रखते हुए कर रहा है।

चलनिधि कवरेज अनुपात

V.27 चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) का उद्देश्य है बैंकों में चलनिधि को लगने वाले बड़े आघातों से उबरने की अल्पकालिक क्षमता पैदा करना। इसके तहत बैंकों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे उच्च गुणवत्ता वाली चलनिधि (एचक्यूएलए) पर्याप्त मात्रा में बनाए रखें ताकि भीषण दबाव की परिस्थिति में 30 दिन-चलनिधि-आघात नगदी के निवल प्रवाह को झेल सकें। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा एलसीआर का क्रियान्वयन चरणबद्ध तरीके से किया गया जिसके तहत 1 जनवरी 2015 तक 60 प्रतिशत का लक्ष्य रखा गया जिसे 1 जनवरी 2019 तक शत-प्रतिशत तक पहुंचाया जाना है। सांविधिक चलनिधि अनुपात की तुलना में चलनिधि कवरेज अनुपात चलनिधि जोखिम प्रबंधन का एक अधिक सटीक उपाय है क्योंकि इसके तहत आस्तियों और देयताओं दोनों की तरलता की स्थिति का आकलन किया जाता है। उधार देने की बैंकों की क्षमता पर चलनिधि कवरेज अनुपात के कारण कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि इसमें बैंकों से यह अपेक्षा नहीं की जाती कि वे उनकी दैनंदिन व्यवसाय के लिए रखी जाने वाली चलनिधि से अधिक चलनिधि बनाए रखें। इसके अलावा, चूंकि चलनिधि कवरेज अनुपात में सरकारी प्रतिभूतियों से भिन्न प्रकार की प्रतिभूतियां शामिल हैं, अतः आशा की जाती है कि यह बाजार के दूसरे क्षेत्रों को, विशेष रुप से कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार को, प्रोत्साहित करेगा। फिलहाल बैंकों को एसएलआर और एलसीआर में नियमों का पालन करना पड़ता है लेकिन एसएलआर को धीरे-धीरे नीचे लाया जा रहा है ताकि एलसीआर की दिशा में सुविधाजनक संक्रमण किया जा सके और उसे 1 जनवरी 2019 तक शत-प्रतिशत तक पहुंचाया जा सके। वर्तमान में एसएलआर के तहत बैंकों की निवल मांग एवं

चार्ट V.9: लीवरेज अनुपात - बैंक समूह-वार

स्रोत: ऑफ-साइट विवरणियां

चार्ट V.10: चलनिधि व्याप्ति अनुपात

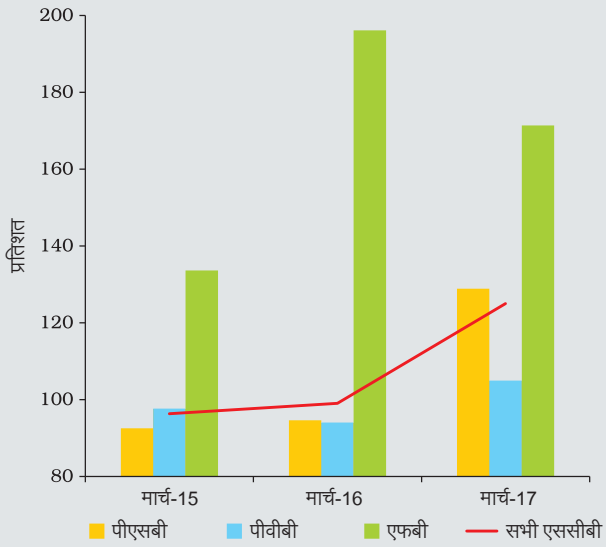

स्रोत: ऑफ-साइट विवरणियां

मीयादी देयताओं (एनडीटीएल) के 11 प्रतिशत तक को अलग रखा जाता है जिसे एसएलआर के तहत उपलब्ध चलनिधि के रूप में माना जाता है। 2016-17 के दौरान बैंकों की एलसीआर स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ और सभी समूहों के बैंकों ने शत प्रतिशत से अधिक एलसीआर बनाए रखने में सफलता प्राप्त की जिसमें सरकारी क्षेत्रों के बैंकों का एलसीआर निजी क्षेत्र के बैंकों से काफी अधिक रहा (चार्ट V.10)।

निवल स्थायी निधीयन अनुपात

V.28 एलसीआर की तुलना में निवल स्थायी निधीयन अनुपात (एनएसएफआर) दीर्घावधि आधार पर समुत्थानशीलता को बढ़ावा देता है क्योंकि यह बैंकों से यह अपेक्षा करता है कि वह अपनी गतिविधियों के लिए उन्हीं निधियों का प्रयोग करें जो नियमित आधार पर निधीयन के स्थायी स्रोत हैं। एनएसएफआर बैंकों द्वारा अल्पकालीन थोक निधीयन पर भरोसा रखने को हतोत्साहित करता है ताकि निधीयन को स्थायी बनाने को प्रोत्साहित किया जा सके और तुलन पत्र में शामिल और तुलन-पत्रेतर मदों से जुड़े निधीयन जोखिम के मूल्यांकन को प्रोत्साहित किया जा सके। बासेल III में की गई अपेक्षाओं के अनुसार एनएसएफआर उपलब्ध स्थायी निधीयन की तुलना में आवश्यक स्थायी निधीयन का अनुपात होता है। उपलब्ध स्थायी निधीयन को पूंजी और देयताओं के उस अंश के रूप में पारिभाषित किया जाता है जिस पर एनएसएफआर द्वारा बताई गयी समयावधि, जो कि एक वर्ष तक की होती है, के दौरान भरोसा किया जा सकता है। एनएसएफआर को अभी लागू नहीं किया गया है लेकिन जनवरी 2018 से इसे लागू करने की योजना है और तब बैंकों को कम से कम शत प्रतिशत एनएसएफआर बनाए रखना होगा।

अनर्जक आस्तियां

V.29 वर्ष के दौरान बैंकों की आस्ति गुणवत्ता में और अधिक गिरावट आई तथा सकल अनर्जक आस्तियों का अनुपात (जीएनपीए) कुल अग्रिमों के 9.3 प्रतिशत तक पहुंच गया। सरकारी क्षेत्र के बैंकों का जीएनपीए अनुपात मार्च 2017 तक बढ़कर 11.7 प्रतिशत हो गया। निजी क्षेत्र के बैंकों के लिए जीएनपीए अनुपात हालांकि काफी कम होता है, फिर भी इसमें वर्ष के दौरान तेजी से वृद्धि हुई । विदेशी बैंकों की आस्ति गुणवत्ता में थोड़ा सुधार ही देखने को मिला। निवल अनर्जक आस्ति अनुपात बढ़कर 5 प्रतिशत हो गया (सारणी V.14) और चूंकि इसका समायोजन प्रावधानों के लिए किया जाता है, अत: यह ऋण बही की गुणवत्ता दर्शाता है।

V.30 बैंकों की आस्ति गुणवत्ता में गिरावट का कुप्रभाव बैंकों की ऋण देने की क्षमता पर तो पड़ता ही है, साथ ही इससे समष्टि अर्थव्यवस्था के नीचे जाने का जोखिम भी होता है (बॉक्स V.1)।

सारणी V.14: अनर्जक आस्तियों का रूझान - बैंक समूह-वार

(राशि ₹ बिलियन में)

मद	पीएसबी*	पीवीबी	एफबी	सभी एससीबी#
सकल एनपीए				
2015-16 के लिए अंतिम शेष	5,400	562	158	6,119
2016-17 के लिए प्रारंभिक शेष	5,400	562	158	6,120^
वर्ष 2016-17 के दौरान वृद्धि	3,275	814	66	4,157
वर्ष 2016-17 के दौरान वसूल किया गया	1,000	237	36	1,274
वर्ष 2016-17 के दौरान बट्टा खाता में डाला गया	827	207	51	1,085
2016-17 के लिए अंतमि शेष	6,847	932	136	7,918
सकल अग्रिम के प्रतिशत के रूप में सकल एनपीए**				
2015-16	9.3	2.8	4.2	7.5
2016-17	11.7	4.1	4.0	9.3
नविल एनपीए				
2015-16 के लिए अंतमि शेष	3,204	267	28	3,498
2016-17 के लिए अंतमि शेष	3,831	478	21	4,331
निवल अग्रिम के प्रतिशत के रूप में निवल एनपीए				
2015-16	5.7	1.4	0.8	4.4
2016-17	6.9	2.2	0.6	5.3

टिप्पणी: 1. * : इसमें आईडीबीआई बैंक लिमिटेड एवं भारतीय महिला बैंक शामिल है।
2. # : इसमें कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक लि. और ईक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक लि. से संबंधित आंकड़े शामिल हैं जिन्हें क्रमश: 8 नवंबर 2016 और 23 दिसंबर 2016 को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल किया गया था।
3. ^ : 2016-17 में दो लघु वित्त बैंकों को शामिल करने के कारण 2016-17 के लिए प्रारंभिक शेष 2015-16 के लिए अंतिम शेष से भिन्न है।
4. ** : संबंधित बैंकों के वार्षिक लेखों से सकल एनपीए एवं ऑफ-साइट विवरणियों से अग्रिमों को लेते हुए गणना की गई है।

स्रोत: बैंकों के वार्षिक लेखे एवं ऑफ-साईट विवरणियां।

बॉक्स V.1: भारत में अनर्जक आस्तियाँ और ऋण चक्र – प्राथमिकता *बनाम* गैर प्राथमिकता क्षेत्र

एनपीए में हुई क्रमिक बढ़ोत्तरी प्राय: प्रचक्रीय रहती है हालांकि इसमें पश्चता होती है। जब अनर्जक आस्तियों का अनुपात एक निश्चित सीमा को पार कर जाता है तो इसका बैंकों की ऋण देने की इच्छा पर विपरीत प्रभाव पड़ता है जो इस बात का संकेत होता है कि अरेखीयता और विपरीत कारण-कार्य-संबंध भी अपना प्रभाव दिखा रहा है (ट्रेसी, 2011; क्यूचेनाली, 2015)।

भारतीय बैंकिंग प्रणाली में ऐसा देखा जाता है कि जहाँ एक ओर समग्र क्रेडिट वृद्धि भारतीय अर्थव्यवस्था में विद्यमान एनपीए अनुपात पर सकारात्मक प्रभाव डालती ही है (चवन एण्ड गैम्बाकार्टा), परंतु इसके दुतरफा प्रभाव भी हैं। उसी समयावधि में समग्र क्रेडिट वृद्धि पर एनपीए अनुपात का प्रभाव नकारात्मक होता है (आर बी आई, 2017)। प्रणाली स्तर के इन संबंधों की जाँच-पड़ताल संविभाग-विशेष के स्तर पर की जाती है अर्थात पूरे प्राथमिकता क्षेत्र या गैर प्राथमिकता क्षेत्र में इस दृष्टिकोण के साथ कि एनपीए एवं क्रेडिट वृद्धि के स्तरों का अंतर कितना है और इन दोनों क्षेत्रों में वित्त के वैकल्पिक स्रोतों तक पहुंच कितनी है।

वर्ष–दर-वर्ष क्रेडिट के तिमाही आंकड़े और मार्च 2002 से जून 2017 तक प्राथमिकता क्षेत्र तथा गैर प्राथमिकता क्षेत्र दोनों के एनपीए में हुई वृद्धि की छानबीन करके वृद्धि चक्रों के रूप में सामान्य प्रवृत्ति से विपथन का पता लगाया जाता है। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र की अनर्जक आस्तियों और क्रेडिट में वर्ष-दर-वर्ष होने वाली वृद्धि यह दर्शाती है कि वे सामान्यतया विपरीत दिशाओं में अग्रसर थीं। इसका एकमात्र अपवाद यह था कि दिसंबर 2011 से जून 2014 के बीच की समयावधि में इनकी लाक्षणिक अस्थिरता से अधिक था (चार्ट 1 ए)। गैर प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में सामान्यतया विपरीत दिशाओं में इनकी गति देखी गयी (चार्ट 1 बी)।

प्राथमिकता क्षेत्र के लिए, वीएआर फ्रेमवर्क में पश्चता अंतराल (5) पर एआईसी, एलआर और एचक्यू मानदण्डों का इष्टतम मान लेते हुए स्थापित ग्रैंजर कार्य-कारण संबंध से इस बात के संकेत मिले कि इन दोनों चक्रों के बीच दुतरफा कार्य-कारण संबंध है।[3] क्रेडिट वृद्धि चक्रों पर एनपीए वृद्धि चक्रों का नकारात्मक प्रभाव पड़ा और यह काफी अधिक था जिसमें चार तिमाहियों की पश्चता देखी गयी जबकि एनपीए वृद्धि चक्रों पर क्रेडिट वृद्धि चक्रों ने सकारात्मक एवं तीव्र प्रभाव डाला जिसमें एक तिमाही की पश्चता थी। प्राथमिकता क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा कृषि का होता है। कृषि ऋण का बड़ा हिस्सा चार तिमाहियों वाले फसली वर्ष के प्रारंभ में ही संवितरित कर दिया जाता है जबकि इसकी चुकौती फसली मौसम के बाद वाले सीजन से शुरू होती है जो कि स्वाभाविक रूप से अपेक्षाकृत छोटे अंतराल वाला होता है। ऐसे में यह पश्चता युक्तिसंगत जान पड़ती है।

चार्ट 1ए: सकल अग्रिमों में वृद्धि बनाम सकल एनपीए में वृद्धि – प्राथमिकता क्षेत्र

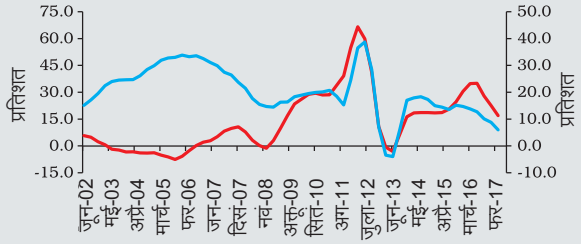

स्रोत: ऑफ-सांइट विवरणियां।

चार्ट 1बी: सकल अग्रिमों में वृद्धि *बनाम* सकल एनपीए में वृद्धि – गैर-प्राथमिकता क्षेत्र

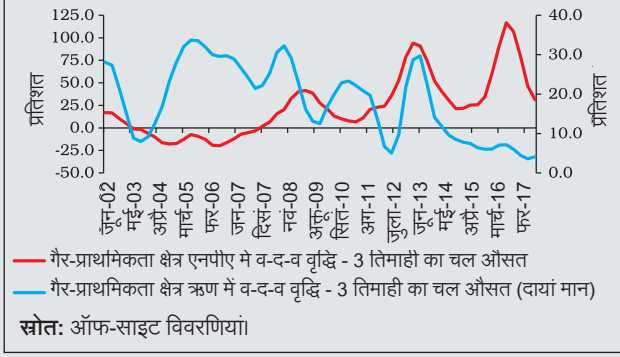

स्रोत: ऑफ-साइट विवरणियां।

गैर प्राथमिकता क्षेत्र के लिए 6 इष्टतम पश्चता अवधि के लिए ग्रैंजर कार्य-कारण संबंध से क्रेडिट वृद्धि चक्रों पर एनपीए वृद्धि चक्रों के बीच दुतरफा कार्य-कारण संबंध देखने को मिला। तिर्यक सहसंबंध गुणांकों ने यह दर्शाया कि क्रेडिट वृद्धि चक्रों ने एनपीए वृद्धि चक्रों पर गैर प्राथमिकता क्षेत्र में पर्याप्त और सकारात्मक प्रभाव डाला जिसमें 16 तिमाहियों की पश्चता थी। गैर-प्राथमिकता क्षेत्रों के अंतर्गत शामिल आधारिक संरचना वाले एवं विशुद्ध औद्योगिक परियोजनाओं की लंबी निर्माण अवधि को देखते हुए इस क्षेत्र में व्याप्त अपेक्षाकृत अधिक पश्चता अवधि को जायज ठहराया जा सकता है। हालांकि लगभग एक तिमाही के उपरांत एनपीए वृद्धि चक्र ने क्रेडिट वृद्धि चक्र पर नकारात्मक प्रभाव डाला। बैंकों ने अपने तुलन-पत्र पर पड़े दबाव की प्रतिक्रिया स्वरूप इस क्षेत्र को दिए जाने वाले क्रेडिट में कटौती की।

सारांश रूप में कह सकते हैं कि प्राथमिकता और गैर प्राथमिकता प्राप्त दोनों ही क्षेत्रों में क्षेत्र विशेष की प्रवृत्तियों के अनुसार क्रेडिट वृद्धि का एनपीए वृद्धि पर आशानुरूप प्रभाव पड़ा। दूसरी ओर, बैंकों द्वारा प्राथमिकता क्षेत्र को क्रेडिट जोखिम के प्रभाव में सामान्यतया रहने वाली पश्चता अवधि की तुलना में गैर प्राथमिकता क्षेत्र में बढ़ते क्रेडिट जोखिम ने इस क्षेत्र के लिए क्रेडिट वृद्धि में त्वरित संकुचन पैदा किया। इस दौरान, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र की तुलना में गैर प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र बैंक तुलन-पत्र में आस्तियों की गुणवत्ता को नुकसान पहुंचाने के लिए अधिक जिम्मेदार रहा। अत: गैर प्राथमिकता क्षेत्र में एनपीए वृद्धि चक्र में तीव्र वृद्धि के तत्काल बाद इस क्षेत्र की उधार गतिविधियों में सुस्ती आ जाना आश्चर्यजनक नहीं है।

संदर्भ

चवन पी एंड एल. गैम्बाकार्टा (2016), 'बैंक लेंडिंग एण्ड लोन क्वालिटी – दि केस ऑफ इंडिया', बीआईएस वर्किंग पेपर सं. 595.

क्यूचेनाली, डी. (2015), "द इम्पैक्ट ऑफ नॉन परफॉर्मिंग लोंस ऑन बैंक बिहैवियर: एविड्डेंस फ्रॉम दि इटैलियन बैंकिंग सेक्टर" यूरेसियन जरनल ऑफ बिजनेस एण्ड इकॉनॉमिक्स, खण्ड 8, पीपी.59-71

आरबीआई (2017), मॉनिटरी पॉलिसी रिपोर्ट", अप्रैल, मुंबई

ट्रेसी, एम. (2011), "दि इम्पैक्ट ऑफ नॉन परफॉर्मिंग लोन्स ऑन लोन ग्रोथ : ऐन इकॉनॉमीट्रिक केस स्टडी ऑफ जमैका एण्ड ट्रिनिडाड एण्ड टोबैगो", फाइनेंसियल स्टैबिलिटी डिपार्टमेंट, बैंक ऑफ जमैका.

[3] एआईसी - अकाइके सूचना मानंदड; एलआर - सदृश्यता अनुपात; एचक्यू - हन्नान-क्विन सूचना मानदंड।

चार्ट V.11: सकल अग्रिमों के प्रतिशत के रूप में पुन: संरचित मानक अग्रिम

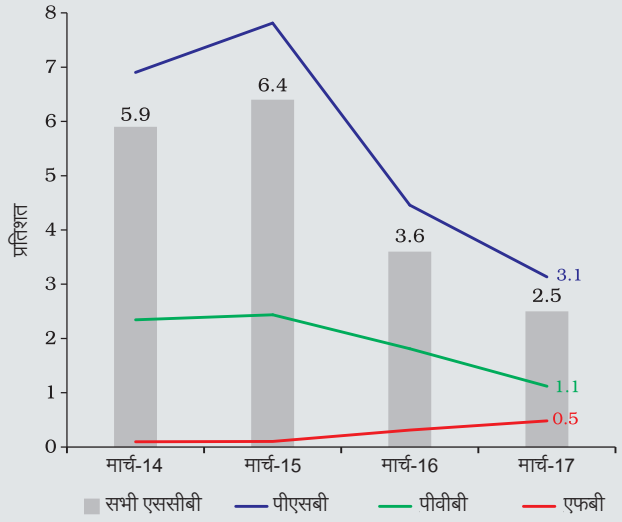

स्रोत: ऑफ-साइट विवरणियां

V.31 जुलाई 2015 में की गयी आस्ति गुणवत्ता समीक्षा (एक्यूआर) के बाद बैंकों की आस्ति गुणवत्ता में तीव्र गिरावट आयी। किसी एक बैंक द्वारा तैयार की गयी सूची में अगर किसी उधारकर्ता के खाते को एनपीए के रूप में दर्ज किया जाता है तो उसी उधारकर्ता द्वारा अन्य बैंकों से लिए गए ऋण खातों को भी एनपीए मान लिया जाता है। 01 अप्रैल 2015 से पुनर्संरचित अग्रिमों पर विनियामकीय सहिष्णुता वापस लिए जाने से पुनर्संरचित मानक अग्रिमों को लगातार एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया जाने लगा (चार्ट V.11)।

V.32 सरकारी क्षेत्र के बैंकों और निजी क्षेत्र के बैंकों की कुल ऋण आस्तियों में से संदिग्ध और हानि आस्तियों का हिस्सा वर्ष 2016-17 के दौरान बढ़ा जिससे एनपीए में अधिक उतार-चढ़ाव न होने के संकेत मिलते हैं। वर्ष की अंतिम तिमाही में सरकारी क्षेत्र के बैंकों में ऋणों के अवमानक श्रेणी में बदलने की गति में कमी आयी (सारणी V.15)।

V.33 बड़े उधारकर्ता जिनका एक्सपोज़र ₹50 मिलियन या उससे अधिक का है, एनपीए में उनकी भागीदारी लगभग 86.5 प्रतिशत की है, जबकि मार्च 2017 के अंत की स्थिति के अनुसार कुल अग्रिमों में उनकी हिस्सेदारी 56 प्रतिशत है। सभी बड़े उधारी ऋण खाते जिनमें किसी भी प्रकार के दबाव का चिह्न है, (विशेष रूप से उल्लिखित खातों-एसएमए-ओ, एसएमए-2, एनपीए और पुनर्संरचित ऋणों सहित) पीएसबी द्वारा कुल वित्त पोषित बकाया की राशि लगभग 32 प्रतिशत है जबकि पीवीबी के मामले में यह 17.4 प्रतिशत है। इससे बैंकिंग प्रणाली में आस्तिगुणवत्ता पर मौजूद दबाव प्रदर्शित होता है (चार्ट V.12)।

V.34 इसकी पुष्टि बैंकिंग प्रणाली में उच्च गिरावट अनुपात– वर्ष के प्रारंभ में मानक अग्रिमों की तुलना में नए एनपीए का अनुपात - से होती है यद्यपि इसमें पिछले वर्ष की तुलना में कुछ सुधार हुआ है। बैंक समूहों में, 2016-17 के दौरान पीएसबी के गिरावट अनुपात में कमी आई जबकि पीवीबी के अनुपात में बढ़ोतरी हुई (चार्ट V.13)।

V.35 क्षेत्र-वार देखें तो तीन चौथाई दोष-पूर्ण ऋण गैर-प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में उद्योगों के पास संकेन्द्रित थे जिनमें

सारणी V.15: बैंक समूह-वार ऋण आस्तियों का वर्गीकरण
(मार्च अंत की स्थिति के अनुसार)

(राशि बिलियन ₹ में)

बैंक समूह	वर्ष	मानक आस्तियां		अव-मानक आस्तियां		संदिग्ध आस्तियां		हानि आस्तियां	
		राशि	प्रतिशत *	राशि	प्रतिशत *	राशि	प्रतिशत *	राशि	प्रतिशत *
पीएसबी#	2016	52,875	90.7	2,005	3.4	3,232	5.5	163	0.3
	2017	51,816	88.3	1,731	3.0	4,904	8.4	213	0.4
पीवीबी	2016	19,184	97.2	186	0.9	311	1.6	62	0.3
	2017	21,748	95.9	310	1.4	519	2.3	90	0.4
एफबी	2016	3,606	95.8	62	1.6	60	1.6	36	0.9
	2017	3,304	96.0	40	1.2	83	2.4	14	0.4
सभी एससीबी	2016	75,666	92.5	2,252	2.8	3,603	4.4	260	0.3
	2017	76,868	90.7	2,081	2.5	5,505	6.5	316	0.4

टिप्पणियां : 1. पूर्णांकन के कारण घटकों का जोड़ कुल जोड़ से असमान हो सकता है।
2. *: सकल अग्रिमों के प्रतिशत के रूप में
3. #: इसमें आईडीबीआई बैंक लि. और भारतीय महिला बैंक शामिल हैं।

स्रोत: ऑफ-साइट विवरणियां

चार्ट V.12: बड़े उधारी खातों के मामले में कुल वित्त पोषित बकाया में संभावित दबाव वाले ऋण खातों का हिस्सा

टिप्पणी: एसएमए-0, जहां मूलधन या ब्याज का भुगतान 30 दिनों से अधिक समय के लिए बकाया नहीं है परंतु खाता आरंभिक दबाव के संकेत देता हो
एसएमए-1,जहां मूलधन अथवा ब्याज का भुगतान 31-60 दिनों के लिए बकाया हो;
एसएमए-2, जहां मूलधन अथवा ब्याज का भुगतान 61-90 दिनों के लिए बकाया हो.

स्रोत: बड़े उधारों के संबंध में केन्द्रीय सूचना निक्षेपागार (सीआरआईएलसी) डेटाबेस।

चार्ट V.13: गिरावट अनुपात

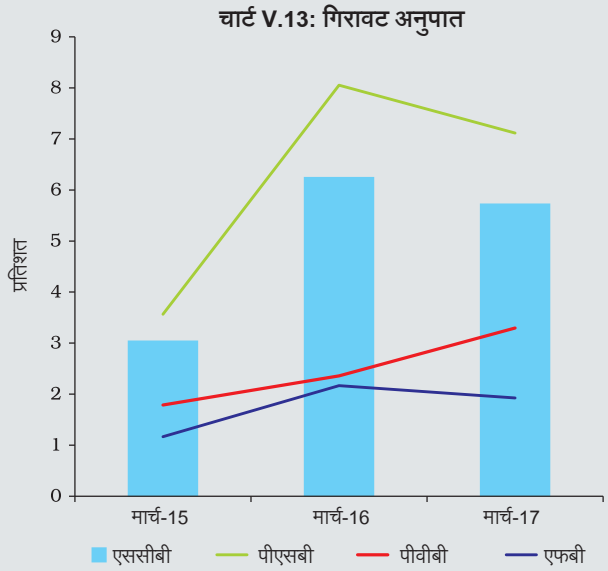

स्रोत: ऑफ-साइट विवरणियां

उच्चतम स्तर का एनपीए दर्ज किया गया, इसके बाद इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र आता है (सारणी V.16)।

V.36 उद्योगों के भीतर मूलभूत धातुएं और उत्पाद क्षेत्र में दबाव का स्तर (जीएनपीए के साथ पुन: संरचित मानक अग्रिम) उच्चतम था। अन्य औद्योगिक क्षेत्र जिनमें दबाव अधिक रहा वे थे- वाहन और परिवहन उपकरण, सीमेंट, निर्माण, वस्त्र एवं अभियांत्रिकी। सामान्यतया दबावग्रस्त उद्योगों के प्रति एक्सपोज़र के मामले में पीवीबी की तुलना में पीएसबी का एक्सपोज़र कहीं अधिक था (चार्ट V.14)।

V.37 सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) की अनर्जक आस्तियां (एनपीए) मार्च 2017 में बढ़कर 8.4 प्रतिशत हो गए जबकि खुदरा ऋणों और

सारणी V.16: बैंकों का क्षेत्र-वार एनपीए
(मार्च-अंत की स्थिति के अनुसार)

(राशि बिलियन ₹ में)

बैंक समूह	प्राथमिक क्षेत्र		जिसमें						गैर-प्राथमिकता क्षेत्र		कुल एनपीए	
			कृषि		सूक्ष्म और लघु उद्यम		अन्य					
	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत
पीएसबी*												
2016	1,281	25.5	448	8.9	658	13.1	175	3.5	3,740	74.5	5,021	100.0
2017	1,543	24.1	548	8.5	757	11.8	238	3.7	4,868	75.9	6,411	100.0
पीवीबी												
2016	101	21.0	40	8.2	47	9.6	15	3.1	382	79.0	484	100.0
2017	133	18.0	53	7.2	64	8.7	16	2.2	605	82.0	738	100.0
एफबी												
2016	23	14.3	0.4	0.3	4	2.3	19	11.7	135	85.7	158	100.0
2017	24	17.8	1	0.5	4	3.1	19	14.2	112	82.2	136	100.0
सभी एससीबी												
2016	**1,405**	**24.8**	**488**	**8.6**	**708**	**12.5**	**208**	**3.7**	**4,257**	**75.2**	**5,662**	**100.0**
2017	**1,700**	**23.3**	**602**	**8.3**	**825**	**11.3**	**273**	**3.7**	**5,585**	**76.7**	**7,285**	**100.0**

टिप्पणियां : 1. राशि : – राशि
2. #: कुल एनपीए में हिस्सा
3. *: इसमें आईडीबीआई बैंक लि. और भारतीय महिला बैंक शामिल हैं।
4. पूर्णांकन के कारण घटकों का जोड़ कुल जोड़ से असमान हो सकता है।

स्रोत: ऑफ-साइट विवरणियां (घरेलू)

चार्ट V.14: चुनिंदा उद्योगों में सकल अग्रिमों की तुलना में दबावग्रस्त आस्तियां (मार्च 2017 के अंत की स्थिति)

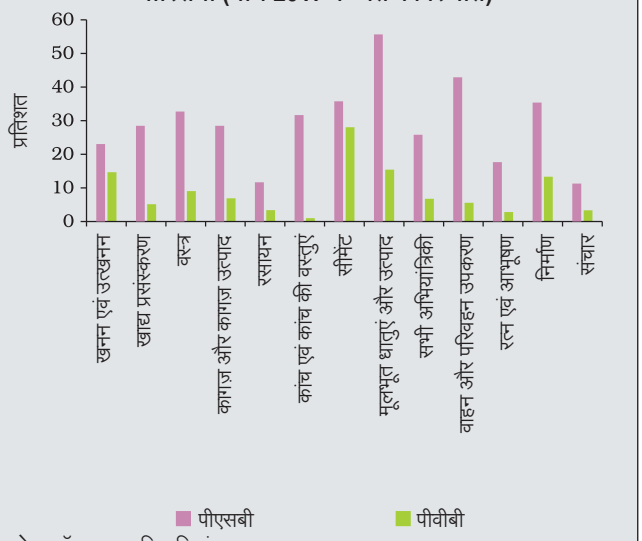

स्रोत: ऑफ-साइट विवरणियां

चार्ट V.16: प्रावधान कवरेज अनुपात

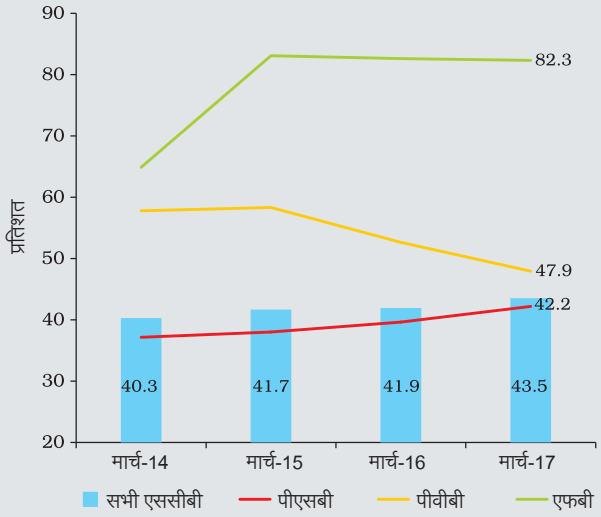

टिप्पणी: प्रावधान कवरेज अनुपात बट्टा-खाता समायोजन नहीं है।
स्रोत: ऑफ-साइट विवरणियां

भू-संपदा क्षेत्र द्वारा मध्यम एनपीए दर्ज किया जाना जारी रहा (चार्ट V.15)।

V.38 पीवीबी को छोड़कर संपूर्ण बैंकिंग प्रणाली के लिए प्रावधान कवरेज अनुपात (पीसीआर) में सुधार हुआ (चार्ट V.16)।

चार्ट V.15: चुनिंदा क्षेत्रों के लिए जीएनपीए अनुपात

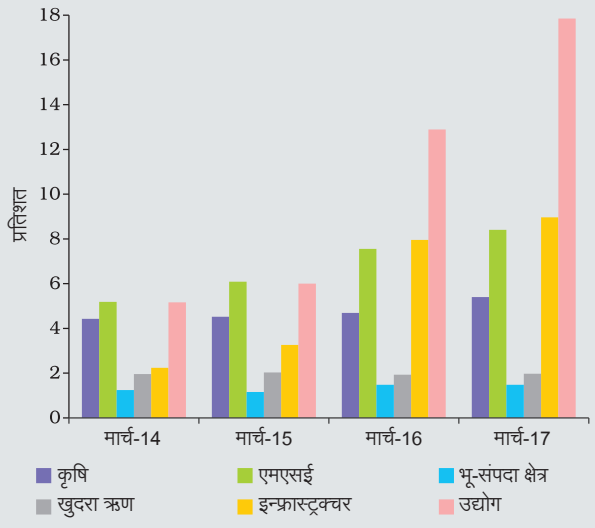

स्रोत: ऑफ-साइट विवरणियां

संशोधित त्वरित उपचारात्मक कार्रवाई ढांचा

V.39 रिज़र्व बैंक ने 31 मार्च 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए बैंकों की वित्तीय स्थिति के आधार पर 01 अप्रैल 2017 से प्रभावी संशोधित त्वरित उपचारात्मक कार्रवाई ढांचे (पीसीए) को लागू किया। पूंजी (सीआरएआर/सामान्य इक्विटी टिअर (सीईटी) 1 अनुपात), आस्ति गुणवत्ता (निवल गैर-निष्पादन आस्तियां (एनएनपीए) अनुपात), लाभप्रदता (आस्तियों पर प्रतिफल) और लीवरेज (टिअर 1 लीवरेज अनुपात) संशोधित ढांचे[4] में निगरानी हेतु मुख्य क्षेत्र हैं। किसी भी जोखिम सीमा का उल्लघंन होने से रिज़र्व बैंक द्वारा पीसीए लागू कर दिया जाएगा (सारणी V.17)। अब तक आठ पीएसबी को पीसीए के तहत लाया जा चुका है।

एनपीए की वसूली

V.40 बैंकों में एनपीए की वसूली खराब रही, मार्च 2017 के अंत में यह गिरकर 20.8 प्रतिशत हो गई जबकि 2009 में यह 61.8 प्रतिशत थी। 2016-17 के दौरान कर्ज वसूली अधिकरणों (डीआरटी) ने सर्वाधिक राशि की वसूली की।

[4] संशोधित फ्रेमवर्क में, सीईटी I अनुपात एवं टिअर I लीवरेज अनुपात को अतिरिक्त संकेतक के रूप में शामिल किया गया है। जोखिम थ्रेशहोल्ड्स का उल्लंघन करने के संबंध में विभिन्न सुधारात्मक उपायों में सुधार किया गया है।

सारणी V.17: संशोधित पीसीए मैट्रिक्स – संकेतक और जोखिम सीमाएं

संकेतक	जोखिम सीमा 1	जोखिम सीमा 2	जोखिम सीमा 3
सीआरएआर + लागू सीसीबी*	>=7.75% परंतु <10.25%	>=6.25% परंतु <7.75%	-
सीईटी I पूंजी अनुपात + लागू सीसीबी *	>=5.125% परंतु <6.75%	>=3.625% परंतु <5.125%	<3.625%
एनएनपीए अनुपात	>=6.0% परंतु <9.0%	>=9.0% परंतु <12.0%	>=12.0%
आरओए	दो लगातार वर्षों के लिए ऋणात्मक आरओए	तीन लगातार वर्षों के लिए ऋणात्मक आरओए	चार लगातार वर्षों के लिए ऋणात्मक आरओए
टिअर I लीवरेज अनुपात	>=3.5% but <= 4.0%	<3.5%	-

टिप्पणी*: 31 मार्च 2017, 31 मार्च 2018 और 31 मार्च 2019 के लिए अनुमेय सीसीबी क्रमश: 1.25%, 1.875% और 2.5% है।
स्रोत: भारतीय रिज़र्व बैंक

इसके बाद वित्तीय आस्ति प्रतिभूतिकरण और पुन: निर्माण एवं प्रतिभूतित हित प्रवर्तन (एसएआरएफएईएसआई) अधिनियम और लोक अदालतें रहीं। नए अधिकरणों की स्थापना, मौजूदा इन्फ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ बनाना और न्यायालयीन मामलों के कंप्यूटरीकृत निपटारे से डीआरटी के मामलों में उल्लेखनीय सुधार हुआ। (सारणी V.18)।

V.41 प्रतिभूति हित लागू कराने के लिए एसएआरएफएईएसआई अधिनियम, 2002 के तहत बैंकों के पास पंजीकृत प्रतिभूति कंपनियों/ पुन: निर्माण कंपनियों (एससी/आरसी) को प्रत्येक बिक्री के लिए कुछ मार्जिन लेते हुए एनपीए की बिक्री करना भी बैंकों के पास एक विकल्प है। एससी/आरसी द्वारा की गई एनपीए की खरीद का विश्लेषण इस बात की ओर संकेत करता है कि आस्तियों के बही मूल्य के अनुपात में अधिग्रहण लागत मार्च 2014 के 28.7 प्रतिशत से बढ़कर मार्च 2017 में 36 प्रतिशत हो गई है जो यह दर्शाता है कि बैंकों को एनपीए की बिक्री के कारण मार्जिन कम उठाना पड़ा।

V.42 हाल के वर्षों में पीवीबी और एफबी द्वारा एससी/आरसी को दबावग्रस्त आस्तियों की बिक्री में तीखी तेजी देखने को मिली है तथापि, पीएसबी द्वारा एनपीए की बिक्री में थोड़ी ही तेजी रही (चार्ट V.17)।

सारणी V.18: विविध माध्यमों के जरिए एससीबी का वसूला गया एनपीए

(राशि बिलियन ₹ में)

वसूली माध्यम	2015-16				2016-17			
	संदर्भित मामलों की संख्या	शामिल राशि	वसूली गई राशि *	कॉलम (3) के प्रतिशत के रूप में कॉलम (4)	संदर्भित मामलों की संख्या	शामिल राशि	वसूली गई राशि *	कॉलम (7) के प्रतिशत के रूप में कॉलम (8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
i) लोक अदालत	4,456,634	720	32	4.4	2,152,895	1,058	38	3.6
ii) डीआरटी	24,537	693	64	9.2	28,902	671	164	24.4
iii) एसएआरएफएईएसआई अधिनियम	173,582	801	132	16.5	80,076	1,131	78	6.9
कुल	**4,654,753**	**2,214**	**228**	**10.3**	**2,261,873**	**2,860**	**280**	**9.8**

टिप्पणियां : 1. *: वर्ष के दौरान वसूल की गई राशि को संदर्भित करता है जो कि वर्ष के दौरान और पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान भी संदर्भित मामलों के विषय में हो सकती है।
2. डीआरटी- ऋण वसूली न्यायाधिकरण।

चार्ट V.17: एससी/आरसी को दबावग्रस्त आस्तियों की बिक्री

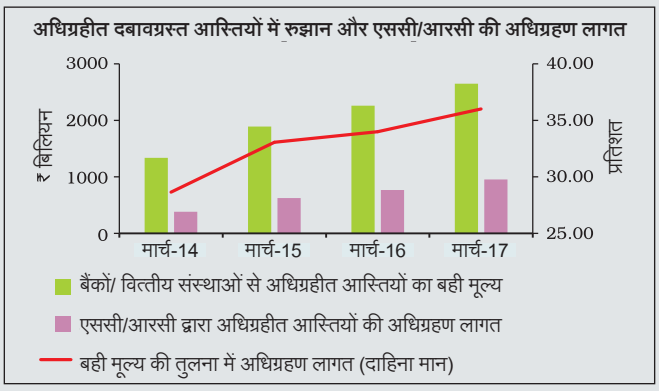

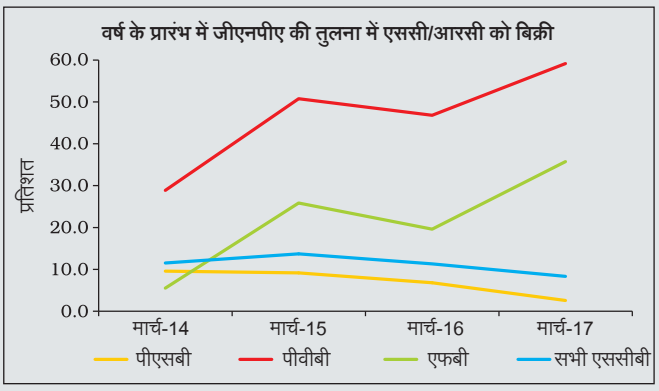

स्रोत: एससी/आरसी द्वारा प्रस्तुत किए गए तिमाही विवरण

सारणी V.19: एससी/आरसी द्वारा प्रतिभूत वित्तीय आस्तियों का ब्यौरा

(राशि बिलियन ₹ में)

मद	जून-14	जून-15	जून-16	जून-17
1. अधिग्रहीत आस्तियों का बही मूल्य	1598	1750	2377	2627
2. एससी/आरसी द्वारा निर्गत प्रतिभूति रसीदें	520	536	790	940
3. द्वारा अभिदत्त प्रतिभूति रसीदें				
(ए) बैंक	429	441	651	777
(बी) एससी/आरसी	74	73	114	142
(सी) एफआईआई	1	1	3	3
(डी) अन्य (पात्र संस्थागत खरीदार)	16	21	22	18
4. पूर्णतया मोचित प्रतिभूति रसीदों की राशि	107	123	149	156

स्रोत: एससी/आरसी द्वारा प्रस्तुत तिमाही विवरण.

V.43 विक्रेता बैंकों को कुल निर्गत प्रतिभूति प्राप्तियों (एसआर) के 80 प्रतिशत से अधिक का अभिदान मिला (सारणी V.19)।

V. बैंक ऋण का क्षेत्रवार वितरण

क्षेत्रवार अभिनियोजन

V.44 समग्र स्तर पर कहा जा सकता है कि 2016-17 में खाद्येतर ऋण की वृद्धि में कमी आई, जिस वजह से 2015 में शुरू हुआ मंदी का दौर जारी रहा। उद्योगों को प्रदत्त ऋण में कमी आई जिसका कुल खाद्येतर ऋण में 38 प्रतिशत हिस्सा होता है। इस श्रेणी के अंतर्गत, इन्फ्रास्ट्रक्चर को प्रदत्त ऋण में बहुत ज्यादा गिरावट आई। सेवा क्षेत्र को प्रदत्त ऋण में वृद्धि हुई, ख़ास तौर पर व्यापार में। गैर-बैंक वित्त कंपनियों (एनबीएफसी), जिनका सेवा क्षेत्र को प्रदत्त ऋण में पांचवें से अधिक हिस्सा है, को प्रदत्त ऋण में यद्यपि 2016-17 के दौरान थोड़ी कमी आई तथापि वह दो अंकों में रहा (सारणी V.20)।

V.45 कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों को प्रदत्त ऋण और व्यक्तिगत ऋणों की वृद्धि में भी गिरावट पाई गई (चार्ट V.18)।

खुदरा ऋण

V.46 आवास ऋण, जिसका बैंकों के खुदरा ऋण पोर्टफोलियो में आधे से ज्यादा हिस्सा है, में तेजी से गिरावट आई, जिसकी वजह विमुद्रीकरण का अल्पकालिक प्रभाव एवं स्थावर संपदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम के कार्यान्वयन से जुड़ी अनिश्चितता थी।

सारणी V.20: सकल बैंक ऋण का क्षेत्र-वार अभिनियोजन

(राशि बिलियन ₹ में)

क्र. सं	मद	की स्थिति के अनुसार बकाया		प्रतिशतता परिवर्तन	
		मार्च-16	मार्च-17	2015-16	2016-17
1	**कृषि तथा संबद्ध गतिविधियां**	**8,829**	**9,924**	**15.3**	**12.4**
2	**उद्योग**, *जिसमें से*	**27,307**	**26,800**	**2.7**	**-1.9**
	2.1 इन्फ्रास्ट्रक्चर	9,648	9,064	4.4	-6.1
	2.2 सूक्ष्म एवं लघु उद्योग	3,715	3,697	-2.3	-0.5
3	**सेवाएं**, *जिसमें से*	**15,411**	**18,022**	**9.1**	**16.9**
	3.1 व्यापार	3,811	4,279	4.2	12.3
	3.2 वाणिज्यिक स्थावर संपदा	1,776	1,856	6.7	4.5
	3.3 पर्यटन, होटल तथा रेस्तरां	371	375	0.1	1.2
	3.4 कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	191	179	10.9	-6.3
	3.5 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां	3,527	3,910	13.2	10.9
4	**व्यक्तिगत ऋण**, *जिसमें से*	**13,922**	**16,200**	**19.4**	**16.4**
	4.1 क्रेडिट कार्ड बकाया	377	521	23.7	38.4
	4.2 शिक्षा	682	701	7.7	2.7
	4.3 आवास(प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र आवास सहित)	7,468	8,601	18.8	15.2
	4.4 सावधि जमाराशियों के बदले में अग्रिम (एफसीएनआर(बी), एनआरएनआर जमाराशियां आदि शामिल हैं)	667	661	6.7	-0.9
5	**खाद्येत्तर ऋण (1-4)**	**65,469**	**70,946**	**9.1**	**8.4**
6	**सकल बैंक ऋण**	**66,500**	**71,347**	**9.0**	**7.3**

टिप्पणी: प्रतिशतता परिवर्तन में थोड़ा अंतर हो सकता है क्योंकि निरपेक्ष संख्याओं को ₹ बिलियन में पूर्णांकित किया गया है।
स्रोत: बैंक ऋण का क्षेत्र-वार अभिनियोजन,भारतीय रिज़र्व बैंक।

जून 2017 में, व्यक्तिगत आवास ऋणों की कुछ श्रेणियों में जोखिम भार एवं मानक आस्तियों के लिए किए गए प्रावधान में कटौती

चार्ट V.18: प्रमुख क्षेत्रों के ऋण में वृद्धि

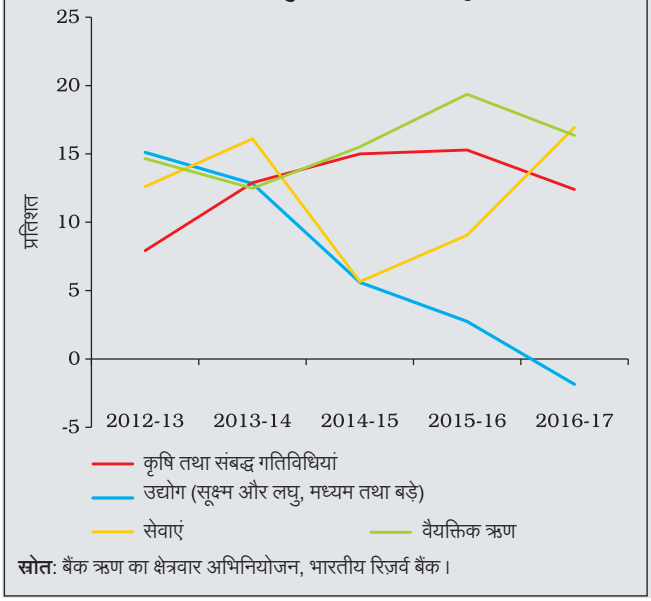

स्रोत: बैंक ऋण का क्षेत्रवार अभिनियोजन, भारतीय रिज़र्व बैंक।

की गई ताकि आवास क्षेत्र को बढ़ावा दिया जा सके। ऑटो ऋण, जो खुदरा ऋणों का दूसरा बड़ा घटक है, में सुदृढ़ वृद्धि जारी रही, हालांकि 2016-17 में कुछ कमी आई। इसी तरह, उपभोक्ता वस्तुओं एवं क्रेडिट कार्ड उधार के मामले में ऋण काफी अधिक था, जबकि शिक्षा ऋणों में गिरावट आई तथा मीयादी जमाराशियों के बदले प्रदत्त अग्रिमों में गिरावट आई (सारणी V.21)।

प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र ऋण

V.47 वर्ष के दौरान समग्र ऋण में गिरावट के समान ही प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र में भी ऋण की वृद्धि दर में तेजी से गिरावट आई। फिर भी, रिज़र्व बैंक द्वारा प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र विनियमन की रिपोर्टिंग एवं निगरानी की कार्य-प्रणाली में परिवर्तन की बदौलत इसे सहारा मिला[5] (चार्ट V.19)।

V.48 पीवीबी ने प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के संबंध में समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) या तुलनपत्र से इतर एक्सपोज़र (ओबीई) की समतुल्य ऋण राशि, जो भी अधिक है, के 40 प्रतिशत के कुल लक्ष्य को पार किया, लेकिन कुल कृषि, छोटे और सीमांत किसानों, गैर-कॉर्पोरेट व्यक्तिगत किसानों एवं कमजोर वर्गों के संबंध में कुछ उप-लक्ष्यों की प्राप्ति में कमियां

सारणी V.21: बैंकों का खुदरा ऋण पोर्टफोलियो

(राशि ₹ बिलियन में)

क्र. सं.	मद	बकाया राशि		प्रतिशतता परिवर्तन	
		2016	2017	2016	2017
1	आवास ऋण	7625	8530	18.5	11.9
2	उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं	182	215	-0.3	18.4
3	क्रेडिट कार्ड प्राप्तियां	469	649	24.2	38.3
4	ऑटो ऋण	1543	1866	24.0	20.9
5	शिक्षा ऋण	681	728	9.5	6.9
6	सावधि जमाराशियों के बदले में अग्रिम (एफसीएनआर(बी),आदि सहित)	723	680	11.4	-6.0
7	व्यक्तियों को शेयर, बॉण्ड आदि के बदले में अग्रिम	52	51	-10.0	-2.8
8	अन्य खुदरा ऋण	2689	3355	-4.2	24.8
	कुल खुदरा ऋण	**13965 (19.2)**	**16074 (21.2)**	**12.9**	**15.1**

टिप्पणी: 1. कोष्टक में दिए गए आंकड़े कुल ऋणों और अग्रिमों में खुदरा ऋणों का प्रतिशत हिस्सा दर्शाते हैं। कुल ऋणों और अग्रिमों की राशि अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की ऑफसाइट विवरणियों (देशी) में दिए अनुसार है।
2. प्रतिशतता परिवर्तन में थोड़ा अंतर हो सकता है क्योंकि निरपेक्ष संख्याओं को ₹ बिलियन में पूर्णांकित किया गया है।

स्रोत: ऑफ-साइट विवरणियां

चार्ट V.19: प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को प्रदत्त ऋण में वृद्धि

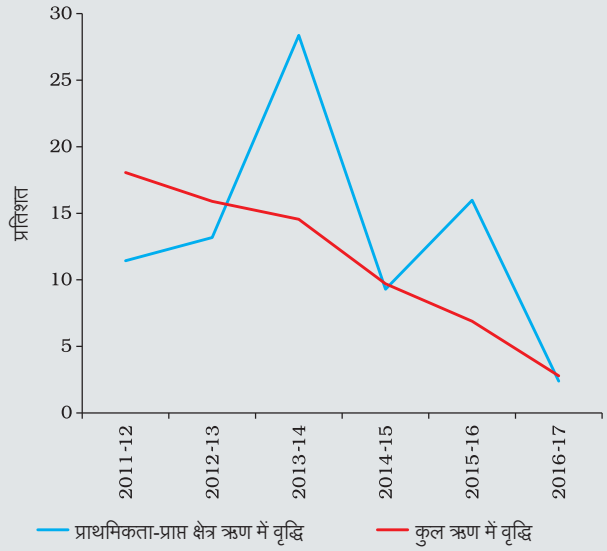

स्रोत: बैंकों के वार्षिक लेखे तथा ऑफ-साइट विवरणियां

पाई गईं। प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के कुल लक्ष्य को पाने में पीएसबी बहुत थोड़े अंतर से चूक गए, लेकिन सूक्ष्म उद्यमों के लिए निर्धारित लक्ष्यों को छोड़कर विभिन्न प्रकार के अन्य उप-लक्ष्यों को हासिल करने में कामयाब रहे (सारणी V.22)।

प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र उधार प्रमाणपत्र

V.49 प्राथमिकता क्षेत्र उधार प्रमाणपत्र (पीएसएलसी) अप्रैल 2016 में लागू किया गया, जो विभिन्न बैंकों की तुलनात्मक शक्तियों का लाभ उठाते हुए प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के लक्ष्यों को पाने में बाजार तंत्र की मदद करता है। आम तौर पर पीवीबी और एफबी पीएसएलसी के क्रेता हैं, जबकि पीएसबी, एसएफबी और आरआरबी विक्रेता हैं। वर्ष 2016-17 के दौरान पीएसएलसी का कुल व्यापार मूल्य ₹498 बिलियन था, जिसमें से 48.3 प्रतिशत व्यापार 2016-17 की चौथी तिमाही में किया गया। यह पाया गया है कि ज्यादातर व्यापार प्रत्येक तिमाही के अंतिम माह में ही किया जाता है, जिससे क्रेता बैंकों को कारोबार की दृष्टि से लाभ होता है, क्योंकि उन्हें तिमाही के अंत में ही प्रीमियम का भुगतान करना पड़ता है ताकि मुद्रा का अधिकतम आवधिक मूल्य प्राप्त किया जा सके। विभिन्न श्रेणियों में पीएसएलसी के

[5] 2016-17 से, प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र की, लक्ष्य की तुलना में उपलब्धि की निगरानी वित्त वर्ष के अंत के स्थान पर प्रत्येक समाप्त तिमाही में प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र की, लक्ष्य/उप-लक्ष्य की तुलना में उपलब्धि के औसत के अनुसार की जाने लगी।

सारणी V.22: बैंकों द्वारा प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार

(31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार)

(राशि ₹ बिलियन में)

मद	लक्ष्य/उप लक्ष्य (एएनबीसी/ ओबीई का प्रतिशत)	सरकारी क्षेत्र के बैंक		निजी क्षेत्र के बैंक		विदेशी बैंक	
		बकाया राशि	एएनबीसी/ ओबीई का प्रतिशत	बकाया राशि	एएनबीसी /ओबीई का प्रतिशत	बकाया राशि	एएनबीसी/ ओबीई का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8
प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को कुल अग्रिम	**40**	**19,889**	**39.5**	**7,110**	**42.5**	**1,238**	**36.9**
जिसमें से							
कुल कृषि	18	9,229	18.3	2,762	16.5	176	-
लघु और सीमांत किसान	8	4,375	8.7	920	5.5	-	-
गैर-कॉर्पोरेट वैयक्तिक किसान #	11.7	6,273	12.5	1,750	10.5	-	-
सूक्ष्म उद्यम	7.5	3,151	6.3	1,386	8.3	-	-
कमजोर वर्ग	10	5,753	11.4	1,507	9.0	53	-

टिप्पणियां: 1. -: शून्य/नगण्य।
2. डाटा अनंतिम हैं।
3. # देशी एससीबी को निदेश दिया गया था कि वे यह सुनिश्चित करे कि उनके द्वारा गैर-कॉर्पोरेट किसान को प्रदत्त उधार पूरी प्रणाली के गत तीन वर्षों की उपलब्धि के औसत से कम न होने पाए। लाभार्थियों को, प्रत्यक्ष रूप से 13.5 प्रतिशत उधार देने के लिए भरसक प्रयास किया जानी चाहिए, जो पहले प्रत्यक्ष कृषि क्षेत्र में आते थे। प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र उधार के अंतर्गत उपलब्धि की गणना करने के लिए लागू प्रणाली व्याप्त औसत आंकड़ा प्रत्येक वर्ष में अधिसूचित किया जाएगा। वित्त वर्ष 2016-17 के लिए, लागू प्रणाली व्याप्त औसत आंकड़ा 11.70 प्रतिशत है।
4. 31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार, प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र उधार के संबंध में निर्धारित लक्ष्य/ उप-लक्ष्य, एएनबीसी या ओबीई की ऋण समतुल्य राशि के प्रतिशत के रूप में, जो भी गत वर्ष के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार अधिक हो, 20 या उससे अधिक शाखाओं वाले देशी एससीबी/ विदेशी बैंकों पर लागू होगा। 20 एवं उससे अधिक शाखाओं वाले विदेशी बैंकों के मामले में कुल प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र, कुल कृषि एवं कमजोर वर्गों के संबंध में लक्ष्य की प्राप्ति मार्च 2018 तक की जानी है। 20 एवं उससे अधिक शाखाओं वाले विदेशी बैंकों के लिए लघु एवं सीमांत किसानों और सूक्ष्म-उद्यमों हेतु उप-लक्ष्य का निर्धारण 2017 में समीक्षा उपरांत 2018 के बाद लागू किया जाएगा।
5. 20 से कम शाखाओं वाले विदेशी बैंकों के लिए एएनबीसी या ओबीई की ऋण समतुल्य राशि के 40 प्रतिशत का लक्ष्य, जो भी गत वर्ष के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार अधिक हो, मार्च 2020 तक चरणबद्ध रूप से प्राप्त किया जाना है।

संबंध में सर्वाधिक भारित औसत प्रीमियम 2016-17 की पहली तिमाही में पाए गए थे क्योंकि पहली तिमाही के दौरान खरीदे गए पीएसएलसी को सभी चार त्रैमासिक रिपोर्टिंग तिथियों में उपलब्धि माना जा सकता है।

V.50 पीएसएलसी – छोटे एवं सीमांत किसानों (एसएमएफ) के संबंध में पीएसएलसी प्रीमियम सर्वाधिक पाए गए थे, क्योंकि यह एकमात्र पीएसएलसी है जिसे इन सभी लक्ष्यों, यथा- एसएमएफ, गैर-कॉर्पोरेट किसानों, कृषि, समग्र प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र एवं कमजोर वर्गों के अंतर्गत उपलब्धि माना सकता है। पीएसएलसी-सामान्य के मामले में प्रीमियम सबसे कम पाए गए थे, जिसकी गणना केवल समग्र लक्ष्य के संदर्भ में की जाती है।

संवेदनशील क्षेत्रों को ऋण

V.51 वर्ष 2016-17 के दौरान संवेदनशील क्षेत्रों को प्रदत्त ऋण में गिरावट आई। स्थावर संपदा क्षेत्र, जिसका संवेदनशील क्षेत्रों को प्रदत्त कुल ऋणों में 93 प्रतिशत हिस्सा है, विमुद्रीकरण की वजह से बुरी तरह से प्रभावित हुआ जो ऋणों के प्रति माँग में भी परिलक्षित हुआ। एससीबी के कुल ऋणों और अग्रिमों का लगभग 20 प्रतिशत स्थावर संपदा क्षेत्र को जाता है। पीएसबी ने इस क्षेत्र को बराबर ऋण प्रदान करना जारी रखा, जबकि पीवीबी के मामले में गिरावट आई (परिशिष्ट सारणी V.4)।

VI. पूंजी बाजार में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के परिचालन

V.52 वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 में अब तक, अन्य क्षेत्रों की तुलना में बैंक के शेयरों ने बेहतर प्रदर्शन किया जिसकी वजह से निफ्टी बैंक सूचकांक ने निफ्टी 50 को पीछे छोड़ा। निफ्टी बैंक सूचकांक में उतार-चढ़ाव के पीछे कई कारण थे, जो इसे प्रकार हैं, बैंकों की आस्ति गुणवत्ता में गिरावट, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी), 2016 का अधिनियमन, मौद्रिक नीति दर में उदारता बरतना, विमुद्रीकरण के चलते नकदी की भरमार के परिणामस्वरूप देशी म्युचुअल फंड द्वारा निवल खरीद, वैश्विक स्तर पर शेयर बाजार की स्थिति अनुकूल होने की वजह से विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) द्वारा निवल खरीद, रिज़र्व बैंक द्वारा पीसीए ढांचे का संशोधन, बैंककारी विनियम (संशोधन) अध्यादेश, 2017 की घोषणा एवं रिज़र्व बैंक द्वारा दबावग्रस्त आस्तियों की पहचान ताकि आईबीसी के जरिए उसका समाधान किया जा सके। वर्ष 2016-17 की पहली तिमाही में, निफ्टी निजी बैंक सूचकांक ने निफ्टी पीएसयू

चार्ट V.20: बैंक सूचकांक और निफ्टी 50 में सापेक्ष कार्य-निष्पादन

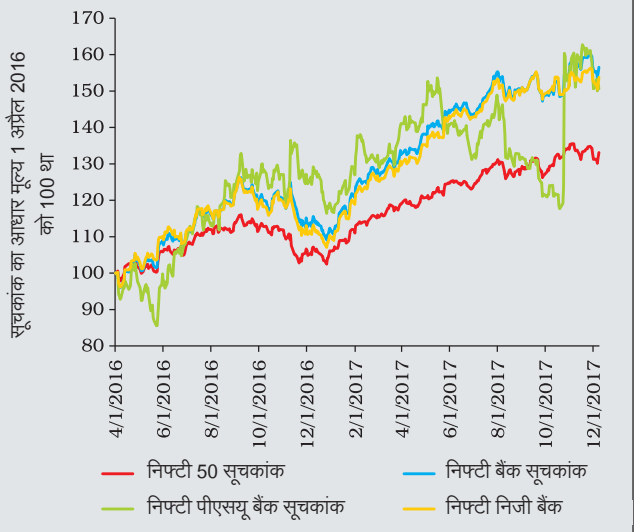

स्रोत: थॉमसन रॉयटर्स ईकॉन।

चार्ट V.21: बैंकिंग क्षेत्र की कुल आस्तियों और लाभ में बैंक समूह-वार हिस्सा (मार्च के अंत में)

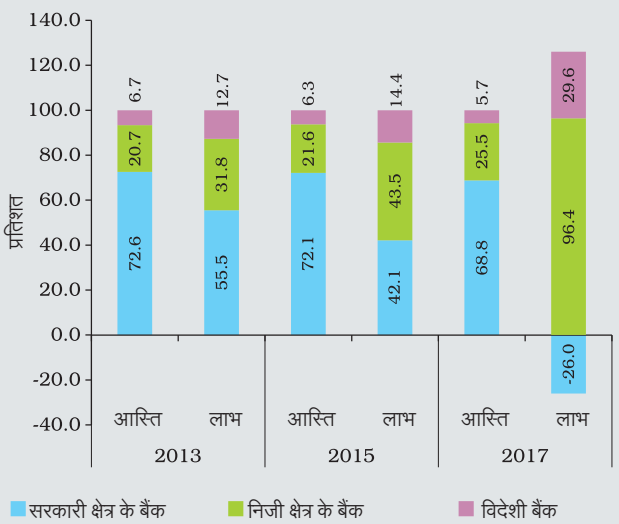

स्रोत: बैंको के वार्षिक लेखे।

बैंक सूचकांक की अपेक्षा बेहतर लाभ दर्ज किया। फिर भी, वर्ष के अंत में निफ्टी पीएसयू बैंक सूचकांक ने निफ्टी निजी बैंक सूचकांक को पीछे छोड़ा, जो संभवतः निवेशकों द्वारा पीएसबी के शेयरों की मूल्य खरीद, पीएसबी की संभावित पुनर्रचना, एनपीए की समस्या का वक्त से पहले समाधान करने की उम्मीद एवं नए एनपीए की वृद्धि में गिरावट की वजह से हो पाया। मई 2017 में, बैंककारी विनियमन (संशोधन) अध्यादेश, 2017[6] के प्रवर्तन के बाद, जो रिज़र्व बैंक को अधिकार प्रदान करता है कि वह आईबीसी, 2016 के अंतर्गत बैंकों को निदेश दे कि चूक होने की स्थिति में कॉर्पोरेट उधारकर्ताओं के मामले में दिवाला कार्यवाही शुरू की जाए और रिज़र्व बैंक द्वारा कतिपय खातों की पहचान किए जाने के उपरांत निफ्टी पीएसयू बैंक सूचकांक नीचे आया तथापि 24 अक्टूबर 2017 को सरकार द्वारा बैंकों के पुनर्पूंजीकरण की घोषणा किए जाने के बाद निफ्टी पीएसयू बैंक सूचकांक में तेजी से सुधार आया हालांकि उसके बाद यह पुन: नीचे आया (चार्ट V.20)।

VII. अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में स्वामित्व का स्वरूप

V.53 भारतीय बैंकिंग प्रणाली में पीएसबी के वर्चस्व के बावजूद पीवीबी का हिस्सा हाल के वर्षों में बढ़ता जा रहा है (चार्ट V.21)।

V.54 वर्ष 2016-17 के दौरान, 27 में से 13 पीएसबी की पब्लिक शेयरधारिता में पुनर्पूंजीकरण की वजह से इजाफा हुआ (चार्ट V.22)।

V.55 मार्च 2017 के अंत में, पीएसबी की अधिकतम विदेशी शेयरधारिता मात्र 12.2 प्रतिशत तक थीं। इसके विपरीत, चार

चार्ट V.22: सरकारी क्षेत्र के बैंकों में जनता की शेयरधारिता

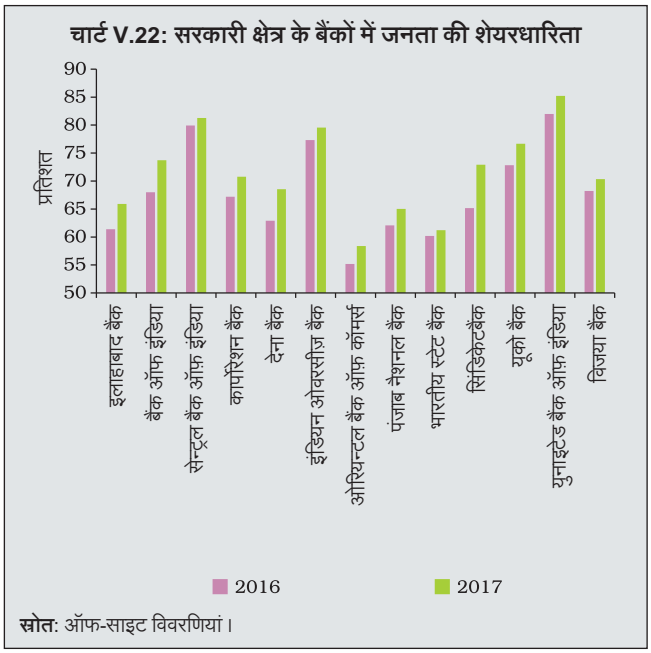

स्रोत: ऑफ-साइट विवरणियां।

[6] तदनुसार, संसद द्वारा बैंकिंग विनियम (संशोधन) अधिनियम, 2017 अधिनियमित किया गया, जिसे राष्ट्रपति की सहमति 25 अगस्त 2017 को प्राप्त हुई।

पीवीबी की विदेशी शेयरधारिता 50 प्रतिशत से अधिक थी (परिशिष्ट सारणी V.5)।

VIII. भारत में विदेशी बैंकों के परिचालन एवं भारतीय बैंकों के सीमापार परिचालन

V.56 मार्च 2017 के अंत में, 44 विदेशी बैंक 295 शाखाओं के माध्यम से परिचालन कर रहे थे जबकि 2016 में 46 विदेशी बैंक 325 शाखाओं के माध्यम से परिचालनरत थे। इसके अतिरिक्त, विदेशी बैंकों के कुल 39 प्रतिनिधि कार्यालय थे। भारतीय बैंकों की बात करते हैं तो पता चलता है कि उनकी 186 शाखाओं के साथ 26 अनुषंगियां, 53 प्रतिनिधि कार्यालय एवं 8 संयुक्त उद्यम विदेश में परिचालन कर रहे थे। वर्ष के दौरान भारतीय बैंकों की शाखाओं की संख्या में गिरावट आई जो उनकी संख्या को युक्तिसंगत बनाने के प्रयासों की वजह से हुई ताकि कार्य क्षमता को बढ़ाया जा सके और लागत को कम किया जा सके (सारणी V.23)। विदेश में परिचालन कर रहे भारतीय बैंकों के विपरीत, कोई भी विदेशी बैंक भारत में पूर्णतः स्वाधिकृत सहायक कंपनी के तौर पर कार्य नहीं करता, भले ही रिज़र्व बैंक द्वारा उनके साथ करीब-करीब राष्ट्रीय बैंकों जैसा बर्ताव किया जाता है।

सारणी V.23: भारतीय बैंकों का विदेशों में परिचालन

(मार्च के अंत में)

बैंक का नाम	शाखा		सहायक संस्था		प्रतिनिधि कार्यालय		संयुक्त उद्यम बैंक		अन्य कार्यालय*		कुल	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	**168**	**166**	**23**	**23**	**35**	**35**	**7**	**8**	**33**	**36**	**266**	**268**
1 इलाहाबाद बैंक	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
2 आन्ध्रा बैंक	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	2	2
3 बैंक ऑफ बड़ौदा	51	50	9	9	1	1	2	2	10	10	73	72
4 बैंक ऑफ इंडिया	28	29	5	5	5	4	0	0	0	0	38	38
5 केनरा बैंक	8	8	0	1	1	1	0	0	0	0	9	10
6 सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	2	2
7 कार्पोरेशन बैंक	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	2	2
8 देना बैंक	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1
9 इंडियन बैंक	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4
10 इंडियन ओवरसीज़ बैंक	8	8	0	0	3	2	0	0	3	3	14	13
11 आईडीबीआई बैंक लि.	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
12 पंजाब नैशनल बैंक	3	3	3	2	3	4	1	2	0	0	10	11
13 भारतीय स्टेट बैंक	55	53	5	5	7	7	4	4	20	23	91	92
14 स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1
15 स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1
16 सिंडिकेटबैंक	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
17 यूको बैंक	4	4	0	0	0	1	0	0	0	0	4	5
18 यूनियन बैंक	4	4	1	1	3	3	0	0	0	0	8	8
19 युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	2	2
20 ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1
II. निजी क्षेत्र के बैंक	**20**	**20**	**3**	**3**	**18**	**18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**41**	**41**
21 एक्सिस बैंक	5	5	1	1	3	3	0	0	0	0	9	9
22 एचडीएफसी बैंक लिमिटेड	3	3	0	0	3	3	0	0	0	0	6	6
23 आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड	12	12	2	2	6	5	0	0	0	0	20	19
24 इंडसइंड बैंक लिमिटेड	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	3	3
25 फेडरल बैंक लिमिटेड	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	1	2
26 कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1
27 यस बैंक	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1
सभी बैंक	**188**	**186**	**26**	**26**	**53**	**53**	**7**	**8**	**33**	**36**	**307**	**309**

टिप्पणी: * अन्य कार्यालयों में विपणन/उप-कार्यालय,विप्रेषण केंद्र इत्यादि शामिल है।
स्रोत: भारतीय रिज़र्व बैंक।

चार्ट V.23: खुदरा भुगतान लिखत

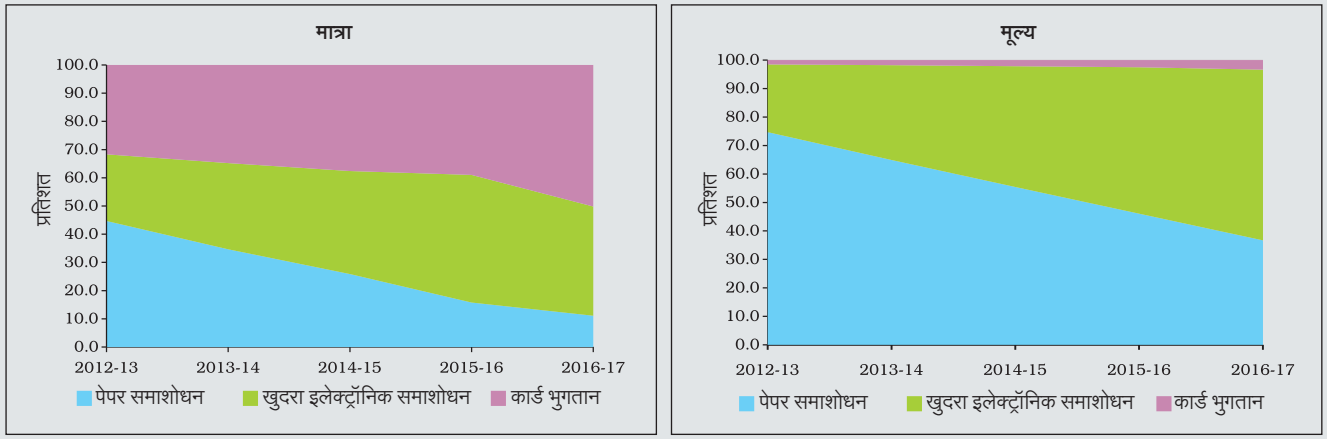

टिप्पणी: कार्ड भुगतान में प्री-पेड भुगतान लिखतों के जरिए किए गए भुगतान शामिल हैं।

IX. अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के भुगतान प्रणाली संकेतक

V.57 रिज़र्व बैंक ने विभिन्न नीतिगत उपाय किए हैं ताकि भुगतान प्रणाली ढांचे को बड़ा एवं सुदृढ़ किया जा सके और विभिन्न नवोन्मेषी उत्पादों की शुरुआत की जा सके जो सुलभ, सुविधाजनक, किफायती एवं सुरक्षित हो जैसा कि भुगतान प्रणाली विज़न दस्तावेज 2016-18 में उल्लिखित है। उच्च मूल्यवर्ग के एसबीएन को परिचालन से वापस लेने की वजह से 'समाज द्वारा नकदी का कम से कम उपयोग किए जाने' के उद्देश्य को बढ़ावा मिला क्योंकि जनता ने कार्ड आधारित लेनदेनों एवं इलेक्ट्रानिक भुगतानों की विभिन्न विधियों (जैसे, एनएसीएच, एनईएफटी, यूपीआई, पीपीआई एवं आईएमपीएस) को अपनाया। वर्ष 2016-17 के दौरान, मात्रा के संदर्भ में 88.8 प्रतिशत गैर-नकदी खुदरा भुगतान एवं मूल्य के संदर्भ में 63.3 प्रतिशत गैर-नकदी खुदरा भुगतान कार्ड एवं इलेक्ट्रॉनिक विधियों के माध्यम से किए गए थे (चार्ट V.23)।

एटीएम की संख्या में वृद्धि

V.58 एटीएम की संख्या में वृद्धि हुई और मार्च 2017 के अंत में एटीएम की कुल संख्या ने 0.2 मिलियन का आंकड़ा पार किया (सारणी V.24)।

V.59 फिर भी, हाल के वर्षों में विभिन्न बैंक समूहों के एटीएम की संख्या लगातार गिरने से ये संकेत मिल रहे हैं कि एटीएम की संख्या में वृद्धि की और अधिक संभावना नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक लेनदेनों, नकदी आहरणों की संख्या पर अंकुश लगाने एवं खुदरा भुगतान के लिए क्रेडिट/ डेबिट कार्ड के अधिकाधिक प्रयोग इसकी वजह हो सकती है। साथ ही, एटीएम में लेनदेनों की लागत अधिग्राहक द्वारा वसूले गए इंटरचेंज की अपेक्षा ज्यादा है। इसलिए, बैंक नए एटीएम स्थापित करने के खिलाफ हैं (चार्ट V.24)।

ऑफ-साइट एटीएम

V.60 सभी एससीबी के कुल एटीएम में ऑफ-साइट एटीएम का हिस्सा 50 प्रतिशत से कम रहा। फिर भी, पीएसबी के मामले में, जिसका कुल एटीएम में 71 प्रतिशत हिस्सा है, ऑफ-साइट एटीएम का हिस्सा मात्र 41.7 प्रतिशत था जबकि पीवीबी और एफबी के मामले में क्रमशः 60.8 प्रतिशत एवं 77.3 प्रतिशत था (सारणी V.24)।

व्हाइट लेबल एटीएम

V.61 मार्च 2017 के अंत तक गैर-बैंक संस्थाओं द्वारा स्थापित, स्वाधिकृत एवं परिचालित व्हाइट लेबल एटीएम (डब्ल्यूएलए)

सारणी V.24 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के एटीएम

(मार्च 2017 के अंत में)

क्र. सं.	बैंक समूह	ऑन साइट एटीएम	ऑफ साइट एटीएम	एटीएम की संख्या
1	2	3	4	5
I	सरकारी क्षेत्र के बैंक	86,545	62,010	148,555
II	निजी क्षेत्र के बैंक	23,045	35,788	58,833
III	विदेशी बैंक	219	747	966
IV	सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक	**109,809**	**98,545**	**208,354**

टिप्पणी: आंकड़ें श्वेत लेबल एटीएम को छोड़कर।

चार्ट V.24: एटीएम की वृद्धि

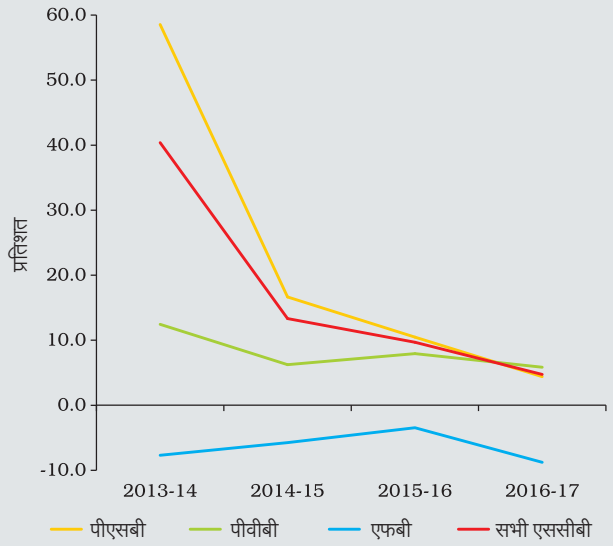

टिप्पणी: डाटा में डब्ल्यूएलए शामिल नहीं हैं।

की संख्या 8.9 प्रतिशत बढ़कर 14,121 हो गई। इस ओर ध्यान देने की जरूरत है कि 88.7 प्रतिशत डब्ल्यूएलए का परिचालन मात्र दो डब्ल्यूएलए परिचालकों द्वारा किया जा रहा है। शहरी एवं महानगरीय केंद्रों में ज्यादातर मात्रा में स्थापित एटीएम के विपरीत, डब्ल्यूएलए का लगभग 74 प्रतिशत ग्रामीण (42.4 प्रतिशत) एवं अर्ध-शहरी केंद्रों (31.6 प्रतिशत) में स्थापित थे।

डेबिट और क्रेडिट कार्ड

V.62 एससीबी द्वारा जारी किए गए डेबिट और क्रेडिट कार्ड दोनों में वर्ष 2016-17 के दौरान 16 प्रतिशत से भी अधिक वृद्धि हुई, हालांकि डेबिट कार्ड की वृद्धि दर में फिर से गिरावट पाई गई। डेबिट कार्ड की संख्या में वृद्धि का प्रमुख कारण प्रधान मंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) के अंतर्गत जारी रूपे कार्ड था। डेबिट और क्रेडिट कार्ड के मामले में पीएसबी (82.9 प्रतिशत) और पीवीबी (62.4 प्रतिशत) की स्थिति हावी रही (सारणी V.25; चार्ट V.25)।

प्री-पेड भुगतान लिखत

V.63 विप्रेषणों के साथ-साथ वस्तुओं और सेवाओं के भुगतान के लिए प्री-पेड भुगतान लिखतों (पीपीआई) का उपयोग बढ़ता जा रहा है। एसबीएन को परिचालन से वापस लेने के कारण पीपीआई का उपयोग बढ़ा। मार्च 2017 के अंत में पीपीआई की

सारणी V.25 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा जारी किए गए क्रेडिट और डेबिट कार्ड

(मार्च 2017 के अंत में)

(राशि ₹ मिलियन में)

क्र. सं.	बैंक समूह	क्रेडिट कार्डों की बकाया संख्या		डेबिट कार्डों की बकाया संख्या	
		2016	2017	2016	2017
1	2	3	4	5	6
I	सरकारी क्षेत्र के बैंक	5.0	6.1	548.5	639.5
II	निजी क्षेत्र के बैंक	14.7	18.6	110.3	128.2
III	विदेशी बैंक	4.7	5.1	3.0	4.0
IV	सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक	**24.5**	**29.8**	**661.8**	**771.6**

स्रोत: पूर्णांकन के कारण आंकडों का जोड़ कुल जोड़ से असमान हो सकता है।

मात्रा तेजी से बढ़कर 1964 मिलियन हो गई जबकि गत वर्ष यह 748 मिलियन थी। वर्ष के दौरान पीपीआई के मूल्य में भी काफी इजाफा हुआ (चार्ट V.26)। रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, प्री-पेड भुगतान लिखत का अधिकतम मूल्य किसी भी समय ₹100,000 से अधिक नहीं होना चाहिए।

यूनिफाइड पेमेन्ट्स इन्टरफ़ेस

V.64 यूनिफाइड पेमेन्ट्स इन्टरफ़ेस (यूपीआई) 2016-17 में लागू किया गया था ताकि इलेक्ट्रानिक भुगतान का एक वैकल्पिक एवं सुविधाजनक माध्यम उपलब्ध कराया जा सके। इस संबंध में, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) को अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेन्ट्री सर्विस डाटा (यूएसएसडी) 2.0 मोबाइल बैंकिंग

चार्ट V.25: डेबिट और क्रेडिट कार्ड में रुझान

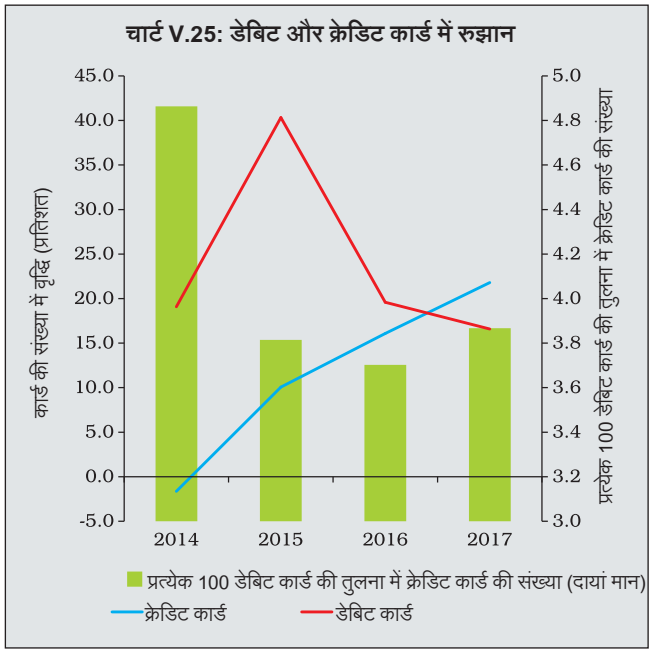

चार्ट V.26: प्री-पेड भुगतान लिखतों की प्रगति

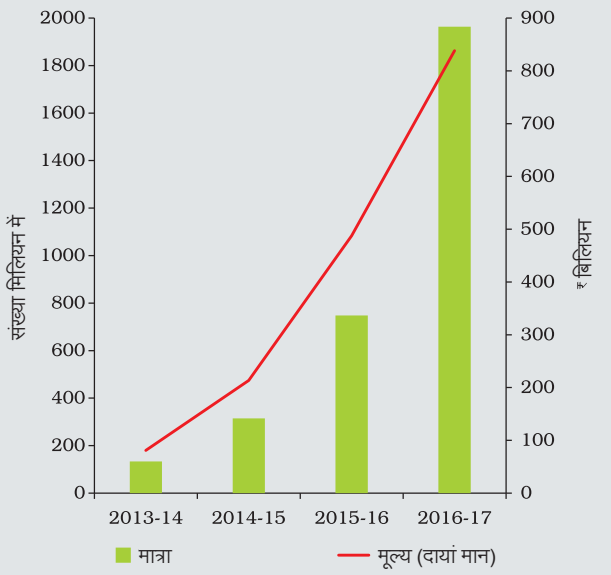

सुविधा (*99# जिसका उपयोग किसी भी हैंडसेट में किया जा सकता है और इसके लिए ग्राहकों को इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत नहीं है) शुरू करने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया था, जिसे यूपीआई के साथ जोड़ा गया है। यूपीआई किन्हीं दो बैंक खातों के बीच मुद्रा अंतरण की सुविधा प्रदान करता है जिसके लिए स्मार्टफोन के साथ-साथ फीचर फोन (यूएसएसडी 2.0) का उपयोग किया जा सकता है। इसकी मदद से ग्राहक अपने बैंक खाते से विभिन्न मर्चन्ट्स को ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों तरीकों से बैंक खाता विवरण के बजाय वर्चुअल पते के आधार पर सीधे ही भुगतान कर सकता है। वर्ष के दौरान, यूपीआई के माध्यम से ₹69.5 बिलियन मूल्य के 17.9 मिलियन लेनदेन किए गए हैं।

X. ग्राहक सेवा

V.65 ग्राहक सुरक्षा एवं जागरूकता, रिज़र्व बैंक के लिए, बैंकों के बढ़ते ग्राहक आधार, विशेष रूप से समाज के कमजोर वर्गों, एवं प्रौद्योगिकी आधारित बैंकिंग उत्पादों को लागू करने की दृष्टि से, महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। इस दिशा में, रिज़र्व बैंक ने ग्राहकों के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा 15 बैंकिंग लोकपाल कार्यालयों (बीओ) के

सारणी V.26: बैंकिंग लोकपाल कार्यालयों में क्षेत्रवार प्राप्त शिकायतें

लोकपाल कार्यालय	शिकायतों की संख्या		प्रतिशतता परिवर्तन
	2015-16	2016-17	2016-17
अहमदाबाद	5,909	9,552	61.7
बेंगलुरू	5,119	7,042	37.6
भुवनेश्वर	3,050	2,582	-15.3
भोपाल	5,748	5,671	-1.3
कोलकाता	4,846	7,834	61.7
चेन्नै	8,645	9,007	4.2
चंडीगढ़	4,571	8,189	79.2
गुवाहाटी	1,328	1,569	18.1
हैदराबाद	5,910	6,570	11.2
जयपुर	4,664	6,740	44.5
कानपुर	9,621	8,150	-15.3
पटना	5,003	6,225	24.4
मुंबई	12,333	16,299	32.2
नई दिल्ली	22,554	24,837	10.1
तिरुवनंतपुरम	3,593	3,855	7.3
*नई दिल्ली II	0	4,935	-
*देहरादून	0	948	-
*रांची	0	715	-
*रायपुर	0	237	-
*जम्मू	0	30	-
कुल	**102,894**	**130,987**	**27.3**

टिप्पणी: 1. -: शून्य/नगण्य।
2. * 2016-17 में खोले गए कार्यालय।
3. इसमें एससीबी, आरआरबी एवं यूसीबी शामिल हैं।

स्रोत: बैंकिंग लोकपाल में विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालय

अतिरिक्त पांच अन्य बीओ की स्थापना की है। वर्ष 2016-17 के दौरान, कुल शिकायतों की संख्या में 27.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो गत वर्ष 20.9 प्रतिशत थी। टिअर II शहरों में कुछ बीओ कार्यालयों को छोड़ दिया जाए तो अधिकांश टिअर I[7] एवं टिअर II शहरों में शिकायतों की संख्या में काफी इजाफा हुआ (सारणी V.26)।

V.66 छह टिअर I शहरों में बीओ कार्यालयों द्वारा प्राप्त शिकायत कुल शिकायतों का 54.7 प्रतिशत थी। जनसंख्या-समूह वार देखें तो पता चलता है कि शहरी क्षेत्रों से प्राप्त शिकायतों का अनुपात सर्वाधिक था और इस क्रम में महानगरीय, अर्ध-शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र क्रमशः बाद में आते हैं। वर्ष 2016-17 के दौरान, शहरी और ग्रामीण बैंक ग्राहकों से प्राप्त शिकायतों का हिस्सा और बढ़ा जबकि महानगरीय और अर्ध-शहरी ग्राहकों का घटा (चार्ट V.27)।

[7] टिअर I शहरों में नई दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बंगलुरू एवं हैदराबाद आते हैं।

चार्ट V.27: बीओ में प्राप्त शिकायतों का जनसंख्या समूह-वार वितरण

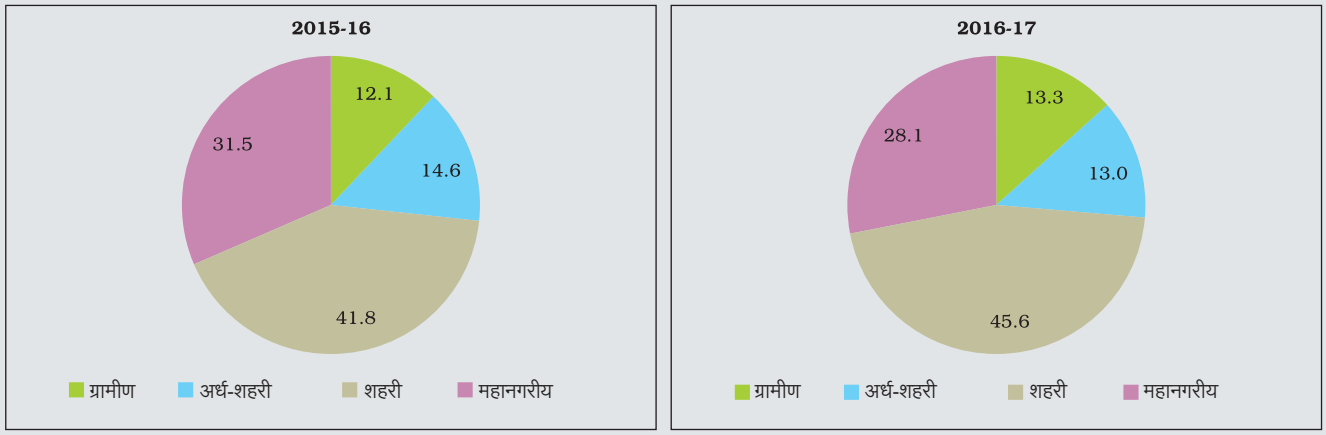

V.67 हाल के वर्षों में, उचित संहिता का पालन नहीं करना बैंकों के खिलाफ प्राप्त शिकायतों में सर्वाधिक था, और उसके बाद एटीएम/ क्रेडिट/ डेबिट कार्ड एवं भारतीय बैंकिंग कूट और मानक बोर्ड (बीसीएसबीआई) संहिता से जुड़ी शिकायतों तथा पेंशन संबंधी शिकायतों का स्थान आता है (चार्ट V.28)।

चार्ट V.28: शिकायतों के प्रमुख प्रकारों का हिस्सा

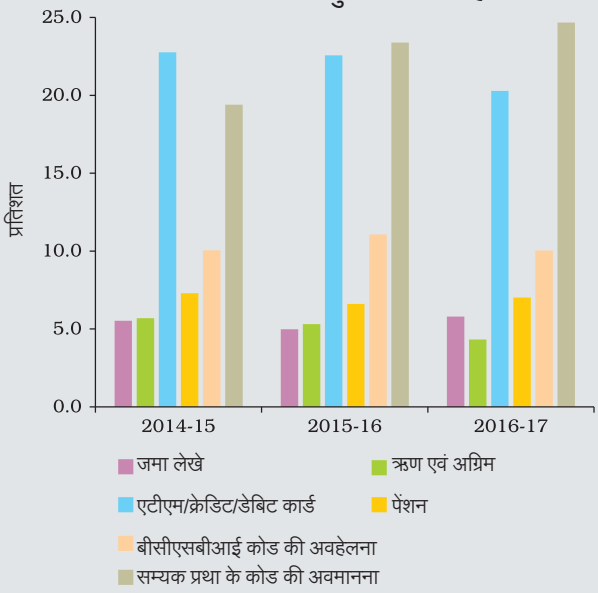

V.68 बैंक समूह-वार, पीएसबी (67.9 प्रतिशत) में सर्वाधिक संख्या में शिकायतें प्राप्त हुईं, इनके बाद पीवीबी (29.3 प्रतिशत) और एफबी (2.7 प्रतिशत) में प्राप्त शिकायतों का स्थान रहा। इससे सामान्यत: कुल ऋणों में उन बैंकों की हिस्सेदारी का पता चलता है। हालांकि, शाखाओं/खातों की संख्या (जमा + ऋण) के अनुरूप शिकायतों की संख्या को देखा जाए तो सर्वाधिक शिकायतें एफबी के विरुद्ध पाई गईं, उनके बाद पीवीबी एवं पीएसबी का स्थान रहा (चार्ट V.29)।

चार्ट V.29: प्रति बैंक शाखा/खाता शिकायतों की संख्या - 2016-17

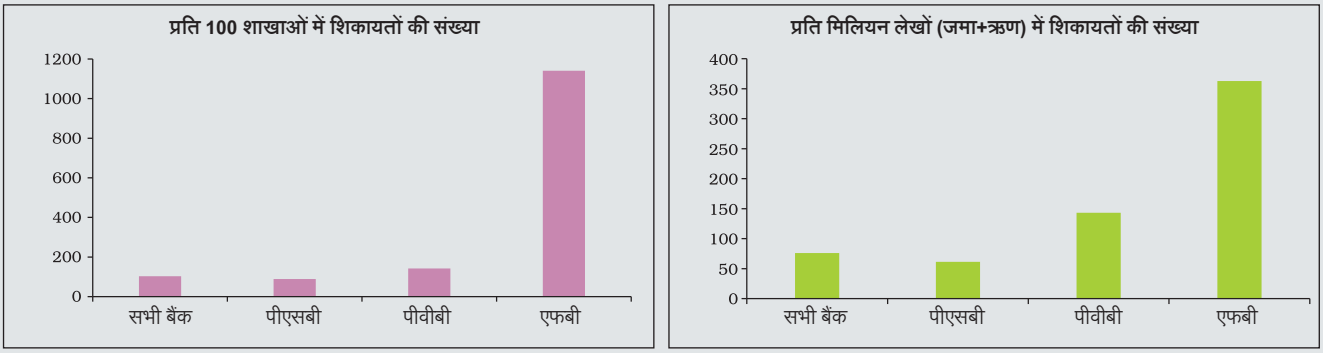

टिप्पणी: प्रति लेखा शिकायतों की संख्या की गणना 2015-16 के लिए की गई है क्योंकि 2016-17 से संबंधित लेखों की संख्या से संबंधित आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।
स्रोत: आंकड़े बैंकिंग लोकपाल के विभिन्न कार्यालयों, भारत स्थित अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की मूलभूत सांख्यिकीय विवरणियों तथा अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की जमा एवं ऋण से संबंधित तिमाही सांख्यिकी से लिए गए हैं।

XI. वित्तीय समावेशन

V.69 रिज़र्व बैंक की सलाह के तहत, एससीबी उनकी कॉर्पोरेट योजनाओं के अभिन्न हिस्से के रूप में तीन वर्षीय वित्तीय समावेशन योजना (एफआईपी) तैयार करते रहे हैं, जो उनकी कारोबारी रणनीतियों और तुलनात्मक लाभप्रदता के सामंजस्य में होती हैं। वित्तीय समावेशन योजनाओं के अंतर्गत बैंकिंग केंद्रों एवं ग्राहकों तक पहुंच में विस्तार करने के स्व-निर्धारित लक्ष्यों के साथ ही साथ उसके उद्देश्यों को पूरा करने के विभिन्न प्रकार के उपायुक्त उत्पाद उपलब्ध कराना भी शामिल होता है। इन योजनाओं के अंतर्गत बैंक रहित गांवों को बैंकिंग के अंतर्गत लाने, खाते खोलने एवं वित्तीय रूप से वंचित हिस्सों को लक्ष्य में रखकर विशिष्ट उत्पाद उपलब्ध कराने से संबंधित लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। वित्तीय समावेशन योजनाओं के दो चरण अर्थात, चरण-I (2010-13) एवं चरण-II (2013-16) पहले ही पूरे किए जा चुके हैं। इन वित्तीय समावेशन योजनाओं के माध्यम से समग्र वित्तीय समावेशन हासिल करने की दिशा में काफी प्रगति हुई है (सारणी V.27)। वर्तमान में, वित्तीय समावेशन योजना का तीसरा चरण (2016-19) लागू किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत वित्तीय समावेशन में हुई प्रगति का जायजा लेने के लिए जिला स्तर पर सूक्ष्म निगरानी की जा रही है। वित्तीय समावेशन योजनाओं का विस्तार करते हुए लघु वित्त बैंकों को भी इनके अंतर्गत लाया गया है और उनको कहा गया है कि रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित वित्तीय समावेशन के विभिन्न मानदंडों के अंतर्गत हुई प्रगति की रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

V.70 वर्ष 2016-17 के दौरान, ग्रामीण क्षेत्रों में पक्की शाखाओं की संख्या में थोड़ी गिरावट आई। कारोबारी प्रतिनिधियों (बीसी) एवं अन्य माध्यम से बैंकिंग सुविधा वाले गांवों की बढ़ती संख्या को देखते हुए गांवों में बैंकिंग केंद्रों की संख्या में मामूली वृद्धि दर्ज हुई (सारणी V.27)।

V.71 ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं में बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट (बीसी) के प्रभुत्व का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि मार्च 2017 में गांवों में स्थित बैंकिंग केंद्रों में से 91 प्रतिशत बीसी थे, जबकि मार्च 2010 में उनकी उपस्थिति मात्र 50.5 प्रतिशत थी (चार्ट V.30)। इससे बैंकिंग सेवाओं में प्रौद्योगिकी का बढ़ता महत्व रेखांकित होता है। इसके अलावा, इस तथ्य के मद्देनजर कि प्रतिदिन कम से कम 4 घंटे एवं सप्ताह में कम से कम 5 दिन बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराने वाले बीसी को बैंकिंग सेवा केंद्र माना जाएगा, उनका महत्व निश्चित रूप से और भी बढ़ने वाला है।

सारणी V.27: वित्तीय समावेशन योजनाओं के अंतर्गत हुई प्रगति, आरआरबी सहित सभी एससीबी

क्र. सं.	विवरण	मार्च-10	मार्च-16	मार्च-17	सितं 17 को समाप्त अर्द्धवर्ष	प्रतिशतता परिवर्तन (मार्च 2016-मार्च 17)
1	गांवों में बैंकिंग केंद्र – शाखाएं	33,378	51,830	50860	49,527	-1.9
2	ग्रामीण स्थानों में बैंकिंग केंद्र – शाखारहित प्रणाली	34,316	534,477	547,233	511,383	2.4
3	गांवों में बैंकिंग केंद्र – कुल	67,694	586,307	598,093	560,910	2.0
4	बीसी के माध्यंम से कवर किए गए शहरी स्थान	447	102,552	102,865	123,941	0.3
5	बीएसबीडीए – शाखाओं के माध्यम से (संख्या मिलियन में)	60	238	254	245	6.7
6	बीएसबीडीए – शाखाओं के माध्यम से (राशि ₹ बिलियन में)	44	474	691	635	45.8
7	बीएसबीडीए – बीसी के माध्यम से (संख्या मिलियन में)	13	231	280	278	21.2
8	बीएसबीडीए - बीसी के माध्यम से (राशि ₹ बिलियन में)	11	164	285	306	73.8
9	बीएसबीडीए – कुल (संख्या मिलियन में)	73	469	533	522	13.6
10	बीएसबीडीए – कुल (राशि ₹ बिलियन में)	55	638	977	941	53.1
11	बीएसबीडीए में ली गई ओडी सुविधा (संख्या मिलियन में)	0.2	9	9	6	0.0
12	बीएसबीडीए में ली गई ओडी सुविधा (राशि ₹ बिलियन में)	0.1	29	17	4	-41.4
13	केसीसी – कुल (संख्या मिलियन में)	24	47	46	46	-2.1
14	केसीसी – कुल (राशि ₹ बिलियन में)	1,240	5,131	5,805	5,896	13.1
15	जीसीसी – कुल (संख्या मिलियन में)	1	11	13	12	18.2
16	जीसीसी – कुल (राशि ₹ बिलियन में)	35	1,493	2,117	1,806	41.8
17	आईसीटी लेखे – बीसी – कुल लेनदेन (संख्या मिलियन में)	27	827	1,159	662	40.1
18	आईसीटी लेखे – बीसी – कुल लेनदेन (राशि ₹ बिलियन में)	7	1,687	2,652	1,831	57.2

टिप्पणियां: 1. निरपेक्ष एवं प्रतिशत परिवर्तन में थोड़ा अंतर हो सकता है, क्योंकि संख्याओं को मिलियन/बिलियन में पूर्णांकित किया गया है।
2. * डाटा में 8 आरआरबी शामिल नहीं हैं।

स्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक

चार्ट V.30: गांवों में बैंकिंग केंद्र (कुल में प्रतिशत हिस्सा)

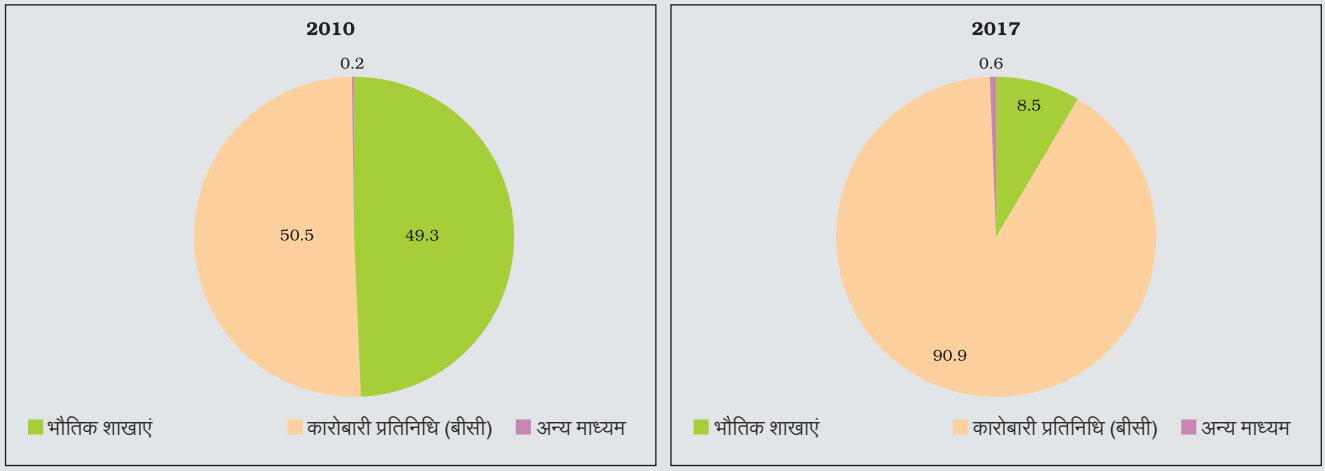

प्रधानमंत्री जन धन योजना

V.72 अगस्त 2014 के बाद की अवधि में भारत सरकार की प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) आयी है जिसने वित्तीय समावेशन को आपूर्ति पक्ष की ओर से बड़ा प्रोत्साहन दिया है। तीन वर्षों से थोड़ी अधिक की इस अवधि के दौरान 300 मिलियन से अधिक पीएमजेडीवाई खाते खोले जा चुके हैं और लगभग 231 मिलियन रुपे डेबिट कार्ड जारी किए जा चुके हैं। इस मुहिम में, इन खातों में से 96 प्रतिशत से अधिक खाते सरकारी बैंकों (पीएसबी) में और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) में खोले गए (चार्ट V.31)।

चार्ट V.31: पीएमजेडीवाई खातों का बैंक समूह-वार हिस्सा
(06 दिसंबर 2017 की स्थिति के अनुसार)

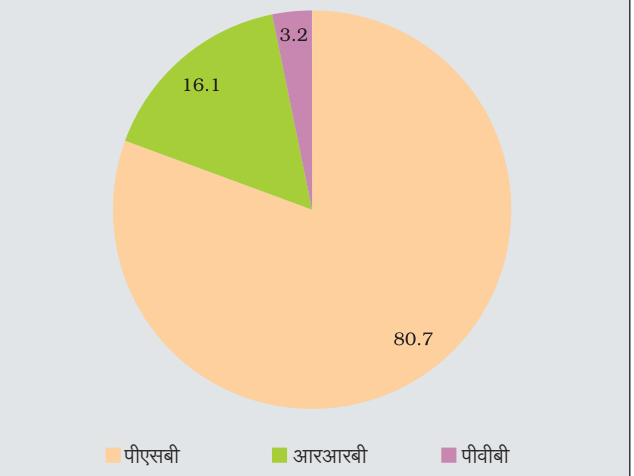

स्रोत: https://pmjdy.gov.in.

V.73 इन खातों के उपयोग में सभी बैंक-समूहों में मजबूत वृद्धि देखी गई है। विमुद्रीकरण के बाद, इन खातों में औसत जमा शेष राशियों में तेजी से वृद्धि हुई। हालांकि, उसके बाद प्रति खाता औसत जमा शेष राशि में कमी हुई है, तथापि यह राशि अभी भी विमुद्रीकरण के पहले की अवधि की तुलना में अधिक स्तर पर बनी हुई है (चार्ट V.32)। जहाँ अभी तक आपूर्ति पक्ष पर अधिक ध्यान केंद्रित किया गया, वहीं अब क्षमताओं को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किए जाने की भी आवश्यकता है, ताकि व्यक्ति उपलब्ध कराई जा रही सेवाओं का उपयोग करने की स्थिति में हो और अपनी जरूरतों/पसंद के अनुरूप उत्पादों और सेवाओं की मांग कर सके।

चार्ट V.32: पीएमजेडीवाई खातों में औसत जमाशेष

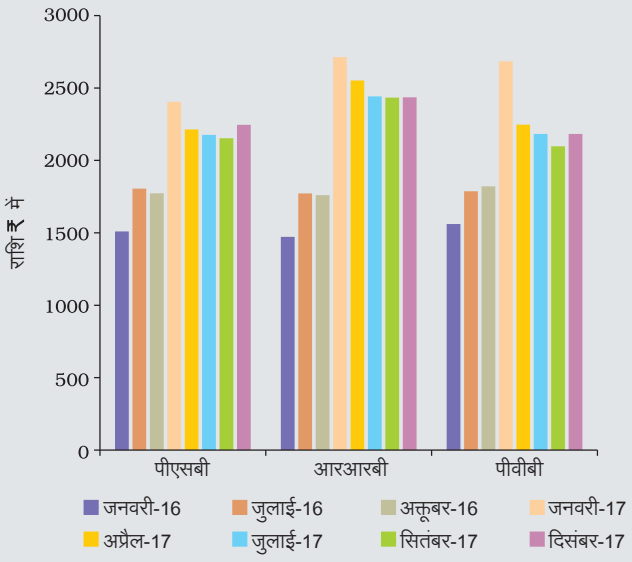

स्रोत: https://pmjdy.gov.in.

V.74 बीसी मॉडल बढ़ते ध्यान केंद्रण के परिणामस्वरूप नई पक्की शाखाओं की संख्या में निरंतर कमी आई है। 2016-17 के दौरान, नई खोली गई शाखाओं में 30 प्रतिशत से अधिक की गिरावट आई। परेशान करने वाली बात यह है कि नई शाखाओं में से 45 प्रतिशत शाखाएं टिअर-I स्थानों में खोली गईं। हाल के वर्षों में टिअर-VI स्थानों (5000 से कम जनसंख्या), जो बैंक रहित ग्रामीण स्थान हैं, में खोली जा रही शाखाओं का अनुपात घट रहा है (सारणी V.28)।

V.75 इसके बावजूद, बैंकिंग की पैठ काफी बढ़ी है और औपचारिक वित्तीय प्रणाली की पहुंच बढ़ाने के लिए किए जाने वाले प्रयासों के चलते विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों के बीच अंतराल में कमी आई है। दक्षिण-पूर्व के साथ ही साथ पूर्वी एवं मध्यवर्ती क्षेत्रों जैसे कम बैंकिंग सुविधा वाले भौगोलिक क्षेत्रों में प्रति शाखा से संबद्ध जनसंख्या में उल्लेखनीय सुधार दर्ज हुआ है। दक्षिणी क्षेत्र, जहां पर बैंकिंग की पैठ सर्वाधिक है, में प्रति शाखा से संबद्ध जनसंख्या मार्च 2017 में घट कर 6,801 रह गई (चार्ट V.33)।

एटीएम का वितरण

V.76 भौगोलिक विस्तार एवं जनसंख्या व्याप्ति की दृष्टि से विषमताओं के बावजूद एटीएम के विस्तार ने बैंकिंग सेवाओं की उपलब्धता बढ़ाने में वर्षों से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 2016-17 के दौरान, एटीएम के जनसंख्या समूह-वार वितरण

सारणी V.28: नई खुली बैंक शाखाओं का टिअर-वार विवरण

टिअर	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
टिअर I	3,118	3,094	2,736	2,174
	(27.2)	(35.4)	(39.2)	(45.0)
टिअर II	824	606	531	327
	(7.2)	(6.9)	(7.6)	(6.8)
टिअर III	1,293	1,045	873	558
	(11.3)	(12.0)	(12.5)	(11.6)
टिअर IV	1,025	745	559	365
	(8.9)	(8.5)	(8.0)	(7.6)
टिअर V	1,463	835	635	611
	(12.7)	(9.6)	(9.1)	(12.7)
टिअर VI	3,757	2,405	1,652	795
	(32.7)	(27.5)	(23.6)	(16.5)
कुल	**11,480**	**8,730**	**6,986**	**4,830**
	(100.0)	**(100.0)**	**(100.0)**	**(100.0)**

टिप्पणी: कोष्टकों में आंकड़े कुल के प्रतिशत के रूप में है।
स्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक

चार्ट V.33: सभी क्षेत्रों में बैंकिंग की पैठ

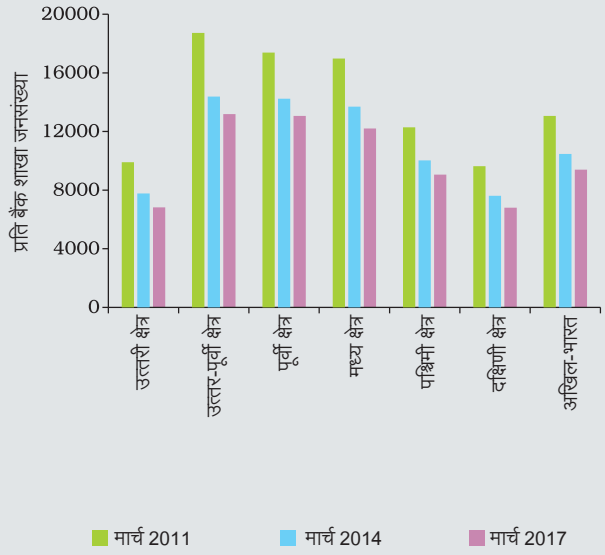

स्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक एवं एमओएसपीआई

में झुकाव महानगरीय केंद्रों के पक्ष में हो गया है, जबकि ग्रामीण और शहरी केंद्रों में एटीएम के हिस्से में थोड़ी कमी आई है। भौगोलिक वितरण की दृष्टि से, एटीएम का 32.1 प्रतिशत केंद्रण दक्षिणी क्षेत्र में पाया गया। पूर्वी एवं उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में एटीएम की पैठ सबसे कम रही। इससे व्यापक रूप से बैंक शाखाओं के भौगोलिक फैलाव का भी पता चलता है (चार्ट V.34)

V.77 एटीएम की कुल संख्या के 56.8 प्रतिशत शहरी और महानगरीय केंद्रों में हैं। सरकारी बैंकों के एटीएम का विभिन्न जनसंख्या केंद्रों में तुलनात्मक रूप से बेहतर वितरण है। इसके विपरीत निजी बैंकों और विदेशी बैंकों का संकेंद्रण शहरी और महानगरीय केंद्रों में रहा (सारणी V.29)।

सारणी V.29: विभिन्न केंद्रों में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के एटीएम की संख्या
(मार्च-2017 की समाप्ति पर)

बैंक समूह	ग्रामीण	अद्ध-शहरी	शहरी	महा-नगरीय
1	2	3	4	5
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	19.7	28.3	28.9	23.1
निजी क्षेत्र के बैंक	8.4	23.6	26.2	41.8
विदेशी बैंक	1.6	1.8	18.9	77.7
कुल	**16.4**	**26.8**	**28.1**	**28.7**

स्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक

चार्ट V.34: एटीएम का वितरण

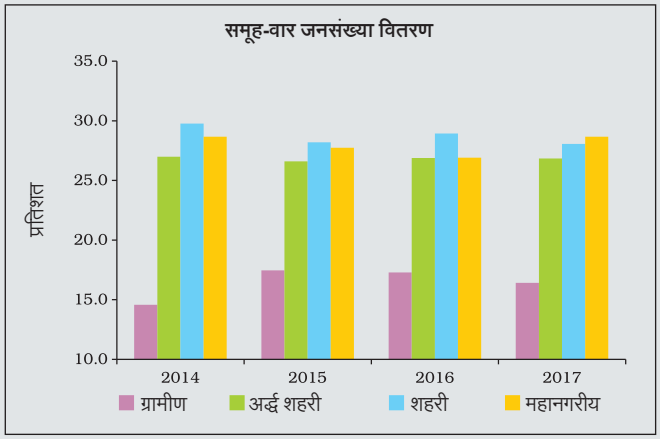

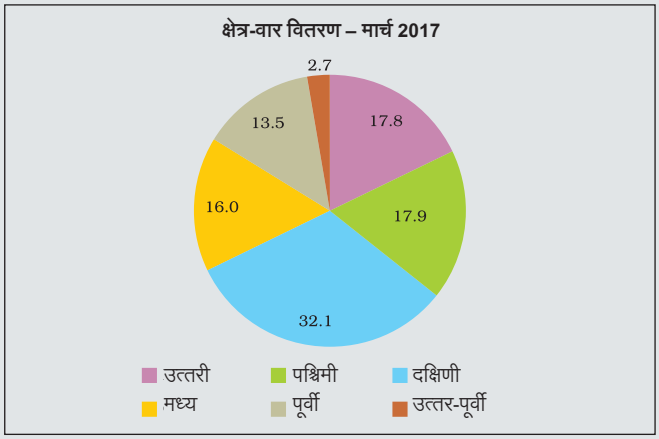

टिप्पणी: आंकड़ों में डब्लूएलए से संबंधित आंकड़े शामिल नहीं हैं।

सूक्ष्म वित्तीयन कार्यक्रम

V.78 सूक्ष्म उद्योगों को वित्त उपलब्ध कराए जाने के मामले में स्व-सहायता समूहों (एसएचजी) एवं संयुक्त देयता समूहों (जेएलजी) के माध्यम से मजबूत प्रगति हुई है। एसएचजी-बैंक का संपर्क सूक्ष्म वित्तीयन का प्रमुख माध्यम बना रहा, जिसके तहत 2016-17 के दौरान बैंक से संबद्ध लगभग 1.9 मिलियन एसएचजी के माध्यम से ₹388 बिलियन का वित्तपोषण किया गया। बैंकों द्वारा वित्तपोषित सूक्ष्म वित्त संस्थानों (एमएफआई) की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि होने के बावजूद संवितरित ऋण राशि में कमी आई (सारणी V.30)।

वित्तीय समावेशन में विभिन्न देशों के अनुभव

V.79 सरकार तथा रिज़र्व बैंक द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों के कारण 2016 में वित्तीय समावेशन से संबंधित समग्र प्राप्तांक, जैसा कि द इकोनॉमिस्ट इन्टेलिजेंस यूनिट के ग्लोबल

सारणी V.30: सूक्ष्म वित्तीय कार्यक्रमों में हुई प्रगति
(मार्च-अंत की स्थिति)

मद	स्व-सहायता समूह							
	संख्या (मिलियन में)				राशि (₹ बिलियन)			
	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
बैंकों द्वारा संवितरित ऋण	1.4	1.6	1.8	1.9	240	276	373	388
	(0.2)	(0.7)	(0.9)	(1.0)	(35)	(114)	(194)	(200)
बैंकों में बकाया ऋण	4.2	4.5	4.7	4.8	429	515	572	616
	(1.3)	(2.2)	(2.5)	(2.8)	(102)	(232)	(306)	(341)
बैंकों में धारित बचत	7.4	7.7	7.9	8.6	99	111	137	161
	(2.3)	(3.4)	(3.9)	(4.3)	(25)	(55)	(73)	(87)
	सूक्ष्म वित्त संस्थाएं							
	संख्या				राशि (₹ बिलियन)			
बैंकों द्वारा संवितरित ऋण	545	597	647	2,314	103	147	208	193
बैंकों में बकाया ऋण	2,422	4,660	2,020	5,357	165	219	256	292
	संयुक्त देयता समूह							
	संख्या (मिलियन में)				राशि (₹ बिलियन)			
बैंकों द्वारा संवितरित ऋण	0.21	0.46	0.57	0.70	22	44	62	95

टिप्पणी :1. कोष्ठकों में दी गई संख्याएं राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) एवं राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एनयूएलएम) के तहत आने वाले स्व-सहायता समूहों के विवरण दर्शाते हैं, जिनका संबंध 2014-15, 2015-16 एवं 2016-17 से है। पहले के वर्षों से संबंधित कोष्ठकों में दी गई संख्याएं सिर्फ एनआरएलएम/स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) समूहों के आंकड़े दर्शाती हैं।
2. बैंकों से ऋण लेने वाली एमएफआई की वास्तविक संख्या खातों की संख्या से कम होगी, क्योंकि अधिकांश एमएफआई एक ही बैंक से बहुत बार ऋण लेती हैं और एक से अधिक बैंक से भी ऋण लेती हैं।

स्रोत: नाबार्ड

सारणी V.31: ब्रिक्स एवं अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं में वित्तीय समावेशन, 2016

	समग्र अंक	वित्तीय समावेशन के लिए सरकारी सहायता	वित्तीय समावेशन के लिए विनियामक और पर्यवेक्षी क्षमता	विवेकपूर्ण विनयमन	ऋण पोर्टफोलियो का विनियमन और पर्यवेक्षण	इलेक्ट्रॉनिक भुगतानों का विनियमन	शिकायत निवारण एवं विवाद निपटारा प्रणालियां
कोलंबिया	89	100	58	100	100	75	100
भारत	78	83	58	75	89	100	83
कीनिया	61	78	58	88	64	100	25
मेक्सिको	60	78	58	92	50	50	50
इंडोनेशिया	55	44	83	46	83	50	83
ब्राजील	51	78	42	46	19	75	42
दक्षिण अफ्रीका	51	39	42	63	33	50	58
रूस	49	61	58	21	69	50	17
तुर्की	46	22	58	67	47	50	33
चीन	44	44	17	46	50	75	42

टिप्पणी: सामान्य अंक 0-100 जहां पर 100 = सर्वाधिक।
स्रोत: ग्लोबल माइक्रोस्कोप 2016 – वित्तीय समावेशन से संबंधित समर्थकारी परिवेश, द इकोनॉमिस्ट आसूचना इकाई।

माइक्रोस्कोप ने प्रकाशित किया है, सुधार के साथ 100 में से 78 हो गए हैं। 2014 में यह 61 हुआ करते थे। इसके तहत प्राप्त कुल प्राप्तांक से वित्तीय समावेशन की दिशा में सृजित विनियामकीय पारिस्थिकी का आकलन किया जाता है, जिसके अंतर्गत उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के 55 देशों के 12 संसूचकों का मूल्यांकन किया गया है। इसमें समग्र क्रम में भारत की स्थिति तीसरे स्थान पर है, जो ब्रिक्स के अन्य देशों तथा अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं से काफी बेहतर स्थिति है। इलेक्ट्रॉनिक भुगतानों के विनियमन के संदर्भ में भारत की स्थिति निर्विवाद रही है (सारणी V.31)। इससे डिजिटल आर्थिक गतिविधि को हितकर बनाने से संबंधित विनियामकीय वातावण तैयार करने के लिए उठाए गए बहुत विस्तृत सकारात्मक कदमों का महत्व साबित होता है। रिज़र्व बैंक द्वारा किए गए अखिल-भारतीय सर्वेक्षण में पता चला कि विभिन्न वित्तीय साक्षरता संसूचकों का औसत प्राप्तांक ओईसीडी/आइएनएफई (वित्तीय शिक्षा से संबंधित अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क) टूलकिट में सुझाए गए अपेक्षित न्यूनतम स्तर से नीचे रहे। इससे पता चलता है कि समावेशी वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय समावेशन कार्यक्रम में वित्तीय साक्षरता का समन्वय किए जाने की जरूरत है।

XII. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

V.80 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) की स्थापना ऋण सहकारी बैंकों और वाणिज्य बैंकों के सकारात्मक गुणों को एक साथ लाने और ग्रामीण क्षेत्रों में पिछड़े तबकों की ऋण संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए की गई थी। वर्तमान आरआरबी के वित्तीय निष्पादन एवं मजबूती में सुधार लाने के लिए उनके समामेलन और समेकन के माध्यम से मार्च 2017 के अंत में, देश में परिचालनरत आरआरबी की संख्या घटकर 56 रह गई जो 2005 में 196 थी। । सरकार द्वारा बहुत से आरआरबी का समय-समय पर पुनर्पूंजीकरण किया गया ताकि वे सीआरआर के 9 प्रतिशत के न्यूनतम स्तर को लगातार बनाए रख सकें और उत्पादक क्षेत्रों को अधिक ऋण प्रदान करने में सक्षम बने रहें। ग्रामीण क्षेत्रों में ध्यान केंद्रित करने के उनके मुख्य कार्य क्षेत्र के मद्देनजर, उनके ऋण पोर्टफोलियो का लगभग 90 प्रतिशत हिस्सा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को प्रदत्त ऋण का था और मार्च 2017 में उनके कुल प्राथमिक क्षेत्र ऋणों में कृषि का हिस्सा 74.6 रहा (सारणी V.32)।

सारणी V.32 : क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा प्रदान किया गया उद्देश्य–वार बकाया अग्रिम (मार्च-अंत की स्थिति)

(राशि ₹ बिलियन में)

क्र.सं.	उद्देश्य	2016	2017 अ
1	2	3	4
I	**प्राथमिकता (i से v)**	**1779**	**1934**
	कुल बकाया ऋणों का प्रतिशत	86.1	89.2
	i कृषि	1317	1444
	ii सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम	252	282
	iii शिक्षा	26	27
	iv आवास	132	132
	v अन्य	52	49
II	**गैर-प्राथमिकता (i से vi)**	**286**	**232**
	कुल बकाया ऋणों का प्रतिशत	13.9	10.7
	i कृषि	1	-
	ii सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम	12	8
	iii शिक्षा	-	-
	iv आवास	11	15
	v निजी ऋण	74	60
	vi अन्य	189	149
कुल (I+II)		**2065**	**2166**

टिप्पणियां: 1. '-': शून्य/नगण्य।
2. अ : अनंतिम
स्रोत: नाबार्ड।

V.81 आरआरबी के समेकित तुलन-पत्र में वर्ष के दौरान काफी वृद्धि दर्ज हुई। चालू और बचत खातों में जमा राशियों में 20 प्रतिशत या उससे अधिक वृद्धि हुई, जो अंशत: विमुद्रीकरण के असर को दर्शाती है। उधारियों में भी वृद्धि हुई, जो व्यापक रूप से प्रायोजक बैंकों तथा अन्य स्रोतों से ली गई। आस्ति पक्ष में, आरआरबी ने अच्छी ऋण वृद्धि को बरकरार रखा, जबकि निवेश में उलटफेर हुआ (सारणी V.33)।

V.82 पिछले वर्ष के दौरान लाभ में कमी होने के विपरीत 2016-17 में अपेक्षाकृत अधिक अनर्जक आस्तियां होने के कारण प्रावधानीकरण किए जाने में तीव्र वृद्धि के बावजूद आरआरबी के लाभ में काफी वृद्धि हुई, जिसका प्रमुख कारण ब्याज और अन्य आय –दोनों में वृद्धि के साथ-साथ परिचालनगत व्यय में आयी गिरावट रहा। आस्तियों पर प्रतिफल (आरओए) स्थिर रहा जबकि एनआईएम कम हुआ (सारणी V.34)।

सारणी V.33: क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का समेकित तुलन-पत्र

(राशि ₹ बिलियन में)

क्र. सं.	मद	मार्च-अंत में		प्रतिशतता परिवर्तन	
		2016	2017 अ	2015-16	2016-17 अ
1	शेयर पूंजी	64	64	3142.1^	0.1
2	आरक्षित निधियां	207	231	10.4	11.7
3	शेयर पूंजी जमाराशियां/ टिअर II बॉण्ड	1	-	-98.4	-
4	जमाराशियां	3135	3719	14.8	18.6
4.1	चालू	89	107	-21.9	19.9
4.2	बचत	1480	1881	12.9	27.1
4.3	मीयादी	1566	1731	20.0	10.6
5	उधारियां	479	560	-19.4	16.9
5.1	नाबार्ड	399	402	-13.9	0.7
5.2	प्रायोजक बैंक	57	96	-48.6	66.7
5.3	अन्य	22	62	17.4	179.0
6	अन्य देयताएं	123	197	1.1	59.2
कुल देयताएं/आस्तियां		**4009**	**4771**	**8.4**	**19.0**
7	उपलब्ध नगदी	27	28	10.1	2.2
8	भा.रि.बैं. में जमा शेष राशि	124	150	13.8	20.6
9	अन्य बैंकों में जमा शेष राशि	46	65	-43.6	39.2
10	निवेश	1696	2098	4.2	23.7
11	ऋण एवं अग्रिम (निवल)	1952	2239	14.7	14.3
12	स्थायी आस्तियां	11	11	13.3	5.9
13	अन्य आस्तियां #	152	180	7.9	18.4

टिप्पणियां: 1. -: शून्य/नगण्य।
2. अ : अनंतिम।
3. # : संचित हानियां शामिल हैं।
4. प्रतिशत परिवर्तन में थोड़ा अंतर हो सकता है क्योंकि निरपेक्ष संख्याओं को ₹ बिलियन में पूर्णांकित किया गया है।
5. ^: शेयर पूंजी जमाराशियों को शेयर पूंजी में मिला दिया गया है।

स्रोत: नाबार्ड

सारणी V.34: क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का वित्तीय निष्पादन

(राशि ₹ बिलियन में)

क्र. सं.	मद	राशि		प्रतिशतता परिवर्तन	
		2015-16	2016-17 P	2015-16	2016-17 P
1	2	3	4	5	6
ए	**आय (i + ii)**	**354**	**388**	**10.9**	**9.6**
i	ब्याज से होने वाली आय	333	352	10.5	5.7
ii	अन्य आय	21	36	18.2	71.4
बी	**व्यय (i+ii+iii)**	**334**	**365**	**14.5**	**9.3**
i	व्यय की गई ब्याज राशि	217	228	14.7	5.1
ii	परिचालनगत व्यय	97	95	7.1	-2.1
	जिसमें से, मजदूरी बिल	69	67	23.2	-2.9
iii	प्रावधान एवं आकस्मिक निधियां	21	42	66.2	100.0
सी	लाभ				
i	परिचालनगत लाभ	22	60	-24.7	172.0
ii	निवल लाभ	20	23	-27.1	15.0
डी	**कुल औसत आस्तियां**	**3808**	**4288**	**8.4**	**12.6**
ई	**वित्तीय अनुपात #**				
i	परिचालनगत लाभ	0.6	1.3	-	-
ii	निवल लाभ	0.5	0.5	-	-
iii	आय (क + ख)	9.3	9.0	-	-
	(क) ब्याज से होने वाली आय	8.7	8.2	-	-
	(ख) अन्य आय	0.6	0.8	-	-
iv	व्यय (क+ख+ग)	8.8	8.5	-	-
	(क) व्यय की गई ब्याज राशि	5.7	5.3	-	-
	(ख) परिचालनगत व्यय	2.5	2.2	-	-
	जिसमें से, मजदूरी बिल	1.8	1.6	-	-
	(ग) प्रावधान एवं आकस्मिक निधियां	0.5	1.0	-	-
एफ	**विश्लेषणात्मक अनुपात (%)**			-	-
	सकल अनर्जक आस्ति अनुपात	6.8	8.1	-	-
	सीआरएआर	12.8	9.7	-	-

टिप्पणियां: 1: अ : अनंतिम।
2: # वित्तीय अनुपात औसत कुल आस्तियों के संदर्भ में प्रतिशतता को दर्शाते हैं।
3. प्रतिशत परिवर्तन में थोड़ा अंतर हो सकता है क्योंकि निरपेक्ष संख्याओं को ₹ बिलियन में पूर्णांकित किया गया है।

स्रोत: नाबार्ड

XIII. स्थानीय क्षेत्र बैंक

V.83 स्थानीय क्षेत्र के सभी बैंकों की कुल आस्तियों के तीन चौथाई भाग को धारित करने वाला कैपिटल लोकल एरिया बैंक लिमिटेड अप्रैल 2016 से लघु वित्त बैंक (एसएफबी) में तब्दील हो गया है (सारणी V.35)। इसके परिणामस्वरूप बैंक-समूह के रूप में एलएबी का महत्व बहुत घट गया है। मार्च 2017 के अंत में, एलएबी की कुल आस्तियां ₹7.9 बिलियन थीं, जो सभी एससीबी की कुल आस्तियों का सिर्फ 0.01 प्रतिशत है।

सारणी V.35: स्थानीय क्षेत्र बैंकों की रूपरेखा (प्रोफाइल)

(मार्च-अंत की स्थित के अनुसार)

(राशि ₹ बिलियन में)

	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
आस्तियां	18.8	23.1	27.6	7.9
जमाराशियां	16.2	20.1	23.9	6.4
सकल अग्रिम	10.7	13.2	15.8	4.7

टिप्पणी: 2016-17 के लिए आंकड़े तीन एलएबी से संबंधित हैं। पहले के वर्षों के लिए इनका संबंध चार एलबीए से है।
स्रोत: ऑफ-साइट विवरणियां (घरेलू)

V.84 वर्ष 2016-17 के दौरान, स्थानीय क्षेत्र बैंकों (एक लोकल एरिया बैंक के लघु वित्त बैंक में परिवर्तन को समायोजित कराते हुए) की आस्ति वृद्धि में पिछले वर्ष की तुलना में मंदी देखी गई। इसके साथ ही, निवल ब्याज आय वृद्धि भी कम रही। फिर भी, परिचालन व्ययों में अपेक्षाकृत कम वृद्धि और प्रावधानों तथा आकस्मिकताओं में कमी होने के कारण एलएबी का निवल लाभ धनात्मक रहा (सारणी V.36)।

V.85 एलएबी की स्थापना निजी क्षेत्र के स्थानीय बैंक के रूप में की गई थी। उनसे ऋण उपलब्धता के अंतरालों को भरने और ग्रामीण एवं अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों में संस्थागत ऋण ढांचे को विस्तृत तथा मजबूत बनाने की उम्मीद की जा रही थी। उनसे यह उम्मीद भी थी कि वे अपने परिचालन के क्षेत्र, जिसमें तीन निकटवर्ती जिले शामिल होते हैं, में दक्ष एवं प्रतिस्पर्धी वित्तीय मध्यस्थता सेवाएं उपलब्ध कराएंगे। हालांकि, एलएबी की अंतर्निहित कमजोरियां हैं, जिनके निम्नलिखित कारण हैं – उनका छोटा आकार, संकेंद्रण जोखिम, अप्रतिस्पर्धी लागत ढांचे के रूप में बाधाएं और प्रतिकूल स्थानिक परिस्थिति के कारण पेशेवर स्टाफ को आकर्षित करने और अपने साथ जोड़े रखने की उनकी क्षमता। इनमें से कुछ कमियों को दूर करने तथा संस्थागत ऋण उपलब्धता का और विस्तार करने हेतु एक वैकल्पिक बैंकिंग मॉडल के रूप में लघु वित्त बैंकों की शुरुआत की गई।

XIV. लघु वित्त बैंक (एसएफबी)

V.86 लघु वित्त बैंकों (एसएफबी) को 2016 में लाइसेन्स प्रदान किए गए। इनका लक्ष्य लघु कारोबारी इकाइयों, लघु एवं सीमांत किसानों, सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों तथा अन्य असंगठित क्षेत्र की संस्थाओं जैसे बैंकिंग सेवा से वंचित अथवा अल्प बैंकिंग सेवा वाले समूहों को उच्च प्रौद्योगिकी - कम लागत वाले परिचालनों के माध्यम से मुख्य रूप से जमा स्वीकार करने और ऋण देने

सारणी V.36: स्थानीय क्षेत्र बैंकों का वित्तीय निष्पादन

(राशि ₹ बिलियन में)

	राशि		प्रतिशतता परिवर्तन	
	2015-16	2016-17#	2015-16	2016-17*
1. **आय (i+ii)**	3.0	1.1	18.3	10.7
i) ब्याज से होने वाली आय	2.7	0.9	17.9	6.7
ii) अन्य आय	0.3	0.2	22.7	33.9
2. **व्यय (i+ii+iii)**	2.7	0.9	20.9	12.0
i) व्यय की गई ब्याज राशि	1.7	0.5	20.7	12.3
ii) प्रावधान एवं आकस्मिक निधियां	0.2	0.1	22.1	-3.1
iii) परिचालनगत व्यय	0.9	0.4	21.2	15.3
जिसमें से, मजदूरी बिल	0.5	0.2	20.5	7.4
3. लाभ				
i) **परिचालनगत लाभ/हानि**	0.4	0.2	4.5	5.0
ii) **निवल लाभ/हानि**	0.3	0.1	-4.0	1.2
4. **ब्याज से होने वाली निवल आय**	1.0	0.4	13.3	1.7
5. **कुल आस्तियां**	27.6	7.9	19.6	11.6
6. **वित्तीय अनुपात @**				
i) परिचालनगत लाभ	1.6	2.7	-	-
ii) निवल लाभ	1.0	1.5	-	-
iii) आय	11.9	13.5	-	-
iv) ब्याज से होने वाली आय	10.7	11.1	-	-
v) अन्य आय	1.1	2.4	-	-
vi) व्यय	10.9	12.0	-	-
vii) व्यय की गई ब्याज राशि	6.6	5.9	-	-
viii) परिचालनगत व्यय	3.6	5.1	-	-
ix) मजदूरी बिल	1.8	2.3	-	-
x) प्रावधान एवं आकस्मिक निधियां	0.6	1.0	-	-
xi) ब्याज से प्राप्त होने वाली निवल आय	4.1	5.2	-	-

टिप्पणियां: 1. #: आंकड़े तीन एलएबी से संबंधित हैं। पहले के वर्षों के लिए इनका संबंध चार एलबीए से है।
2. *: 2015-16 के लिए, प्रतिशतता परिवर्तन की गणना करने के लिए तीन एलएबी के आंकड़ों का प्रयोग किया गया।
3. @: औसत कुल आस्तियों की तुलना में अनुपात।
4. 2016-17 से संबंधित वित्तीय अनुपातों की गणना सिर्फ वर्तमान वर्ष की आस्तियों के आधार पर की गई है।
5. 'मजदूरी बिल' को किए गए भुगतानों और कर्मचारियों के लिए किए गए प्रावधानों के रूप में लिया गया है।

स्रोत: ऑफ-साइट विवरणियां (घरेलू)

जैसी मूलभूत बैंकिंग गतिविधियों के द्वारा वित्तीय समावेशन को बढ़ाना था। इस संदर्भ में लघु वित्त बैंकों से निम्न लिखित अपेक्षाएं होती हैं – (i) परिचालन प्रारंभ करने की तारीख से एक वर्ष के भीतर उनकी 25 प्रतिशत शाखाएं बैंक रहित ग्रामीण केंद्रों में हों, (ii) उनके ऋण पोर्टफोलियो में कम से कम 50 प्रतिशत ₹2.5 मिलियन तक के हों, (iii) लाइसेंस प्रदान करने के दिशानिर्देशों के तहत अनुमत गतिविधियों को छोड़कर किसी अन्य प्रकार की पैरा-बैंकिंग गतिविधि नहीं करना , (iv) उनके समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) में से 75 प्रतिशत ऋण रिज़र्व बैंक द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को दिए जाने वाले ऋण (पीएसएल) के रूप में वर्गीकृत पात्र क्षेत्रों को प्रदान करना।

V.87 इसके अलावा, लघु वित्त बैंकों को आरक्षित नगदी निधि अनुपात (सीआरआर) एवं सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) सहित रिज़र्व बैंक के वर्तमान वाणिज्य बैंकों पर यथाप्रयोज्य विवेकपूर्ण मानदण्डों एवं विनियमों का अनुपालन करने की जरूरत है। हालांकि, सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन से बचने के मामले में कोई छूट प्रदान नहीं की गई है। लघु वित्त बैंकों पर सीसीबी लागू नहीं होने के बावजूद लघु वित्त बैंकों से संबंधित न्यूनतम पूंजी अपेक्षाएं जोखिम भारित आस्तियों की 15 प्रतिशत निर्धारित की गई हैं, जबकि मार्च 2017 के अंत में, एससीबी के मामले में यह 10.25 प्रतिशत है। कुल मिलाकर 10 एसएफबी को लाइसेंस दिया गया है और मार्च 2017 के अंत तक छह एसएफबी ने परिचालन शुरू कर दिया है। यह देखना रोचक है कि लाइसेंस प्राप्त 10 एसएफबी में से 8 सूक्ष्म वित्त क्षेत्र में एनबीएफसी के रूप में परिचालनरत थे।

V.88 मार्च 2017 के अंत की स्थिति के अनुसार, लघु वित्त बैंकों के 397 कार्यालय कार्यशील थे। वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए लघु वित्त बैंकों को उनके परिचालन प्रारंभ करने की तारीख से तीन वर्ष का समय दिया गया है ताकि वे अपने बैंकिंग नेटवर्क को रिज़र्व बैंक की नई शाखा प्राधिकार नीति के अनुरूप ढाल सकें । इस अवधि में, एमएफआई/एनबीएफसी के रूप में उनकी वर्तमान प्रस्थिति बनी रह सकती है और वर्तमान शाखाओं को बैंकिंग केंद्र माना जाएगा, बशर्ते कि वित्तीय वर्ष के दौरान उनमें से कम से कम 25 प्रतिशत शाखाएं वर्तमान एमएफआई स्वरूप से परिवर्तित हों और उन्हें अनिवार्य रूप से बैंक रहित ग्रामीण केंद्रों में खोला जाए ।

V.89 उनके निधीयन प्रोफाइल के संदर्भ में, एसएफबी की देयताओं का लगभग 60 प्रतिशत हिस्सा उधारियों से निर्मित हुआ, जबकि जमाराशियों का हिस्सा सिर्फ 18 प्रतिशत था। इसका कारण यह हो सकता है कि सभी छह एसएफबी पहले एनबीएफसी के रूप में कार्य कर रहे थे, जिनके परिचालनों के लिए निर्भरता बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थानों से लिए गए उधारों पर अधिक होती है। आस्तियों की ओर देखें तो, कुल आस्तियों का लगभग 61 प्रतिशत हिस्सा ऋणों और अग्रिमों से निर्मित हुआ (सारणी V.37)।

V.90 कुल ऋणों का 93.4 प्रतिशत प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को गया, जिसके अंतर्गत कृषि एवं सूक्ष्म तथा मध्यम उद्यमों पर विशेष जोर दिया गया (सारणी V.38)।

सारणी V.37: लघु वित्त बैंकों का समेकित तुलन-पत्र

(राशि ₹ बिलियन में)

क्र. सं.	मद	मार्च – अंत 2017
1	शेयर पूंजी	33
2	आरक्षित निधियां	16
3	टिअर II बॉण्ड	7
4	जमाराशियां	50
	4.1 चालू	1
	4.2 बचत	12
	4.3 मीयादी	36
5	उधारियां (टिअर II बॉण्ड सहित)	165
	5.1 बैंक	69
	5.2 अन्य	97
6	अन्य देयताएं	12
कुल देयताएं/आस्तियां		**276**
7	उपलब्ध नगद राशि	2
8	भा.रि.बैं. में धारित जमाशेष	7
9	बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों में धारित जमाशेष	24
10	निवेश	60
11	ऋण एवं अग्रिम	168
12	स्थायी आस्तियां	5
13	अन्य आस्तियां	10

टिप्पणी: उन छह एसएफबी के तुलन-पत्रों पर आधारित जिनके परिचालन 31 मार्च 2017 से पहले प्रारंभ हो गए थे।
स्रोत: ऑफ-साइट विवरणियां

V.91 जहां तक वित्तीय निष्पादन का संबंध है, एसएफबीए में आस्तियों पर प्रतिलाभ आरआरबी के समान ही था, जबकि उनकी आस्ति गुणवत्ता अन्य बैंक समूहों की तुलना में बेहतर रही (सारणी V.39)।

सारणी V.38: लधु वित्त बैंकों द्वारा प्रदान किया गया उद्देश्य–वार बकाया अग्रिम

(हिस्सेदारी प्रतिशत में)

क्र.सं.	उद्देश्य	मार्च-अंत 2017
	सकल बकाया हानि में प्रतिशत	
I	**प्राथमिकता**	**93.4**
	i कृषि	25.7
	ii सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम	34.2
	iii शिक्षा	0.8
	iv आवास	2.6
	v अन्य	30.2
II	**गैर-प्राथमिकता**	6.6
कुल (I+II)		**100.0**

टिप्पणी: उन छह एसएफबी के तुलन-पत्रों पर आधारित जिनके परिचालन 31 मार्च 2017 से पहले प्रारंभ हो गए थे।
स्रोत: ऑफ-साइट विवरणियां

सारणी V.39: लघु वित्त बैंकों का वित्तीय निष्पादन

(राशि ₹ बिलियन में)

क्र. सं.	मद	2016-17
ए	**आय (i + ii)**	20.8
	i ब्याज से होने वाली आय	17.9
	ii अन्य आय	2.9
बी	**व्यय (i+ii+iii)**	19.4
	i व्यय की गई ब्याज राशि	8.8
	ii परिचालनगत व्यय	8.9
	जिसमें से, मजदूरी बिल	4.9
	iii प्रावधान एवं आकस्मिक निधियां	1.7
सी	**लाभ**	
	i परिचालनगत लाभ (ईबीपीटी)	3.1
	ii निवल लाभ (पीएटी)	1.4
डी	**कुल आस्तियां**	276.3
ई	**वित्तीय अनुपात #**	
	i परिचालनगत लाभ	1.1
	ii निवल लाभ	0.5
	iii आय (क + ख)	7.5
	(क) ब्याज से होने वाली आय	6.5
	(ख) अन्य आय	1.0
	iv व्यय (क+ख+ग)	6.7
	(क) खर्च की गई ब्याज राशि	3.2
	(ख) परिचालनगत व्यय	3.2
	जिसमें से, मजदूरी बिल	1.8
	(ग) प्रावधान एवं आकस्मिक निधियां	0.3
एफ	**विश्लेषणात्मक अनुपात (%)**	
	सकल अनर्जक आस्ति अनुपात	1.8
	सीआरएआर	26.3

टिप्पणी: 1. # कुल आस्तियों की तुलना में प्रतिशत के रूप में।
2. प्रतिशतता परिवर्तन में थोड़ा अंतर हो सकता है क्योंकि निरपेक्ष संख्याओं को ₹ बिलियन में पूर्णांकित किया गया है।
3. उन छह एसएफबी के तुलन-पत्रों पर आधारित जिनके परिचालन 31 मार्च 2017 से पहले प्रारंभ हो गए थे।

स्रोत: ऑफ-साइट विवरणियां

XV. समग्र मूल्यांकन

V.92 **सन** 2016-17 के दौरान, घटती आस्ति गुणवत्ता बैंकिंग क्षेत्र के लिए परेशानी का सबब बनी रही। इसके प्रभाव लाभप्रदता में गिरावट और कमजोर ऋण वृद्धि के रूप में पड़ा। वाणिज्यिक क्षेत्र में होने वाले वित्तीय संसाधनों के कुल प्रवाह में बैंकिंग क्षेत्र के योगदान में कमी आई। बैंकों की ऋण बहियों में पोर्टफोलियो का पुनर्संतुलन भी देखा गया, जिसके अंतर्गत प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में कृषि के प्रति और गैर-प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत सेवा और निजी ऋण के प्रति अधिक झुकाव रहा। इन बाधाओं के बावजूद, बासेल III संबंधी पूंजी अपेक्षाओं को क्रमिक रूप से लागू करने के साथ-साथ बैंक अपनी पूंजी स्थिति को मजबूत बनाने में समर्थ रहे और इसे विनियामकीय न्यूनतम स्तर से काफी उच्च स्तर पर बनाए रखने में सफल रहे। लीवरेज अनुपात की दृष्टि से बैंक सहज स्थिति में रहे।

V.93 बैंकों के तुलन-पत्रों पर विमुद्रीकरण का प्रभाव पड़ा। इसके परिणामस्वरूप कम लागत वाली जमा राशियों में काफी वृद्धि हुई और साथ ही चलनिधि में भी वृद्धि हुई, जिसके कारण उनकी उधार संबंधी आवश्यकताओं में कमी आई। ऋण वृद्धि की घटी दर के मद्देनजर बैंकों ने अपने संसाधनों को मुद्रा बाजार के लिखतों में तथा गैर-एसएलआर निवेशों में अभिनियोजित किया। बैंकों के तुलन-पत्र से इतर एक्सपोजरों की पिछले वर्ष में हुई नकारात्मक वृद्धि में सुधार हुआ गिरावट से बहाली हुई। विमुद्रीकरण के बाद कम लागत वाली निधियों के उपलब्ध हो जाने के बावज़ूद बैंकों, विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के वित्तीय निष्पादन का स्तर अनर्जक आस्तियों के कारण गिर गया। फलस्वरूप, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने लगातार दूसरे वर्ष निवल हानि की रिपोर्ट दी है।

V.94 वित्तीय समावेशन योजना के वर्तमान में चल रहे तीसरे चरण और पीएमजेडीवाई द्वारा प्राप्त होने वाले प्रोत्साहन के साथ समग्र वित्तीय समावेशन के लक्ष्य की दिशा में और प्रगति हुई। ऐसे बैंकिंग कॉरेस्पांडेंट (बीसी), जो प्रतिदिन कम से कम 4 घंटे और सप्ताह में कम से कम 5 दिन बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराएं, को बैंकिंग केंद्र के रूप में मान्यता प्रदान करने वाली नवीनतम शाखा प्राधिकार नीति के साथ बैंकिंग सेवाओं में प्रौद्योगिकी का महत्व आगे चलकर और बढ़ने वाला है। एसएफबी तथा भुगतान बैंकों के परिचालन प्रारंभ हो जाने से बैंकिंग सेवाओं के अपेक्षाकृत अधिक भौगोलिक दायरे में कम और वहनीय लागत पर मिलने की संभावना है, जिससे वित्तीय समावेशन कार्यक्रम को और बल मिलेगा। इसके अलावा, डिजिटल भुगतानों से संबंधित नवोन्मेषी उत्पादों और इनके उपयोग हेतु सरकार की ओर से विभिन्न प्रोत्साहनों के माध्यम से उनको सहज बनाते हुए 'नगदी-रहित' समाज के लक्ष्य को बल मिलने की संभावना है। साथ ही, बैंक के ग्राहकों के साथ उचित रूप से व्यवहार होना सुनिश्चित करने के लिए रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग लोकपाल योजना को और सशक्त बनाया है।

V.95 आगे चलकर, यह संभावना है कि आईबीसी जैसी नई संस्थागत प्रणालियों के माध्यम से, दबावपूर्ण आस्तियों की समस्या का समाधान करने के लिए सरकार और रिज़र्व बैंक के दृढ़ संकल्प तथा बैंकों द्वारा अपनी दक्षता में वृद्धि, ऋण निगरानी, जोखिम प्रबंधन एवं आंतरिक उपचय की दिशा में किए गए प्रयासों से वे ऋण देने की उनकी क्षमता पर पड़ रहे दबाव से उबर सकेंगे और वित्तीय मध्यस्थों के रूप में अपनी भूमिका का दक्षतापूर्वक निर्वहन कर पाएंगे। इस दिशा में, सरकारी क्षेत्र के बैंकों के समेकन के लिए 'वैकल्पिक प्रणाली' के रूप में की गयी सरकारी पहल से मजबूत और दक्ष बैंक निर्मित होंगे। फिर भी, बैंकों को छोटे (नीश) प्रतिभागियों और उभरती वित्तीय प्रौद्योगिकियों के इस क्षेत्र में आने से तेजी से उभरते वित्तीय वातावरण के अनुरूप स्वयं में परिवर्तन लाते हुए समायोजन करना होगा।